Con. 3. VIII-19.49
320

अंक 8
संख्या 19

शुक्रवार
10 जून
सन् 1949 ई.

भारतीय संविधान सभा

के

वाद-विवाद

की

सरकारी रिपोर्ट

(हिन्दी संस्करण)

विषय-सूची

पृष्ठ

कारों की संख्या-तख्तियों पर हिन्दी अंक ...1129-1131
काउंसिल हाउस पर यूनियन जैक का फहराना ...1131
संविधान का प्रारूप—(*जारी*)
[अनुच्छेद 92 से 98 और 173 से 186 पर विचार] ...1131-1192

भारतीय संविधान सभा

शुक्रवार, 10 जून सन् 1949

भारतीय संविधान सभा, कांस्टीट्यूशन हाल, नई दिल्ली में प्रातः आठ बजे, अध्यक्ष महोदय माननीय डा. राजेन्द्र प्रसाद के सभापतित्व में समवेत हुई।

कारों की संख्या-तख्तियों पर हिन्दी अंक

***सेठ गोविन्ददास** (मध्यप्रांत एवं बरार : जनरल): सभापति जी, आप आज की कार्यवाही प्रारंभ करें इससे पहले मैं आपका ध्यान हिन्दुस्तान टाइम्स के 9 तारीख के अंक की ओर दिलाता हूं, जिसमें कि उन्होंने मोटर प्लेट्स के जिस प्रश्न को मैंने यहां उठाया था उस सम्बन्ध में दिल्ली पुलिस ने जो कुल होम डिपार्टमेंट को लिखा है, उसका जिक्र किया है। वे लिखते हैं:

*[पता लगा है कि गृह मंत्रालय का ध्यान 1949 के भारतीय मोटर वेहीकल्स अधिनियम 1949 की ओर आकृष्ट किया गया है, जिसके अनुसार संख्या-तख्तियों पर गाड़ी की संख्या अंग्रेजी अक्षरों तथा अंकों में होनी चाहिये। पत्र में आगे चल कर यह लिखा है कि भारतीय मोटर वेहीकल्स अधिनियम, समस्त देश में लागू है और दिल्ली प्रशासन को इसमें संशोधन करने की शक्ति नहीं है।']

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि संयुक्त प्रान्त में और मेरे मध्य प्रांत में भी इसी कानून के अनुसार सब कार्यवाही होती है। इतने पर भी वहां की मोटरों के नम्बर, मिनिस्टरों की मोटरों तक के नवम्बर, हिन्दी में है। और यह भी आप जानते हैं कि पार्लियामेंट के नियमों के मुताबिक पार्लियामेंट में जो भाषण होते हैं वे भी अंग्रेजी में होने चाहिए, पर हमारी पार्लियामेंट के स्पीकर श्री मावलंकर साहब ने अनेक बार यह कहा है कि वर्तमान परिस्थिति जब बदल गई है तब इस प्रकार के नियमों को लागू क्यों किया जाये। पार्लियामेंट में बराबर हिन्दी में भाषण होते हैं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की जो दलील है वह कामनसेन्स और वर्तमान परिस्थिति के प्रतिकूल है और बड़ी बेहूदी दलील है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि कोई खास परिस्थिति उत्पन्न न होने पाये इसलिये इस सम्बन्ध में आपको कुछ न कुछ करने की कृपा करनी चाहिये।

***श्री एल. कृष्णास्वामी भारती** (मद्रास : जनरल): श्रीमान्, साधारणतः कोई प्रस्ताव होना चाहिये, जिस पर हम बोलना प्रारम्भ करें और मैं जानना चाहता हूं कि सेठ गोविंद दास का ऐसी बात आरम्भ कर देना, जो सदन के समक्ष नहीं है, कैसे नियमानुकूल है।

---

*इस चिह्न का अर्थ है कि यह अंग्रेजी वक्तृता का हिन्दी रूपान्तर है।

[श्री एल. कृष्णास्वामी भारती]

यदि नियमानुकूल है। यदि कोई शिकायत है तो यह कहीं अधिक अच्छा है कि के माननीय अध्यक्ष महोदय से जाकर मिल लें और इन सब मामलों की यहां चर्चा न करें। किसी सदस्य के बोलने के लिये प्रस्ताव होना चाहिये; क्या मैं जान सकता हूं कि वे किस प्रस्ताव पर बोल रहे हैं? क्या सदन के समक्ष कोई प्रस्ताव है, श्रीमान्?

***अध्यक्ष:** सदन के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है। माननीय सदस्य ने उस दिन मेरा ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया था कि एक माननीय सदस्य की कार की संख्या तख्ती हिन्दी में होने के कारण उसको कुछ कहा गया था। मैंने कहा था कि मैं मामले की छानबीन करूंगा। माननीय सदस्य ने मेरा ध्यान उन बातों की ओर आकर्षित किया है जो कि इस विषय में हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित हुई हैं। उसे ही वे पढ़ कर सुना रहे थे।

***श्री एल. कृष्णास्वामी भारती:** श्रीमान्, साधारण तरीका यह है कि वे आपसे आप के कमरे में मिल लेते और मेरे विचार में उन्हें ये सब मामले सदन के समक्ष पेश नहीं करने चाहिये। श्रीमान्, यह अच्छा उदाहरण नहीं बनेगा।

***पं. बालकृष्ण शर्मा** (संयुक्तप्रान्त : जनरल): यह सदस्यों के विशेषाधिकार का प्रश्न है।

***श्री एल. कृष्णास्वामी भारती:** मैं इस विषय के महत्त्व को कम नहीं कर रहा हूं।

पं. बालकृष्ण शर्मा: मैं आपके विचारार्थ निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे माननीय मित्र इस सारे मामले के विषय में कुछ गम्भीर मालूम नहीं होते हैं क्योंकि यह सदस्यों के विशेषाधिकार का प्रश्न है जिससे वे कुछ महत्त्व देते प्रतीत नहीं होते। किसी माननीय सदस्य को ऐसा मामला सूचना देकर या बिना सूचना के ही सदन के समक्ष लाने का अधिकार है। मेरे माननीय मित्र ने जो औचित्य प्रश्न उठाया है वह यह है कि कोई प्रस्ताव नहीं है। ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं और मैं स्वयं ऐसी ही स्थिति में था और आपने कृपा करके मुझे उन मुद्राओं का प्रश्न उठाने की अनुमति दे दी थी जो कि चलाई जाने वाली थी, और स्वभावत: हमें सांसद होने के नाते, यहां प्रश्न उठाने का पूरा अधिकार है चाहे सूचना न भी दी गई हो।

***अध्यक्ष:** मैंने इस मामले की जांच की थी क्योंकि यह मामला उस दिन उठाया गया था और मैं विशेषाधिकार सम्बन्धी प्रश्न पर कोई निर्णय नहीं दूंगा और मैं इस मामले को सरकार के पास भेज दूंगा।

***पं. बालकृष्ण शर्मा:** मैं भी उनमें से हूं जो कि इस मामले में दिल्ली प्रशासन द्वारा सताये गये हैं। पहली अप्रैल को मेरी कार का चालान कर दिया गया था और मैंने जल्दी करके प्रेस को सूचना नहीं भेजी। मैंने उपायुक्त को लिखा था और यदि मैं कोई भेद नहीं खोल रहा हूं—मुझे आशा है मैं कोई भेद नहीं खोल रहा हूं—तो मुझे उस दिन माननीय प्रधानमंत्री के यहां प्रीतिभोज में उपायुक्त से मिलने का आनन्द प्राप्त हुआ और मैंने हिन्दी मैं संख्या-तख्तियों के होने के प्रश्न की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया और उपायुक्त ने कहा कि मोटर वेहीकल्स ऐक्ट में एक खंड है जिसके अनुसार समस्त कारों पर संख्या-तख्तियां अंग्रेजी अंकों में होनी चाहिये। उन्होंने आगे चल कर यह भी कहा कि अधिनियम के वर्तमान रूप के होते हुए दिल्ली प्रशासन को अन्यथा अनुदेश नहीं दे सकते।

और कि दिल्ली प्रशासन उन सभी कारों का ध्यान रखता है, जिनकी संख्या-तख्तियां अंग्रेजी में नहीं होती। मेरा उनसे सदा यही निवेदन रहा है कि दिल्ली प्रान्त सब ओर ऐसे प्रान्तों से घिरा हुआ है जिन्होंने हिन्दी की अपनी राजभाषा और देवनागरी को अपनी राजलिपि घोषित कर दिया है।

***अध्यक्षः** शांति, शान्ति। आप मुझे जो सूचना देना चाहते थे, वह मुझे पता है। जैसा कि मैंने कहा है, माननीय सदस्य विशेषाधिकार के प्रश्न पर निर्णय देने के लिये मुझ पर जोर न डालें यह शायद उनके हित में न हो। जैसा कि मैं कह चुका हूं, यह मामला सरकार को भेज दिया जायेगा।

***माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकरः** (बम्बई : जनरल): विधि का उल्लंघन करने को कोई विशेषाधिकार नहीं है।

काउंसिल हाउस पर यूनियन जैक का फहराना

***श्री बी. दास** (उड़ीसा : जनरल): श्रीमान्, मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि कल इस काउंसिल हाउस के भवन पर यूनियन जैक लहरा रहे थे, यद्यपि इस महान संपूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न चैम्बर पर नहीं थे। मैं चाहता हूं कि आप आदेश दे दें कि जब तक संविधान-सभा इस स्थान पर बैठती है, तब तक इस काउंसिल भवन पर कोई यूनियन जैक न फहराया जाये।

***अध्यक्षः** माननीय सदस्य को चाहे अच्छा न लगे पर इसका कोई उपाय नहीं है, कम से कम अभी तो नहीं।

***मौलाना हसरत मोहानी** (संयुक्त प्रान्त : मुस्लिम): क्या मैं आपका तथा इस सभा का ध्यान एक अत्यंत गम्भीर मामले की ओर दिला सकता हूं? भारत सरकार सिक्किम राज्य में एक प्रकार की पुलिस कार्यवाही कर रही है; वह अभी भारत संघ में मिला नहीं है और ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार उन्हें मिलने के लिये बाध्य कर रही है।

***अध्यक्षः** शान्ति, शान्ति। मुझे भय है कि मैं ऐसे मामलों की ओर ध्यान नहीं दे सकता ये मामले संविधान सभा के लिये नहीं हैं, बल्कि विधायिनी सभा के लिये हैं, जब भी वह बैठे।

***माननीय सदस्यगणः** साधु साधु।

संविधान का प्रारूप (*जारी*)

अनुच्छेद 92—(*जारी*)

***अध्यक्षः** अनुच्छेद 92 पर बहस जारी रहेगी।

***प्रो. के.टी. शाह** (बिहार : जनरल): श्रीमान्, मैं सविनय प्रस्ताव करता हूं:

''कि खंड (1) के अंत में, निम्न परन्तुक जोड़ दिया जाये:

'परन्तु एक बार जब वार्षिक वित्तीय विवरण संसद में पेश हो जाये और संसद उस पर विचार आरम्भ कर दे, तो राष्ट्रपति को, या उसके नाम से कार्य करने वाले किसी मंत्री को, या अन्य किसी व्यक्ति को, यह क्षमता नहीं होगी कि वे

[प्रो. के.टी. शाह]

उसमें किसी प्रकार कोई परिवर्तन या रूपभेद कर सके, अथवा समस्त विवरण को वापस ले सके; और कि केवल लोक सभा ही उस प्रस्तुत वित्तीय विवरण को अंशत: या पूर्णत: परिवर्तित या संशोधित कर सकेगी या उसमें रूपभेद कर सकेगी या उसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगी; और यह भी शर्त है कि केवल लोक सभा या संसद को ही वित्तीय विवरण में रूपभेद, वृद्धि या हेरफेर करने की या उस अंश में या पूर्ण रूप में स्वीकार करने या अस्वीकार करने की क्षमता होगी।' ''

श्रीमान्, इसका उद्देश्य वित्तीय मामलों में लोक सभा की प्रभुता का सिद्धांत निश्चित करना है। एक बार वित्तीय विवरण तैयार करके संसद को पेश कर दिया जाये, तो फिर उसे, निबटाने का एक छत्र प्राधिकार संसद को ही होना चाहिये; और कोई व्यक्ति या प्राधिकारी ऐसा नहीं कर सकता, जब तक कि लोक सभा उसे पारित न कर दे।

इस संशोधन द्वारा मैं यह चाहता हूं कि लोक वित्त के संबंध में संसद की प्रभुता और उसमें लोक सभा की प्रभुता, को संसद-विहीन रूप से सर्वथा स्पष्ट कर दिया जाये। अत: यह उपबंध बनाना चाहिये कि एक बार वित्तीय विवरण को सदन के समक्ष रख दिया जाये, और सदन उस पर विचार करना आरम्भ कर दे, तो न राष्ट्रपति और न उसकी ओर से किसी मंत्री का ही उस विवरण में कोई परिवर्तन अथवा रूपभेद करने अथवा उसमें से कोई मद वापस लेने की क्षमता होगी। यदि कोई परिवर्तन किया जाना हो, तो वह परिवर्तन केवल लोक सभा द्वारा उस निकाय के मतदान द्वारा ही हो सके और दोनों सदनों अर्थात् संसद द्वारा भी न हो सके।

जो संसदीय जनतंत्रराज्य यह चाहता है कि प्रथम सदन एकमात्र संरक्षक होना चाहिये, वित्तीय मामलों का प्रहरी होना चाहिये, उसमें यह मामला इतना स्वस्पष्ट है कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रस्ताव ऐसा है जिस पर चुनौती नहीं दी जा सकती। यह ब्रिटिश संविधान की भावना या स्वीकृत अभिसमय से भिन्न नहीं है, जिसका हम इस मस्विदे में नमूने के रूप में अनुसरण कर रहे हैं। उसमें यह अभिसमय से स्पष्ट है, क्योंकि ब्रिटेन में लिखित संविधान तो है ही नहीं कि लोक वित्त के मामलों में हाउस आफ कामन्स ही सर्वोच्च प्राधिकारी है। हममें से जो उस नमूने का अनुसरण करते हैं और लिखित संविधान बनाना चाहते हैं, उन्हें चाहिये कि उस सुविख्यात अभिसमय को कार्यान्वित करें जिससे कि संसद या लोक सभा ही ऐसे वित्तीय उपबंधों में परिवर्तन करने में सक्षम हो, चाहे वे व्यय संबंधी हों चाहे राजस्व संबंधी, अथवा वे किसी वर्ष के वित्तीय उपबंधों को बदलने या अन्यथा निबटाने के सम्बन्ध में हों। इन मामलों में केवल लोक सभा का मत ही सर्वोपरि होना चाहिये, और किसी अन्य प्राधिकारी का उसमें दखल नहीं होना चाहिये। एक बार वित्तीय विवरण लोक सभा के समक्ष पेश हो जाये तो किसी प्राधिकारी को उससे कुछ मतलब नहीं होना चाहिये और न हो ही सकता। अत: मैं इसे सदन में पेश करता हूं।

क्या मैं अगला संशोधन भी पेश कर सकता हूं, श्रीमान्?

***अध्यक्ष:** हां।

***प्रो. के.टी. शाह:** श्रीमान्, अगला संशोधन यह है:

''अनुच्छेद 92 के खंड (1) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खंड जोड़ दिया जाये:

'(1क) जब संसद की लोक सभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पेश किया जाता है तब राष्ट्रपति राज्य-परिषद् के सदस्यों को संसद की लोक सभा में उपस्थित होने के लिये आमंत्रित कर सकता है।' ''

मैंने जो सिद्धांत रखा है, उसके परिणामस्वरूप ही यह बात पैदा होती है कि केवल लोक सभा ही वित्तीय मामलों को निबटाने में सक्षम है और उसके विषय में उसे सर्वोपरि प्राधिकार है। दूसरी सभा को वित्तीय मामलों में बिल्कुल अलग रखना चाहिये, चाहे अन्य कानूनों के विषय में उसकी शक्तियां और प्राधिकार कुछ भी हो।

इसे कार्यान्वित करने के लिये, केवल मैं यही सुझाव नहीं दूंगा कि वित्तीय विवरण लोक सभा के समक्ष रखा जा सकता है, मैं तो आगे बढ़ कर यह भी कहूंगा कि यदि इस विषय में दूसरी सभा को कोई सूचना भेजनी हो तो उस सदन को आय-व्ययक के प्रस्तुत करने के समय उपस्थित होने के लिये कह दिया जाये। आयव्ययक अथवा वित्तीय विवरण की औपचारिक पेशी और उसे निबटाने का काम केवल लोक सभा ही करे।

इस संशोधन में उस सामान्य सिद्धांत को केवल स्पष्ट कर दिया गया है कि जिसकी मैं सदा चर्चा करता रहा हूं, कि राज्य-परिषद का वित्तीय मामलों में कोई दखल न हो।

मैं इन संशोधनों को सदन में पेश करता हूं।

(संशोधन संख्या 1699 और 1700 पेश नहीं किये गये।)

***माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर:** श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि अनुच्छेद 92 के खंड (3) के उपखंड (ख) में 'emoluments' शब्द के स्थान पर 'salaries' शब्द रख दिया जायें।''

हम साधारणत: इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं।

***श्री एच.वी. कामत** (मध्यप्रांत तथा बरार : जनरल): श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि अनुच्छेद 92 के खंड (3) के उपखंड (ख) के पश्चात् निम्न नया खंड जोड़ दिया जाये:

''(खख) मंत्रियों और संसद के सदस्यों के वेतन और भत्ते।' ''

श्रीमान्, मैं इस संशोधन पर बिल्कुल बोलना नहीं चाहता। मैं तो केवल यही जानना चाहता हूं कि, जब राष्ट्रपति, राज्य-परिषद् के सभापति और उपसभापति तथा लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की उपलब्धियों को भारत के राजस्व पर भारित व्यय माना गया है तो मंत्रियों और संसद के सदस्यों के वेतनों और भत्तों को भी ऐसे ही क्यों न समझा जाये?

***अध्यक्ष:** मंत्रियों के वेतनों पर सदन में मत लिया जाता है क्योंकि मंत्री लोग उत्तरदायी होते हैं।

***श्री. एच.वी. कामतः** राज्य-परिषद् का सभापति और उपसभापति, लोक सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष....

***अध्यक्षः** वे उस माने में उत्तरदायी नहीं हैं, जिस माने में मंत्री होते हैं।

श्री एच.वी. कामतः एक कठिनाई है, श्रीमान्। इस संविधान में किसी अनुच्छेद में यह नहीं लिखा है कि राज्य-परिषद् के सभापति और उपसभापति तथा लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन उनकी पदावधि में घटाये नहीं जायेंगे। किन्तु राष्ट्रपति के वेतनों और भत्तों के विषय में ऐसा उपबंध है। अतः यह प्रतीत होता है कि पूवोक्त व्यक्तियों के वेतन भत्तों को संसद बदल सकती है।

***अध्यक्षः** मुझे भय है कि आपका संशोधन तो उत्तरदायी मंत्रियों के समूचे सिद्धांत पर ही सीधा कुठाराघात है।

***श्री एच.वी. कामतः** श्रीमान्, मैं संशोधन को औपचारिक रूप में पेश करता हूं।

(संशोधन संख्या 1703, 1704 और 1705 पेश नहीं किये गये।)

***प्रो. के.टी. शाहः** अध्यक्ष महोदय, मैं सविनय प्रस्ताव करता हूं:

> ''कि अनुच्छेद 92 के खंड (3) के उपखंड (ङ) में 'or by Parliament by law' ये शब्द हटा दिये जायें।''

संशोधित प्रस्ताव फिर इस प्रकार बन जायेगा:

''any other expenditure declared by this Constitution to be so charged.''

यह मेरे विचार में देश के वित्तीय प्रशासन के संबंध में और व्यापक रूप से उसकी आर्थिक स्थिति के विषय में अतीव मूलभूत महत्त्व की बात है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत, संविधान में भारत के राजस्व पर भारित बहुत सी मदें उल्लिखित हैं—अब वह संचित निधि पर भारित होंगी, और इस प्रकार प्रत्येक वर्ष उन पर मतदान नहीं होना हैं। मेरे मतानुसार विभिन्न मदें एक तुल्य नहीं हैं। यदि इनमें से कुछ मदों को दलीय राजनीतिक झगड़ों से अलग रखना हो, यदि उन्हें कम से कम कुछ निश्चित समय के लिये सुनिश्चित और अपरिवर्तनशील रखना हो, जैसा कि राष्ट्रपति की पदावधि में उसके वेतन या भत्ते, या विधान मंडल के दोनों सदनों में पीठासीन प्राधिकारियों के वेतन और भत्ते या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, उत्तर वेतन या भत्ते तो यह ठीक ही है कि हम इन मदों को सीमित रखें या संख्या में यथासंभव कम रखें और आकार में कम रखें।

मेरे विचार में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिये कि ऐसी मदों को बढ़ाया जा सके या उनकी राशियों को बढ़ाया जा सके, जो कि सदन के वार्षिक मतदान से परे होंगी। यहां ही उल्लिखित बहुत सी मदें हैं जो मुझे अत्यधिक अनावश्यक दिखाई देती हैं और भारित सूची अथवा संचित निधि में उन्हें रखना बुद्धिहीनता दिखाई पड़ती है। उदाहरणार्थ मद (ग) को ही लीजिये जो उस ऋणभार के सम्बन्ध में है जिसके लिये भारत सरकार का दायित्व है। उसमें निक्षेप निधि के भार, विमोचन भार, अन्य व्यय जो ऋण उगाहने

से संबंध हो और ऋण संबंधी कार्य शामिल हैं जैसे ब्याज देना, आदि। यह ऐसी मद है जिसको भारत के राजस्व पर या संचित निधि पर भार बनाने की उपयुक्तता पर विवाद हो सकता है। मैं अच्छी तरह समझता हूं कि राष्ट्रीय प्रत्यय और उसके स्थायित्व के निमित्त यह बिल्कुल उचित है कि सामान्य ऋणभार पर प्रतिवर्ष मतदान न हो। साथ ही लोक वित्त के प्रत्येक विद्यार्थी को पता होगा कि प्राय: देशों को बार-बार अत्यन्त उच्च प्रत्यय-युक्त देशों को भी उनके स्थायी ऋण पर ब्याज की दर को बदलने या कम करने के लिये बाध्य होना पड़ता है। विगत में जितनी ऋण परिवर्तन योजनाओं को स्वीकार किया गया है और आज लागू किया जा रहा है, उनसे ब्याज की दर को और संविदे को एक पक्ष की ओर से ही बदल दिया गया है। यदि उन मदों पर मतदान न हो सकेगा, तो मुझे भय है कि समय-समय पर हमारे साधनों के अनुसार हमारे दायित्व को घटाने, बढ़ाने और खर्च में कमी करने की संभावना काफी कम हो जायेगी।

किन्तु यह देखते हुए कि हम संक्रमण काल में से गुजर रहे हैं और अपने राष्ट्रीय प्रत्यय का प्रयोग करने तथा विदेशों में उधार लेने के विषय में जो घरेलू तथा विदेश-संबंधी उलझनें पैदा हो सकती हैं उन्हें देखते हुए मैंने इस मद विशेष के संबंध में कोई संशोधन नहीं भेजा, यद्यपि मैं मानता हूं कि मैं इसे इस अनुच्छेद में समाविष्ट होते देखना नहीं चाहता।

यदि ब्याज और निक्षेप निधि भार को प्रतिवर्ष मतदान से अलग भी रखा जाये, तो भी मैं यह नही समझता कि दलाली या ब्याज के प्रशासन के लिये रिजर्व बैंक को दिये जाने वाले प्रबंध भार आदि भारों को भी इस प्रकार क्यों समाविष्ट किया जाये। मेरे विचार में ऐसा करना सचमुच अनुपयुक्त है। किन्तु मैंने अभी जो कारण बताया है, अर्थात् वर्तमान की नाजुक सी वित्तीय स्थिति को ध्यान में रख कर मैं चुप रह गया, अन्यथा इन मामलों पर भी मैं संशोधन पेश कर ही देता।

किन्तु जब आप ऐसे अव्यवस्थित उपबंध पर आते हैं जैसा कि उपखंड (ङ) में समाविष्ट है जिससे कि संसद को अधिकार मिल जाता है कि वह बाद में किसी भी खर्च की मद को ऐसी सूची में शामिल कर सकती है जिस पर मत नहीं लिये जा सकते तो मुझे भय है कि संविधान प्रथम सभा की शक्तियों के कम करने के लिये, उसके वित्तीय प्राधिकार को घटाने के लिये मार्ग खुला छोड़ देता है, जो कि मेरे मतानुसार अत्यन्त नासमझी की बात है और अस्वीकार्य है। यदि आप हमारे लोगों पर विश्वास करें, यदि आप यह विश्वास करें कि भावी संसद इन सब प्रयोजनों के लिये सम्पूर्ण-प्रभुत्व-सम्पन्न है, तो हमारे लिये इस अनुच्छेद में यह बात रखना अनावश्यक होगा, कि संसद उन मदों में परिवर्तन कर सकती है, जिन पर प्रतिवर्ष मतदान नहीं हो सकता। जब आप मतदान के योग्य सूची को बढ़ाने की शक्ति नहीं देते, तो फिर आप मतदान न होने वाली सूची को बढ़ाने की शक्ति क्यों देते हैं?

दूसरी ओर, यदि आप इस संविधान को एक प्रकार का निर्बंधकारी साधन ही बनाना चाहते हैं, यदि आप इस संविधान में यही बातें रखना चाहते हैं कि अमुक-अमुक बात ही संसद के मतदान से अपवर्जित होंगी, जैसा कि मेरे संशोधन में उपबंधित है, तो मेरा सुझाव है कि सर्वोत्तम उपाय यह होगा कि उन्हें संख्या में बहुत कम रखा जाये और परिमाण में भी यथासंभव छोटा ही रखा जाये। किन्तु आप जो उपबंध बना रहे हैं उसके द्वारा आप वित्तीय मामलों में संसदीय प्राधिकार को प्रभावहीन और निर्बन्धनयुक्त बना देना

[प्रो. के.टी. शाह]

चाहते हैं। क्योंकि एक बार किसी व्यय को वार्षिक मतदान से मुक्त कर दिया जाये तो जितना चाहे दुरुपयोग हो सकता है। कम से कम किसी वर्ष-विशेष में या संविधान के पुनरीक्षण तक संसद तो उसमें परिवर्तन नहीं कर सकती।

अत: मेरा सुझाव है कि यह बहुत गम्भीर मामला है जिस पर इस संविधान के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों को ध्यान देना चाहिये। मैंने जो संशोधन पेश किया है उसमें लोक आंकलन को बनाये रखने के लिये आवश्यक किसी रक्षण कवच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस अनुच्छेद से यह शक्ति मिल जाती है कि संचित निधि में अथवा राजस्व पर भार के रूप में कुछ मदों को शामिल किया जा सके जिन्हें वार्षिक मतदान से बाहर रखना आवश्यक और उपयुक्त हो। यह भावी संसद को प्रतिषिद्ध करता है कि वह विधि बना कर, अपने उत्तराधिकारियों की क्षमता से वित्तीय विवरण की कुछ मदों पर मतदान के अधिकार को हटा सके। स्मरण रखिये कि यह तो किसी प्रभुता सम्पन्न निकाय को अपने उत्तराधिकारी की शक्ति को कम करने का अधिकार देना है जो कि इस खंड में निहित उपाय द्वारा किसी संसद को अपने उत्तराधिकारी के विरुद्ध नहीं मिलना चाहिये। इससे बार-बार परिवर्तनों के लिये और दलीय प्रभावों अथवा उस प्रकार की अन्य संक्रमणकालीन बातों के लिये मार्ग खुल जायेगा, जो कि कम से कम अत्यधिक अवांछित है। अत: मैं यह संशोधन सदन में पेश करता हूं।

***अध्यक्ष:** डा. अम्बेडकर, प्रथम सूची की संख्या 7।

***माननीय डा. बी.आर अम्बेडकर:** श्रीमान्, मैं सविनय प्रस्ताव करता हूं:

''कि अनुच्छेद 92 के खंड (2) के उपखंड (क) और (ख) में 'Revenues of India' इन शब्दों के स्थान पर 'Consolidated Fund of India' ये शब्द रख दिये जायें।''

''कि अनुच्छेद 92 के खंड (3) में 'Revenues of India' इन शब्दों के स्थान पर 'Consolidated Fund of India' ये शब्द रख दिये जायें।''

''कि अनुच्छेद 92 के खंड (3) के उपखंड (घ) के पश्चात्, निम्न उपखंड रख दिया जाये:

(dd) The salary, allowances and pension payable to or in respect of the Comptroller and Auditor General of India.' ''

9 के विषय में, मुझे इतना ही कहना है कि सदन ने अनुच्छेद 124, खंड (5) पहले पारित कर दिया है, जिसमें विद्यमान संशोधन निहित है। अत: इसे यहां रखा गया है, क्योंकि यह अनुमान किया गया कि भार की संचित निधि पर भारित समस्त मदों को एकत्र कर देना अच्छा रहेगा, इसकी बजाय कि वे संविधान में यत्र तत्र बिखरी रहें।

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना** (संयुक्तप्रान्त : जनरल): श्रीमान्, मेरे माननीय मित्र श्री कामत ने एक रोचक संशोधन पेश किया है, जिसके अनुसार, 'संसद के सदस्यों के और मंत्रियों के वेतन और भत्ते' ये शब्द इस उपखंड में जोड़ दिये जायें जिससे कि वे भी भारत के राजस्व पर भारित हो जायें। इसका आशय यह है कि उन पर भी मतदान नहीं होगा, जिसका परिणाम यह होगा कि कार्यपालिका को हटाया नहीं जा सकेगा। इस

पर मुझे तो कुछ आश्चर्य सा है। भारत के राजस्व पर तो राष्ट्रपति, अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा महालेखापरीक्षक के वेतन ही भारित व्यय होंगे। वे अनुच्छेद 93 के अंतर्गत मतदान से विमुक्त हो जायेंगे। मैं नहीं कह सकता कि इन उच्च सम्मानित व्यक्तियों के वेतनों पर भी मतदान के अधिकार से राष्ट्र की सम्पूर्ण प्रभुत्व संपन्न संसद को वंचित क्यों किया जाये। शायद श्री कामत इस अनुच्छेद के उपबंधों को बिल्कुल बेहूदा ही बना डालना चाहते हैं; अन्यथा उनके संशोधन का कोई अर्थ नहीं है। मैं मानता हूं कि इन उपबंधों द्वारा हम संविधान में एक भयानक चीज समाविष्ट कर रहे हैं। प्रोफेसर शाह ने जो संशोधन रखा है कि अंतिम खंड को हटा दिया जाये, जिसमें लिखा है कि संसद किसी व्यय को मतदान से विमुक्त कर सकती है। उस संशोधन का मैं हृदय से समर्थन करता हूं। मेरे विचार में, संसार भर के संविधानों में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता और मैं चाहता हूं कि डा. अम्बेडकर हमें बतायें कि अनुच्छेद 93 का उपखंड (च) लोकतंत्रात्मक प्रक्रिया के अनुसार अनुरूप कैसे है। मेरा ख्याल है कि राष्ट्र की सम्पूर्ण-प्रभुत्व संपन्न संसद को व्यय की प्रत्येक मद पर मतदान का अधिकार होना चाहिये। यह युक्ति तो समझ में आ सकती है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, महालेखापरीक्षक और अध्यक्ष के वेतन राज्य के राजस्वों पर भारित हों। यह संभव है कि सत्तारूढ़ दल बहुमत द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतनों को मतदान में अस्वीकृत कर दे, जिससे कि न्यायाधीश सत्तारूढ़ दल को प्रसन्न करना चाहेंगे और इससे उनकी स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ेगा। किन्तु यह तो खींचातानी करना है और कोई दल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों आदि के वेतनों को कम करने का साहस नहीं कर सकता। किन्तु अन्य लोगों के वेतनों को भी मतदान से मुक्त कर देना न्याययुक्त नहीं है। खंड (च) को तो हटा ही देना चाहिये।

***अध्यक्ष:** मैं प्रो. शाह के संशोधन (1693) की प्रत्येक मद पर अलग अलग मत लूंगा।

प्रश्न यह है:

> ''कि अनुच्छेद 92 के खंड (1) में 'President' शब्द के पश्चात् निम्नलिखित पद जोड़ दिया जाये।
>
> 'or the Finance Minister acting under the authority of the President specifically given for the purpose.' ''

संशोधन अस्वीकृत हो गया।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

> ''कि अनुच्छेद 92 के खंड (1) में 'both the Houses' इन शब्दों के स्थान पर 'People's House' ये शब्द रख दिये जायें।''

संशोधन अस्वीकृत हो गया।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

> ''कि अनुच्छेद 92 के खंड (1) में 'estimated receipts' इन शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित शब्द प्रविष्ट कर दिये जायें:
>
> 'on revenue account as well as from borrowed moneys, or transfer of sums from other accounts to Revenue Account.'

संशोधन अस्वीकृत हो गया।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

''कि अनुच्छेद 92 के खंड (1) में 'expenditure' शब्द के पश्चात्, 'whether charged upon the revenues of India or on other account' ये शब्द जोड़ दिये जायें।

संशोधन अस्वीकृत हो गया।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

''कि खंड (1) के अंत में, निम्न परन्तुक जोड़ दिया जाये:

'किन्तु एक बार जब वार्षिक वित्तीय विवरण संसद में पेश हो जाये और संसद उस पर विचार आरंभ कर दे, तो राष्ट्रपति को या उसके नाम से कार्य करने वाले किसी मंत्री को, या अन्य किसी व्यक्ति को, यह क्षमता नहीं होगी कि वे उसमें किसी प्रकार कोई परिवर्तन या रूपभेद कर सके, अथवा समस्त विवरण को वापस ले सके; और कि केवल लोक सभा ही उस प्रस्तुत वित्तीय विवरण को अंशत: या पूर्णत: परिवर्तित या संशोधित कर सकेगी, या उसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगी; और यह भी शर्त है कि केवल लोक सभा या संसद को ही वित्तीय विवरण में रूपभेद, वृद्धि या हेरफेर करने की या उसे अंश में या पूर्णरूप में स्वीकार करने या अस्वीकार करने की क्षमता होगी।' ''

संशोधन अस्वीकृत हो गया।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

''कि अनुच्छेद 92 के खंड (1) के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड जोड़ दिया जाये:

'(1क) जब संसद की लोक सभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पेश किया जाता है तब राष्ट्रपति राज्य-परिषद् के सदस्यों को संसद की लोक सभा में उपस्थित होने के लिये आमंत्रित कर सकता है।' ''

संशोधन अस्वीकृत हो गया।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

''कि अनुच्छेद 92 के खंड (3) के उपखंड (ख) में 'emoluments' शब्द के स्थान पर 'salaries' शब्द रख दिया जाये।''

संशोधन स्वीकृत हो गया।

***श्री एच.वी. कामत:** श्रीमान्, क्या मैं अपने संशोधन संख्या 1702 को वापस लेने के लिये सदन की अनुमति मांग सकता हूं?

संशोधन सभा की अनुमति से, वापस ले लिया गया।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है;

''अनुच्छेद 92 के खंड (3) के उपखंड (ङ) में 'or by Parliament by law' ये शब्द हटा दिये जायें''

संशोधन अस्वीकृत हो गया।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

''कि अनुच्छेद 92 के खंड (2) के उपखंड (क) और (ख) में 'revenues of India' इन शब्दों के स्थान पर 'Consolidated Fund of India' ये शब्द रख दिये जायें।''

संशोधन स्वीकृत हो गया।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

''कि अनुच्छेद 92 के खंड (3) में 'revenues of India' इन शब्दों के स्थान पर 'Consolidated Fund of India' ये शब्द रख दिये जायें।''

संशोधन स्वीकृत हो गया।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

''कि अनुच्छेद 92 के खंड (3) के उपखंड (घ) के पश्चात्, निम्न उपखंड प्रविष्ट कर दिया जाये:

'(dd) the salary, allowances and pension payable to or in respect of the Comptroller and Auditor-General of India.' ''

संशोधन स्वीकृत हो गया।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

''कि संशोधित रूप में अनुच्छेद 92 संविधान का भाग हो।''

प्रस्ताव स्वीकृत हो गया।

संशोधित रूप में अनुच्छेद 92 संविधान में जोड़ दिया गया।

अनुच्छेद 93

(संशोधन संख्या 1707 पेश नहीं किया गया।)

***प्रो. के.टी. शाह:** श्रीमान् मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि अनुच्छेद 93 के खंड (1) में 'Parliament' शब्द के पश्चात् 'unless Parliament has by law previously passed in any year for that purpose enacted that any expenditure under article 92 (3) shall be deemed not to be charged on the revenues of India' ये शब्द जोड़ दिये जायें।''

यहां भी वित्तीय मामलों में, संसद की प्रभुता, वरन् लोक सभा की प्रभुता के सिद्धांत को ही मैं स्थापित करना चाहता हूं। अत्यधिक लोक व्यय को एकमात्र करके संचित निधि में डाल देना और फिर उसे संसद के मतदान से परे रख देना, मेरे विचार में, आपत्तिजनक है, इससे व्यय पर संसदीय नियंत्रण कम हो जायेगा, चाहे यह भी मान लिया जाये कि ये राशियां संचित निधि में रखना अपेक्षित है। आज की विशेष परिस्थितियों में ऐसा आचरण

[प्रो. के.टी. शाह]

चाहे अपेक्षित हो पर मैं नहीं चाहता कि संसद को संविधान के अधीन जरा भी यह अधिकार न रहे कि वह इन मतदान के विमुक्त मदों में से कुछ भी कम कर सके, चाहे वह विधि द्वारा यह चाहे कि उन्हें समाविष्ट न किया जाये।

अत: मैं चाहता हूं कि आगे से यह शक्ति संसद को दे दी जाये कि वह पूर्ववर्त्ती वर्ष में ऐसा विधान बना सके कि अनुवर्ती वर्ष में एक विशेष मद को उस समय से भारत के राजस्व पर या संचित निधि पर भार नहीं समझा जायेगा, जिससे कि उस पर सदन को मत देने का अधिकार हो जायेगा। भारत की विशेष परिस्थितियों में जिन राशियों को संचित निधि में समाविष्ट किया जाये, संसद को उन्हें विधि द्वारा उस निधि में से निकाल लेने का अधिकार होना चाहिये।

मत योग और मत विमुक्त मदों में अन्तर करने की प्रणाली पर अथवा उन राशियों में जिन पर संसद प्रतिवर्ष मत देगी और उन राशियों में जिन पर मतदान नहीं हो सकता, वाद-विवाद हो सकता है, विभेद करने का आचरण पूर्ववर्ती शासन की देन है, जिस पर मेरे विचार में, प्रबल आपत्ति हो सकती थी और आज और भी प्रबलतर आपत्ति हो सकती है। उस शासन सत्ता के विषय में, नि:संदेह, यह समझा जा सकता है कि ऐसी कई व्यय की मदें थी, जिन्हें वह भारतीय जनता के प्रतिनिधियों के समक्ष लाने की चिंता नहीं करती थी, साहस नहीं करती थी। उदाहरणार्थ उसका वृहद प्रतिरक्षा-व्यय, अथवा उसके गृह प्रभार, आदि पर यदि संसद को मत देने का अधिकार होता तो कभी आयव्ययक पारित ही नहीं हो सकता। किन्तु उसी प्रकार आचरण करने के लिये आज के प्राधिकारी तो ऐसा बहाना नहीं बना सकते। वर्तमान संसद अथवा इस संविधान के अंतर्गत संसद सर्वोपरि वित्तीय प्राधिकारी होगी। वह सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न विधान-निकाय होगा जिसे व्यय की प्रत्येक मद पर विचार करने और मतदान करने का अधिकार होना चाहिये। इस विषय में, विद्यमान अनुच्छेद में उपबन्धित है कि वाद-विवाद हो सकता है; किन्तु पूर्ववर्त्ती अनुच्छेद में वर्णित कुछ मदों पर, जो कि राजस्व पर या संचित निधि पर भारित कही जाती हैं, कोई मतदान नहीं होगा।

मेरे विचार में यह तो जले पर नमक छिड़कना है। आप विधान मंडल से कहते हैं ''तुम्हें ऐसी मदों पर बहस करने का हक है, पर तुम्हें मत देने का हक नहीं है।'' ऐसे व्यर्थ वाद-विवाद से क्या लाभ है जो निराशा उत्पन्न करने वाला हो, जिसका परिणाम केवल अनुत्तरदायी, विनाशकारी, नकारात्मक आलोचना ही हो सकती है, जो हमारे नेताओं को बहुत नापसंद है।

अत: मुझे इस अनुच्छेद के लिये कोई औचित्य दिखाई नहीं देता, सिवाय इस युक्ति के, जो आजकल प्राय: दी जाती है, कि असाधारण परिस्थितियां हैं, या आजकल हमारे आंकलन और वित्त की नाजुक स्थिति है। अत: यदि आप आज की असाधारण स्थिति में उस चीज को स्वीकार करने के लिये राजी भी हो जायें जो कि मेरे विचार में मूलत: आपत्तिजनक है, तब भी मेरे विचार में कम से कम भविष्य के लिये तो संसद के लिये गुंजाइश रखनी चाहिये जिससे कि वह विधि द्वारा, अर्थात् उस विधि विशेष के उपबंधों तथा सिद्धांत पर गम्भीर विचार करने के पश्चात् यह विधान निर्मित कर सके कि भारित सूची में से, अथवा मतदान से विमुक्त सूची में से कोई मद हटा दी जायेगी और उस पर संसद को मतदान का हक हो जायेगा।

यह सर्वथा संभव है, उदाहरणार्थ, राष्ट्र ऋण के विषय में जो कि राजस्व पर भारित है, अथवा उस ऋण के प्रबंध के भार के विषय में जो कि बड़ी राशि बन सकता है, संसद द्वारा जांच करने और मतदान करने की मांग की जा सकती है और यह शायद उस पर वाद-विवाद से ही संतुष्ट न हो। ऐसे मामले में, मैं यह तो नहीं कह रहा कि संसद मूलभूत संविधान को बदल दे, किन्तु संविधान के अधीन, राष्ट्रीय विधान मंडल को यह अधिकार होना चाहिये कि वह किसी पूर्ववर्त्ती वर्ष में कोई विधि बना सकती है, कि अनुवर्त्ती वर्ष में उसे भारित या मतदान से विमुक्त सूची में उल्लिखित कुछ निर्दिष्ट मदों पर वाद-विवाद करने तथा मत देने का भी हक होगा।

अत: यह मांग करते समय मैं इस अनुच्छेद की योजना में कोई आधारभूत परिवर्तन नहीं कर रहा हूं। मैं तो केवल यही सुझाव दे रहा हूं कि संसद की शक्ति सदा के लिये कार्यपालिका के पास रहने नहीं देनी चाहिये, जैसा कि इस संविधान में किया जा रहा है; और विधान मंडल को भारित सूची में से कोई-कोई मद वापस लेने का अधिकार होना चाहिये, जो इस समय राजस्व पर भारित है और उसे सदन के मतदान के लिये खुला छोड़ देने का अधिकार होना चाहिये। मैं यह प्रस्ताव सदन में पेश करता हूं।

(संशोधन संख्या 1709 और 1710 पेश नहीं किये गये।)

***माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर:** श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि अनुच्छेद 93 के खंड (1) में 'revenues of India' इन शब्दों के स्थान पर 'Consolidated Fund of India' ये शब्द रख दिये जायें।''

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

''कि अनुच्छेद 93 के खंड (1) में 'Parliament' शब्द के पश्चात् 'unless Parliament has by law previously passed in any year for that purpose enacted that any expenditure under article 92 (3) shall be deemed not to be charged on the revenues of India' ये शब्द जोड़ दिये जायें।''

संशोधन अस्वीकृत हो गया।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

''कि अनुच्छेद 93 के खंड (1) में 'revenues of India' इन शब्दों के स्थान पर 'Consolidated Fund of India' ये शब्द रख दिये जायें।''

संशोधन स्वीकृत हो गया।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

''कि संशोधित रूप में अनुच्छेद 93 संविधान का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हो गया।

संशोधित रूप में अनुच्छेद 93 संविधान में जोड़ दिया गया।

अनुच्छेद 94

***माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर:** श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि अनुच्छेद 94 के स्थान पर निम्न अनुच्छेद रख दिया जाये—

'94. *विनियोग विधियेक* (1) लोक सभा द्वारा अनुच्छेद 113 के अधीन अनुदान किये जाने के बाद यथासंभव शीघ्र भारत की संचित निधि में से–

(क) लोक सभा द्वारा इस प्रकार किये गये अनुदानों की, तथा

(ख) भारत की संचित निधि पर भारित, किंतु संसद के समक्ष पहले रखे गये विवरण में दी हुई राशि से किसी भी अवस्था में अनधिक व्यय की पूर्त्ति के लिये अपेक्षित सब धनों के विनियोग के लिये विधेयक पुर:स्थापित किया जायेगा।

(2) इस प्रकार किये गये किसी अनुदान की राशि में फेरफार करने अथवा अनुदान के लक्ष्य को बदलने, अथवा भारत की संचित निधि पर भारित व्यय की राशि पर फेरफार करने का प्रभाव रखने वाला कोई संशोधन, ऐसे किसी विधेयक पर, संसद के किसी सदन में प्रस्थापित न किया जायेगा तथा कोई संशोधन इस खंड के अधीन अप्रवेश्य है या नहीं इस बारे में पीठासीन व्यक्ति का विनिश्चय अंतिम होगा।

(3) अगले दो अनुच्छेदों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, भारत की संचित निधि में से इस अनुच्छेद के उपबंधों के अनुसार पारित विधि द्वारा किये गये विनियोग के अधीन निकालने के अतिरिक्त और कोई धन निकाला न जायेगा।' ''

जैसा कि मैंने कल स्पष्टीकरण किया था, इस नये अनुच्छेद 94 का उद्देश्य पुराने अनुच्छेद के उपबंधों का स्थान लेना है जो कि गवर्नर-जनरल द्वारा एक अनुसूची के प्रमाणीकरण के विषय में था।

(संशोधन संख्या 1711 से 1716 तक पेश नहीं किये गये।)

***अध्यक्ष:** क्या कोई सदस्य नये प्रस्तुत किये गये नये अनुच्छेद पर कुछ कहना चाहता है?

***माननीय श्री के. सन्तानम्** (मद्रास : जनरल): श्रीमान्, पुराने अनुच्छेद के स्थान पर इस नये अनुच्छेद को रखने में चाहे कुछ बड़ी आपत्ति न हो, पर मेरा यह ख्याल तो हो ही जाता है कि हमारी प्रक्रिया पर यह एक अनावश्यक औपचारिकता थोपी जा रही है। नि:संदेह डा. अम्बेडकर ने स्पष्ट कर दिया था कि हम अपनी प्रक्रिया को हाउस आफ कामन्स की प्रक्रिया के अनुरूप बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, किन्तु एक सारवान अन्तर है जिसको उन्होंने नहीं लिया है। हाउस आफ कामन्स में, प्राकल्लनों पर मतदान समिति में होता है, समस्त सदन समिति के रूप में बैठता है। वहां जो मतदान होता है, उसकी कानूनी वैधता नहीं होती। अत: उन्हें उस मतदान को कानूनी वैधता प्रदान करने के लिये एक विशेष विनियोग विधेयक पेश करना पड़ता है। किन्तु हमारी प्रक्रिया यह है कि

अनुदानों की मांगों पर भरे सदन में मतदान होता है जब कि अध्यक्ष पीठासीन होते हैं। अत: वह मतदान उतना ही वैध होता है जितना कि वह विनियोग अधिनियम होगा। एक बार सदन में मतदान होने के पश्चात् किसी के लिये उसे बदलना संभव नहीं है। अत: मैं नहीं समझ पाता कि हम पुन: विधेयक की प्रक्रिया क्यों करें और मतदान क्यों लें? आखिर, यह तो उपबंधित है ही कि आप विधेयक में कुछ भी परिवर्तन कर ही नहीं सकते। जब सदन ने विधि रूप में कुछ कर दिया हो, तब मैं नहीं समझता कि उसे पुन: विधेयक के रूप में लाकर और वक्तृताएं करवाने तथा विधान मंडल के दो तीन दिन बरबाद करने का क्या अभिप्राय है।

डा. अम्बेडकर ने कहा कि राष्ट्रपति को प्रमाणीकरण करने की शक्ति देना सांविधानिक रूप से आपत्तिजनक है। यदि यह आपत्ति हो, तो मेरा निवेदन है कि जो कुछ पारित हो उसका अध्यक्ष ही प्रमाणीकरण करे। अत: समस्त औपचारिकता को हटाया जा सकता है।

मंच पर आने का मेरा उद्देश्य इस पर बोलना इतना नहीं है, जितना कि खंड (3) पर बोलना है—मैं सदन का ध्यान इस अनुच्छेद के खंड (3) की ओर आकृष्ट करता हूं, मैं चाहता हूं कि इसके पूर्ण आशय को समझ कर ही इस पर मत दें। इसमें कहा गया है:

> ''अगले दो अनुच्छेदों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, भारत की संचित निधि से इस अनुच्छेद के उपबंधों के अनुसार पारित विधि द्वारा किये गये विनियोग के अधीन निकालने के अतिरिक्त और कोई धन निकाला न जायेगा।''

अनुच्छेद 93 में अनुपूरक या अपर अनुदानों का उपबंध है। अत: खंड (3) का अर्थ यह है कि अनुपूरक या अपर अनुदानों के प्रयोजन के लिये संसद के मतदान के बिना भी धन निकाला जा सकता है। क्या यही प्रयोजन है? मैं यह समझ सकता हूं कि सरकार अपनी जोखिम पर व्यय कर दे, किन्तु संसद में मतदान होने तक रकम का भुगतान रुका रहना चाहिये। किन्तु खंड में लिखा है कि संसद द्वारा मतदान के बिना ही संचित निधि में से रुपया दिया जा सकता है। मेरे विचार में, मतदान बिना धन न दिया जाये, इस बात के लिये हमारे समस्त प्रयत्न इससे व्यर्थ हो जाते हैं। अत: मेरा सुझाव है कि खंड (3) हटा दिया जाना चाहिये और अनुच्छेद 95 में अपेक्षित उपबंध बना देना चाहिये। मेरा सुझाव है कि विधि को प्रभावी बनाने के लिये यह अत्यावश्यक है।

मैं मानता हूं कि वित्त पर संसद की शक्ति प्रभावी होनी चाहिये। इसे प्रभावी रखने के विषय में मैं इतना ही सख्त हूं जितने कि श्री सिधवा हैं। किन्तु हमें प्रभावी होने का ढोंग करके इसे अन्य एक उपबंध द्वारा प्रभावशून्य नहीं बना देना चाहिये। यदि खंड (3) रहे, तो एक अरब रुपये अनुरूपक या अधिकाई अनुदानों के रूप में व्यय किये जा सकते हैं और फिर सारी चीज संसद के समक्ष केवल अनुसमर्थन मात्र के लिये आयेगी। अत: नये अनुच्छेद का खंड (3) हट जाना चाहिये।

***श्री आर.के. सिधवा** (मध्यप्रांत और बरार : जनरल): अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र श्री सन्तानम् ने सुझाव दिया है कि डा. अम्बेडकर के संशोधन में से खंड (3) को निकाल दिया जाये।

***माननीय श्री के. सन्तानम्:** समूचा खंड (3) नहीं। मैं तो इन शब्दों को ही हटाना चाहता हूं कि ''Subject to the provisions of the next two succeeding articles'' अनुच्छेद 95 होना चाहिये। मुझे तो 'two succeeding articles'' पर ही आपत्ति है। मुझे यहां खंड (3) में अनुच्छेद 96 के रहने पर कोई आपत्ति नहीं है।

***श्री आर.के. सिधवा:** मैं आपकी बात को ठीक-ठीक समझ गया हूं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि अनुच्छेद 92 में जो नये उपबंध रखे गये थे कि धन-विधेयकों के प्रश्न पर अधिक गौर किया जाये, उन पर सदन ने कितना हर्ष प्रकट किया था। मेरे मित्र श्री सन्तानम् भी यही चाहते हैं वे भी उसे अधिक प्रभावी बनाना चाहते हैं। किन्तु उनका तर्क यह है कि दूसरा विधेयक लाकर सदन को दो तीन दिन और भी वक्तृताएं देने और युक्तियों को दोहराने का वक्त देकर, समय क्यों बरबाद करते हैं? उनका ख्याल यह है कि ऐसी अनावश्यक प्रक्रिया में सदन का समय व्यर्थ जायेगा। इस मामले में मैं उनसे सहमत नहीं हूं। इसके विपरीत इस उपबंध से पहले किये गये कार्य की एक बार और जांच हो जायेगी। अत: इसमें कोई गलती नहीं है। अनुच्छेद 92 के अन्तर्गत, जो कि हमने पारित किया है, हम चाहते हैं कि हमारी सारी वित्तीय प्रक्रिया प्रभावी होनी चाहिये। इस कारण, यह खंड नितांत आवश्यक है। जैसा कि मैंने उस दिन कहा था, वित्त संबंधी मामलों में समय का प्रश्न विचारणीय नहीं होता। केवल इसी प्रकार के उपबंध से उस व्यय की पूरी और व्यापक जांच हो सकती है जो कार्यपालिका समय-समय पर करती है। यदि आप इसे हटा देते हैं तो हम जिस उद्देश्य पर अपना ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं, वही असफल हो जायेगा। अत: मैं अनुभव करता हूं कि विद्यमान रूप में संशोधन स्वीकृत हो जाना चाहिये। यदि आप इसमें से कुछ कम कर देंगे, तो इसका महत्त्व घट जायेगा। मैं नहीं समझता कि श्री सन्तानम् ने अपने सुझाव को युक्तियों से प्रमाणित कर दिया है। मुझे विश्वास है कि वे मंत्री न होते तो इस अनुच्छेद का समर्थन ही करते। अब वे यह अनुभव करते हैं कि आय-व्ययक तथा धन विधेयक यथासंभव शीघ्र निबटा दिये जाने चाहिये। मैंने उनकी यह भावना देख ली है, किंतु मैं उनसे कहता हूं कि वे सदस्यों की भावना का भी ध्यान रखें, क्योंकि उन्हें भी कर्त्तव्यों का निर्वहन करना है। जब सदस्य कार्यपालिका के काम पर नजर रखना चाहें, तब उन्हें रोड़ा नहीं अटकाना चाहिये। मंत्रियों के कामों पर संसद में सदस्य ही प्रश्न कर सकते हैं। अत: यह संशोधन स्वीकृत हो जाना चाहिये, जो सदन को संतुष्ट करने की इच्छा से पूरे विचार के पश्चात् पेश किया गया है।

***श्री नजीरुद्दीन अहमद** (पश्चिमी बंगाल : मुस्लिम): श्रीमान्, मैं इस संशोधन के गुणावगुण पर कुछ नहीं कहना चाहता। अनुभवी विशेषज्ञ इस संशोधन के कुछ उपबंधों से असहमत हैं। पर मैं सदन का ध्यान संविधान में नये संशोधन रखने की बढ़ती हुई और भयानक प्रवृत्ति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

आप पहले ही निर्णय कर चुके हैं कि संशोधनों पर संशोधन दिये जा सकते हैं पर संविधान पर नये संशोधन पेश नहीं किये जाने चाहिये। प्रथम सूची का संशोधन संख्या 11 अनुच्छेद 94 का पूरा स्थान ले लेता है; संशोधन संख्या 12 अनुच्छेद 95 का स्थान

तथा संशोधन सं. 13 अनुच्छेद 96 का स्थान पूरी तरह ले लेता है। ये संशोधन नये हैं और वे संविधान पर संशोधन हैं। मैं केवल नियम-संबंधी आपत्ति नहीं उठा रहा हूं, पर इनमें अत्यन्त गम्भीर परिवर्तन निहित हैं। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है कि हम संविधान के मस्विदे पर जिस प्रकार विचार कर रहे हैं, हम जिस प्रकार आगे और पीछे जा रहे हैं, कभी एक अनुच्छेद यहां ले लेते हैं और फिर उछल कर उस अनुच्छेद पर वहां पहुंच जाते हैं, मेरे विचार में, इससे ऐसी विसंगतियां तथा असंगतियां उत्पन्न हो जायेंगी, ठीक वक्त पर जिनका पता नहीं लगाया जा सकता। इसी कारण मैंने सुझाव रखा था कि हमारे पास मस्विदा समिति से अन्तिम मस्विदा आ जाना चाहिये। आप जो कुछ रखना चाहते हैं उसका एक पूरा चित्र सदन के समक्ष होना चाहिये। इसके स्थान पर, हमारे ऊपर प्रतिदिन सर्वथा नये संशोधनों, नये भावों और नये विचारों की वर्षा की जाती है। यह अत्यन्त कठिन और असुविधाजनक तो है ही, चाहे बहुत गड़बड़ की बात न हो, मेरा निवेदन है कि, श्रीमान्, मैंने कुछ दिन पूर्व जो सुझाव दिया है कि कुछ दिन तक कार्य स्थगित कर देना चाहिये, जिससे कि मस्विदा समिति को अपने विचारों का पूरा चित्रण देने का पूरा समय मिल सके और हम पूरी तरह तैयार हो कर आ सकें। दुर्भाग्यवश उस समय मेरे सुझाव का अर्थ विलम्बकारी कार्यवाही लगाया गया। मेरे मन में ऐसी कोई भी बात नहीं थी। मुझे संविधान के मस्विदे में, जैसे कि वह स्वीकृत हुआ है, बहुत सी असंगतियां दिखाई दी हैं और मैं नहीं जानता कि इन निर्दोष दिखाई देने वाले नये संशोधन में कितनी भूले रह गई हैं। श्रीमान्, मैं कहता हूं कि आप इस पर विचार करें कि दिन प्रतिदिन जो संशोधन संविधान में भेजे जाते हैं उन पर विचार करना क्या सदस्यों के लिये सरल या सुगम हो सकता है। मैं मानता हूं कि मेरे में ऐसी दिमागी शक्ति नहीं है जैसी कि कुछ अन्य सदस्यों में है। मैं इन चीजों को कुछ धीरे-धीरे समझ पाता हूं, अतः मैं चाहता हूं कि इस तरह काम हो कि मेरे जैसा धीरे-धीरे चलने वाला सदस्य उसे आसानी से समझ सके। मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस कठिन स्थिति के समाधान के लिये कुछ न कुछ किया जाना चाहिये। इस समय तो यह हालत है कि जब माननीय डा. अम्बेडकर खड़े होकर कोई नया खंड पेश करते हैं तो सदन को लकवा सा मार जाता है। अधिकांश उसे समझ नहीं पाते और उसे यों ही पारित कर देते हैं। कई बार सामान्य वाद-विवाद आरम्भ होने के पश्चात् भी डा. अम्बेडकर ने संशोधन का सुझाव रख दिया और वह स्वीकृत हो गया। यदि यही इच्छा है कि सदस्यों को केवल उनकी बात सुन कर शिष्टाचार के नाते उसे मान ही लेना चाहिये, तो फिर ठीक है। किन्तु मैं यह कहता हूं कि प्रत्येक सदस्य का यह कर्त्तव्य है कि वह यहां की कार्यवाही को समझे।

***अध्यक्षः** मुझे भय है कि माननीय सदस्य की यह शिकायत उचित नहीं है। इस संशोधन विशेष की सूचना 28 मई को ही दे दी गई थी, जिसे अब लगभग एक पखवाड़ा हो गया है, और इसे काफी लम्बी बहस के पश्चात् लिया गया है जो कल इन संशोधनों के बारे में हुई थी। मैं नहीं समझता कि कोई सदस्य आश्चर्यचकित रह गया हो, विशेषतः इन अनुच्छेदों के विषय में, जिनमें कि प्रक्रिया संबंधी आधारभूत परिवर्तनों का सुझाव रखा गया है।

***श्री नजीरुद्दीन अहमदः** मैंने तो इन अनुच्छेदों का हवाला उदाहरण के रूप में ही दिया है। हमारे समक्ष प्रतिदिन बिल्कुल नये विचार पेश किये जाते हैं। हमारे समक्ष ऐसे संशोधन आते हैं जो नये विचारों के अतिरिक्त कुछ नहीं होते। मैं इस प्रवृत्ति के विरुद्ध

[श्री नजीरुद्दीन अहमद]

हूं, जो कि सदस्यों के लिये गड़बड़ पैदा करने वाली है और असुविधाजनक है। सब सदस्यों के लिये इन परिवर्तनों को समझना आसान नहीं है। विद्यमान संशोधनों के विरुद्ध ही मेरी शिकायत नहीं है, वरन् प्रतिदिन नये विचार रखे जाते हैं और उन्हें दिन प्रतिदिन बदला जाता है और अन्तिम समय में कुछ सुझाव रखा जाता है और हमें उस पर स्वतः सहमत होना पड़ता है। मैं कहता हूं कि मेरी बातें विलम्ब करने वाली नहीं होती, बल्कि मामले को सरल बनाने वाली होती हैं। यही असुविधायें कुछ अन्य सदस्यों को होती हैं और मैंने उन्हें यहां आकर आपके समक्ष पेश करने का साहस किया है।

***अध्यक्षः** जब हम संविधान पर विचार कर रहे हैं तो हम नये विचारों को सर्वथा आने से रोक नहीं सकते। समय-समय पर परिवर्तन होने आवश्यक हैं और जब भी परिवर्तन होंगे, हमें उनके अनुसार कार्य करना होगा। अतः सभापति ने देर में भी संशोधनों के पेश होने की अनुमति देने का अधिकार सुरक्षित रखा है, यदि वह यह समझे कि संशोधन ऐसा है कि उस पर विचार करना चाहिये। यदि किसी सदस्य से कोई शिकायत आये कि किसी संशोधन विशेष पर विचार करने के लिये समय दिया जाना चाहिये, तो उस पर सदा विचार किया जायेगा। जहां तक इन संशोधनों का संबंध है, मेरे विचार में, हमें उन पर विचार करने के लिये पर्याप्त समय मिल चुका है।

***श्री नजीरुद्दीन अहमदः** मेरा निवेदन तो केवल यही है कि इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये कुछ कार्यवाही करनी चाहिये, या सदस्यों को कम से कम उन्हें समझने के लिये समय मिलना चाहिये। यह तो एक सामान्य शिकायत के रूप में है। आजकल नये संशोधन पेश करने की प्रवृत्ति है जो संविधान को ही बदलने के लिये होते हैं। इस प्रवृत्ति से गड़बड़ होती है और सदस्यों को असुविधा होती है। आपके निर्णय के विषय में मैंने कुछ नहीं कहा था। परिवर्तनों की आवश्यकता को तो मैं मानता हूं, किंतु जिस प्रकार ये संशोधन आ रहे हैं, उसे देखकर मुझे सचमुच निराशा होती है। यदि एक दो मामले ही होते, तो अलग बात होती, किंतु संविधान में नये संशोधन बहुत ही आ रहे हैं।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी** (मद्रास : जनरल): अध्यक्ष महोदय, अनुच्छेद 94 के स्थान पर नया अनुच्छेद रखने के संशोधन पर डा. अम्बेडकर ने परसों पूरा प्रकाश डाला था, जब कि वे वित्तीय नियंत्रण के विषय में परिवर्तन करने की मस्विदा समिति की योजना के विषय में बोल रहे थे। उन्होंने यह काफी स्पष्ट कर दिया था कि विनियोग विधेयक का सुझाव राष्ट्रपति द्वारा प्रमाणीकरण करने की प्रणाली का स्थान लेने के लिये रखा गया था, जो कि अब तक प्रचलित थी और उसके कारण ऐसे थे जो कि हम देश में जो ढांचा बनाना चाहते हैं उससे बिल्कुल भिन्न थे। श्रीमान्, यह भी समझ लेना चाहिये कि प्रक्रिया में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है। डा. अम्बेडकर ने बहुत प्रयत्न करके सदन को स्पष्ट किया था कि ये परिवर्तन केवल क्षमता प्रदान करने वाले हैं, जो संसद को शक्ति देते हैं कि वह चाहे तो वित्तीय नियंत्रण की योजना में परिवर्तन कर सकती है और आयव्ययक के वाद-विवाद तथा उसकी प्रक्रिया में परिवर्तन कर सकती है और उन्होंने नये प्रस्तावित अनुच्छेद अर्थात् 98-क की ओर ध्यान आकर्षित करके भी ठीक ही किया था, जिससे कि संसद को पूरा हक और स्वतंत्रता होगी कि वह अपनी इच्छानुसार प्रक्रिया

निश्चित करने के विषय में जो कुछ चाहे कर सकती है। सदन के समक्ष अनुच्छेद में सार के विषय में नहीं, केवल नाम संबंधी परिवर्तन अन्तर्गत है। इसकी बजाय कि सदन में अनुदानों पर मतदान के पश्चात् राष्ट्रपति विनिश्चयों का प्रमाणीकरण करे, सदन अपना यह कर्त्तव्य बना लेता है कि वह कार्यपालिका से उन सब विनिश्चयों को ठोस रूप में पेश करवाये और बाद में उनका अनुमोदन करे और ऐसे विनियोग विधेयक के विषय में वाद-विवाद के नियम भी संसद ही बनायेगी या जब तक वह स्वयं नहीं बनायेगी तब तक के लिये सदन का अध्यक्ष बनायेगा। श्रीमान्, मैं अपने माननीय मित्र, श्री सन्तानम् की शिकायत का आधार उसकी वैधता को समझने में असफल हूं, जो कि उनके पूर्ववर्त्ती वक्ताओं के कथनानुसार, संविधान के तथा सदन की प्रक्रिया के सर्वाधिक सुविज्ञ आलोचकों में से हैं और जो कि मंत्री पद पर नियुक्त होने से पूर्व संसद में आय-व्ययक की कार्यवाही में पर्याप्त रुचि रखते थे। स्पष्ट है कि उनकी आपत्ति आधारभूत नहीं थी, यद्यपि इस प्रकार के संशोधन की आवश्यकता को वे अनुभव नहीं कर सके। मस्विदा समिति द्वारा प्रस्तावित परिवर्तन पर उन्होंने कोई मूल आपत्ति नहीं उठाई। श्रीमान्, उन्होंने अनुच्छेद 94 के खंड (3) पर, जो आगे आने वाले अनुच्छेदों 95 और 96 के प्रवर्तन को संभव बनाने के लिये है, जो आपत्ति उठाई है, वह मेरे विचार में, इस योजना को ठीक न समझने के कारण है।

श्रीमान्, अनुच्छेद 95 में कार्यपालिका के दो कृत्य समाविष्ट हैं, जिनमें से एक संसद द्वारा बाद में, अर्थात् घटना के पश्चात्, अनुमोदित हो जायेगा—मैं यह संक्षेप में स्पष्ट कर देता हूं यदि मुझे सदन अनुमति दे, क्योंकि यह बात डा. अम्बेडकर इस पर अपना संशोधन पेश करते समय समझायेंगे। वास्तव में अनुपूरक अथवा अधिकाई अनुदानों का अनुमोदन करते समय, संसद अथवा कोई विधान मंडल सदा एक काम के हो जाने के पश्चात् उस पर विचार करता है। यह निश्चय ही घटना के पश्चात् का विनिश्चय होता है। मेरे माननीय मित्र श्री सन्तानम् कहते हैं: ''आप प्रक्रिया को तंग बनाना चाहते हैं। आप ऐसा क्यों होने देते हैं कि कार्यपालिका व्यय कर दे और तत्पश्चात् संसद के पास अनुमोदन के लिये आये, प्राक्कलनों में, पारित अनुदानों में, और सदन द्वारा अनुमोदित आंकड़ों से हट जाये और फिर बाद में अनुमोदन के लिये संसद के पास आये?''

***माननीय श्री के. सन्तानम्:** मैं व्यय पर नहीं वरन्, संचित निधि में से अनुदान पर आपत्ति कर रहा था।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** मैं उस बात पर आ रहा हूं। वास्तव में यह तो सरल तथ्य को विद्वतापूर्ण ढंग से देखने का तरीका है। व्यय की मंजूरी, कोई प्रतिज्ञा करना और उस वचन को पूरा करने के लिये धन देना, सब एक ही बातें हैं। आप सरकार से यह नहीं कह सकते कि वह प्रतिज्ञा तो कर ले और फिर आप कह दें कि संसद धन नहीं देगी, जब कि सरकार प्रतिज्ञा कर चुकी है। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई सरकार संसद को उस प्रतिज्ञा के पूरा करने के लिये धन देने के लिये राजी नहीं कर सकती जो वह कर चुकी है, तो उस सरकार को पदच्युत होना पड़ेगा क्योंकि वह इस प्रकार संसद का विश्वास खो चुकी है। मुझे आश्चर्य सा है कि सरकार के मंत्री को प्रतिदिन इस स्थिति का सामना करना पड़ेगा और उसकी बड़ी विचित्र स्थिति होगी जब कि वह किसी व्यय के लिये वचन दे देता है, जिसे कि संसद पूरा करने दे या न करने दे, इससे

[श्री टी.टी. कृष्णमाचारी]

तो अच्छा है कि यही कह देना चाहिये कि तब तक व्यय करने की अनुमति नहीं होनी चाहिये जब तक कि संसद योजना को स्वीकार करके उसे उस प्रयोजन के लिये धन व्यय करने की अनुमति न दे दे। इसका असल में यह अर्थ हो गया कि सरकार के किसी सदस्य द्वारा किया गया कोई वायदा बिल्कुल व्यर्थ है, और यदि संसद सचमुच धन देने से इंकार कर दे तो इसका अर्थ है कि वह संसद का विश्वास पात्र नहीं रहा। किंतु उसके अतिरिक्त, इस नई योजना में असली भावना यह है कि वर्तमान योजना में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं किया जाये जिसकी कि डा. अम्बेडकर पहले ही चर्चा कर चुके हैं और मैंने परसों इसे दोहराया था। हम सरकार को कठिनाई में डालना नहीं चाहते; हमने अनेक बार सदन को आश्वासन दिया है कि अब की प्रणाली में गम्भीर परिवर्तन करके सरकार को कठिनाई में डालने की हमारी इच्छा नहीं है; किन्तु साथ ही हम पर्याप्त उपबंध करना चाहते हैं जिससे कि यदि भावी संसद अधिक नियंत्रण करना चाहे तो कर सके। खंड (3) में जिन नये अनुच्छेदों की चर्चा है उनमें 95 और 96 में, जो कि आगे चलकर डा. अम्बेडकर पेश करेंगे, उनका एक खास पहलू यह है कि इस मामले में कार्यपालिका के पास कुछ पहल करने का अधिकार रह जायेगा। वह अधिकार इस तरह कम हो जाता है कि संसद की बैठकें बार-बार हों, कार्यपालिका अपने उत्तरदायित्व को समझे और यदि उन्हें किसी कारण भारी राशियां व्यय करनी पड़ जायें, तो अनुपूरक आय व्ययक के रूप में संसद के समक्ष मांग उपस्थित करे। श्रीमान्, इस सदन के सदस्यों ने कहा है कि एक अरब से अधिक राशि के अनुपूरक अनुदान इस सदन ने दूसरी सभा में बैठकर पिछले आय व्ययक के सत्र में पारित कर दिये। मैं सर्वथा सहमत हूं कि यह बात ठीक नहीं है। हमारे समस्त सरकारी व्यय के अनुपात में एक अरब बहुत ज्यादा है। सदन के लिये एक ही तरीका है जिससे कि वह सरकार को बाध्य कर सकता है कि वह व्यय करने के पूर्व सदन के समक्ष आये, और वह तरीका यही है कि सरकार से अनुपूरक आयव्ययक पेश करने के लिये कहा जाये—यदि कोई ऐसी बात हो गई है कि व्यय के विषय में सरकार के अनुमानों से अधिक खर्च हो गया है। यहां भी, अनुच्छेद 96 में वर्णित प्रक्रिया, अर्थात् लेखानुदान भविष्य में संसद में अनुसमर्थन प्राप्त करने का साधन अंशत: सिद्ध हो सकता हैं यदि सरकार यह अनुभव करे कि उन्हें ऐसा कोई व्यय करना पड़ रहा है, जिसका वे अनुमान नहीं लगा सके थे, जैसा कि कोई नया युद्ध हो जाये या जो युद्ध चल रहा हो उसमें व्यय बढ़ जाये तो वे सदा सदन में जाकर लेखानुदान मांग सकते हैं। नये संशोधनों से जो कि पेश होने वाले हैं यह प्रक्रिया संभव हो जायेगी और संसद केवल इसी प्रकार का नियंत्रण कर सकती है। खंड (3) में उल्लिखित उपबंध, अर्थात् अनुच्छेद 95 और 96, वित्तीय उपबंधों की सभी योजनाओं में रखे जाते हैं, यदि उद्देश्य यह हो कि सरकार दिन प्रतिदिन का शासन चलाये और संसद जो नियंत्रण करे वह कार्यपालिका के साथ इसी समझौते के आधार पर हो कि कार्यपालिका अपने व्यय को एक विशेष राशि तक सीमित रखेगी और अधिक व्यय के लिये यह अभिसमय स्थापित करना होगा कि सरकार अनुपूरक आयव्ययक बना कर संसद के समक्ष पेश करेगी। यदि खंड (3) को हटा दिया जाये तो अनुच्छेद 95 अप्रवर्तनीय बन जाता है, मैं तत्काल अपने माननीय मित्र श्री सन्तानम् को बताना चाहता हूं कि इससे तो शासन चलाना ही असंभव हो जायेगा, जब तक कि संसद लगभग प्रतिदिन न बैठे जिससे कि सरकार जब भी आवश्यक

हो संसद के पास जाकर कह सके कि ''हमने यह अधिक व्यय कर दिया है; यह ऐसा है जिसका पहले अनुमान नहीं लगाया जा सका था, कृपया इसे स्वीकार करिये, अन्यथा हम पद त्याग कर देंगे।'' माननीय श्री सन्तानम् की आपत्ति शायद इसलिये हो कि इस योजना का परिणाम यह होगा कि संसद को अधिक लम्बे समय तक बैठना होगा, शायद तीन, चार या छः मास अधिक तक, जोकि उन्हें पसन्द नहीं है। श्रीमान्, मुझे भय है कि यद्यपि श्री सन्तानम् ने जो कुछ कहा है उसकी वैधता को गलत सिद्ध करना मेरा उद्देश्य नहीं है, फिर भी क्योंकि सदन के समक्ष वित्तीय ढांचे में परिवर्तन करने के जो सुझाव पेश हुए हैं उनको बनाने में मेरा हाथ था, अतः मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि.....

***माननीय श्री के. सन्तानम्:** एक वैयक्तिक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं; मैंने ऐसी कोई वक्तृता नहीं दी।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** और जन साधारण को यह आश्वासन देना ही होगा कि इन संशोधनों का उद्देश्य सरकार को परेशान करना नहीं है, शासन को असंभव बना देना नहीं है, किंतु अभिसमयों द्वारा और कार्य-संचालन के नियमों द्वारा संसद को व्यय पर नियंत्रण अधिक कड़ा करने का अधिकार देना है। श्रीमान्, मुझे भरोसा है कि अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है और सदन डा. अम्बेडकर के संशोधन को अधिक वाद-विवाद के बिना ही पारित कर देगा।

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना:** अध्यक्ष महोदय, मैं तो सदन का ध्यान केवल अनुच्छेद 94 के खंड (2) की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, और मैं डा. अम्बेडकर से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वे इस अनुच्छेद में इस खंड की आवश्यकता को स्पष्ट करें। इस खंड (2) में लिखा है–

> ''इस प्रकार किये गये किसी अनुदान की राशि में फेरफार करने, अथवा अनुदान के लक्ष्य को बदलने, अथवा भारत की संचित निधि पर भारित व्यय की राशि में फेरफार करने का प्रभाव रखने वाला कोई संशोधन, ऐसे किसी विधेयक पर, संसद के किसी सदन में प्रस्थापित न किया जायेगा तथा कोई संशोधन इस खंड के अधीन अप्रवेश्य है या नहीं इस बारे में पीठासीन व्यक्ति का विनिश्चय अन्तिम होगा।''

इंग्लिस्तान के संविधान में ऐसा खंड नहीं है; हां, उनका संविधान अलिखित है। मैं देखता हूं कि यह बात सदन के अभिसमयों पर या संसद अपने लिये जो नियम बनाये, उन पर छोड़ देनी चाहिये। किंतु यदि इस बात को संविधान में रख दिया जाये तो इससे संसद की प्रभुता परिसीमित हो जायेगी। यद्यपि योजना यह है कि प्राक्कलनों की सप्लाइज समिति में और वेज एंड मीन्स समिति में जांच की जायेगी और उन समितियों के विनिश्चयों पर विनियोग विधेयक तैयार किया जायेगा, किंतु वास्तव में, विनियोग विधेयक की मदों में परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। किन्तु मान लीजिये कि कोई सरकार उन समितियों की सिफारिशों के अनुसार विनियोग विधेयक को नहीं बनाती, तो फिर सदन के सदस्यों के लिये कोई उपबंध नहीं है जिससे कि वे संशोधन पेश करके उसे इन समितियों के विनिश्चयों के अनुरूप बना दे। अतः मेरे विचार में संविधान में यह उपबंध

[प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना]

नहीं होना चाहिये वरन् यह बात संसद के नियमों अथवा अभिसमयों पर छोड़ देनी चाहिये, जिससे कि ऐसे अवसरों पर, सदन सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कर सके कि उन्होंने दोनों समितियों द्वारा अनुमोदित सुझावों को क्रियान्वित नहीं किया है। मुझे आशा है कि वह अधिक अच्छा रहेगा। मैं डाक्टर अम्बेडकर से यह स्पष्ट करने की प्रार्थना करूंगा कि संविधान में इस खंड को रखने की क्या अपेक्षा है।

***श्री महबूब अली बेग साहब** (मद्रास : मुस्लिम): श्रीमान्, मैं अनुच्छेद 94 पर और नये अनुच्छेद पर डा. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित संशोधन पर ही बोलूंगा।

प्रस्तावित संशोधन और मौलिक अनुच्छेद में यह अन्तर है: मौलिक अनुच्छेद के अनुसार तो लोक सभा द्वारा स्वीकृत अनुदानों का प्रमाणीकरण राष्ट्रपति द्वारा किया जायेगा, किंतु संशोधन के अनुसार लोक सभा में एक विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा और पारित किया जायेगा। मुझे तो केवल यही अन्तर दिखाई देता है। डा. अम्बेडकर ने, अपनी भूमिका स्वरूप वक्तृता में, कहा था कि विगत में तो सभा द्वारा स्वीकृत व्यय का प्रमाणीकरण गवर्नर जनरल करता था, जिसके कई कारण थे। उसे अपने स्वविवेक से कार्य करना पड़ता था और अपने वैयक्तिक विचारानुसार काम करना पड़ता था, अत: यह आवश्यक था कि सभा द्वारा स्वीकृत व्यय विवरणी उसके पास जाती, जिसमें कि वह अपनी इच्छानुसार परिवर्तन कर सकता। अब वे परिस्थितियां उपस्थित नहीं हैं; यद्यपि कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है, किंतु यह अधिक समुचित और लोकतंत्रात्मक उपाय है कि लोक सभा जो व्यय स्वीकृत करे उसके विवरण को वही अनुमोदित भी करे। उन्होंने इस विषय में यही युक्ति पेश की है। मैं उनसे सर्वथा सहमत हूं कि राष्ट्रपति को या किसी कार्यपालिका अधिकारी को व्यय का प्रमाणीकरण नहीं करना चाहिये, वरन् लोक सभा को ही ऐसा करना चाहिये। प्रश्न यह है कि क्या विनियोग विधेयक आवश्यक है और विनियोग विधेयक का क्या उद्देश्य है। यदि उसका उद्देश्य केवल यही है कि लोक सभा द्वारा स्वीकृत विविध अनुदानों का प्रमाणीकरण कर दिया जाये, तो विनियोग विधेयक की क्या आवश्यकता है? जैसा कि इस संशोधन के खंड (2) में उल्लिखित है, विधेयक पर कोई संशोधन पेश नहीं किया जायेगा, और संचित निधि पर भारित व्यय के विषय में कोई परिवर्तन का सुझाव पेश नहीं किया जायेगा। फिर मैं पूछता हूं कि लोक सभा के समक्ष विनियोग विधेयक को रखने का क्या उद्देश्य है? यदि आप चाहते हैं कि सदन द्वारा अनुदान करने के पश्चात् उन अनुदानों की एक तालिका सदन के समक्ष पेश होनी चाहिये, तो मैं सहमत हूं। व्यय की अनुसूची को तो सदन स्वयंमेव अनुमोदित कर ही देगा। वह तो केवल एक औपचारिकता ही है। गवर्नर-जनरल के होते हुए तो उसे स्वविवेक से तथा वैयक्तिक निर्णय के अनुसार हस्तक्षेप करने का अधिकार था, पर अब उसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है। यह तो केवल एक औपचारिकता है कि सदन द्वारा दिन प्रतिदिन स्वीकृत अनुदानों की सूची को पेश करके मंजूर कराया जाये। सदन तो उस अनुसूची को स्वयंमेव पारित कर ही देता है। अत: मुझे कोई कारण नजर नहीं आता कि वह विनियोग विधेयक सदन में पेश नहीं क्यों किया जाये? यदि आप इसे विनियोग विधेयक कहना चाहते हैं, क्योंकि कुछ दूसरी सरकारों ने इसका नाम विनियोग विधेयक रखा है, तो यह अनावश्यक वस्तु ही है। इसके लिये इतना ही कह देना पर्याप्त है कि राष्ट्रपति के स्थान पर लोक सभा व्यय की अनुसूची का

किसी विशेष तिथि तक प्रमाणीकरण करेगी; यह पर्याप्त है। अत: श्रीमान्, मेरा निवेदन यह है कि इससे कोई लाभ नहीं होगा, जैसा कि श्री सन्तानम् ने कहा था। इससे कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि जब विनियोग विधेयक सदन के समक्ष पेश होगा, तब सदन उस पर कोई संशोधन पेश नहीं कर सकता और संचित निधि पर भारित व्यय को बदल नहीं सकता। अत: मैं कहता हूं कि सदन के समक्ष विनियोग विधेयक रखने का उपक्रम क्यों किया जाये? इतना ही कहना पर्याप्त है कि लोक सभा द्वारा स्वीकृत व्यय की अनुसूची लोक सभा के समक्ष उपस्थित की जायेगी, और प्रमाणीकृत समझी जायेगी। यदि अपेक्षित हो तो लोक सभा का अध्यक्ष यह हस्ताक्षर करके प्रमाणीकरण कर दे कि ये मदें लोक सभा द्वारा पारित कर दी गई हैं यह काफी है। अत: मेरा निवेदन है कि जिस तरह से इस अनुच्छेद की पुनर्रचना की गई है वह अनावश्यक है और इस मामले में समुचित परिवर्तन कर देने चाहियें और यह कहना बिल्कुल पर्याप्त होगा कि सदन द्वारा स्वीकृत व्यय की अनूसूची को लोक सभा के समक्ष पेश कर देना चाहिये और उसे प्रमाणीकरण की हुई समक्ष लेना चाहिये। श्रीमान्, मैं अभी उन मामलों पर नहीं बोल रहा हूं, जो अनुच्छेद 95 और 96 के पेश होने पर उठेंगे। मैं उन पर बाद में बोलने का अधिकार रक्षित रखता हूं।

***श्री एल. कृष्णास्वामी भारती:** अध्यक्ष महोदय, मेरे विचार में मेरे मित्र श्री सन्तानम् द्वारा उठाये गये प्रश्न पर नि:संदेह स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। खंड (3) में लिखा है:

> ''अगले दो अनुच्छेदों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, भारत की संचित निधि में से इस अनुच्छेद के उपबंधों के अनुसार पारित विधि द्वारा किये गये विनियोग के अधीन निकालने के अतिरिक्त और कोई धन निकाला न जायेगा।''

अनुच्छेद 96 में तीन प्रकार के अनुदान हैं, लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान। इन तीनों के विषय में संसद उस व्यय को प्राधिकृत करती है; अत: जहां तक अनुच्छेद 96 का संबंध है, मेरे विचार में, उसका यहां उल्लेख करने पर हमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती। अनुच्छेद 95 में अनुपूरक अनुदान और अधिकाई अनुदानों की चर्चा है। उनकी युक्तियों का सार यह है कि हम कार्यपालिका को संसद द्वारा स्वीकृत राशियों के अतिरिक्त कुछ भी खर्च करने की अनुमति देना नहीं चाहते। अनुच्छेद 95 के खंड (1) में लिखा है:

> ''यदि बाद में किसी समय कार्यपालिका यह देखे कि स्वीकृत राशि अपर्याप्त प्रतीत होती है—यह पहली बात है—और भी यदि आयव्ययक के पारित होने के समय अपेक्षित न की गई कोई नई सेवा है—तो ऐसी आकस्मिकता में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष उस व्यय की प्राक्कलित की गई राशि की दिखाने वाला दूसरा विवरण दिखायेगा, आदि।''

'प्राक्कलित व्यय' इन शब्दों से पता लगता है, कि व्यय चाहे वास्तव में न किया गया हो, किन्तु वे व्यय की सम्भावना का पूर्व अनुमान कर सकते हों, तो यह संभव है कि वे संसद के समक्ष आकर कहेंगे ''आपने जो राशि मंजूर की है वह पर्याप्त नहीं है और हमें न्यूनाधिक की आवश्यकता है और आयव्ययक को पारित करते समय जिसका ध्यान नहीं था वह नई सेवा भी अब आरंभ की गई है और इसलिये हमें और धन की आवश्यकता है।'' वह अनुपूरक अनुदान हुआ जिसकी अनुमति दे देनी चाहिये। श्री सन्तानम् को तो संख्या 95 के खंड (ख) पर आपत्ति है, अर्थात् जब किसी वित्तीय वर्ष में किसी

[श्री एल. कृष्णास्वामी भारती]

सेवा के लिये स्वीकृत राशि से अधिक व्यय कर दिया जाये। वास्तव में गत वर्ष विधान सभा में काफी तर्क हुआ था कि एक अरब से अधिक रुपया बिना प्राधिकृत किये ही खर्च कर दिया गया। मैं डा. अम्बेडकर से पूछना चाहता हूं कि क्या कार्यपालिका के लिये यह संभव नहीं है कि संसद की विशेष स्वीकृति के बिना वह पिछले वर्ष के समान कोई राशि खर्च कर सके और इसलिये क्या यह कार्यपाकिा को खुली छूट देना नहीं है कि वह किसी वर्ष संसद द्वारा उस वर्ष के लिये स्वीकृत राशि से कितना ही अधिक धन व्यय कर दे? क्या कार्यपालिका को ऐसी शक्ति देना लोकतंत्रात्मक सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं है? मुझे पता लगा है कि इंग्लिस्तान में इस प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया जाता। जब कार्यपालिका अधिक रुपया खर्च करना चाहती है, त्यों ही भुगतान करने वाला भार-साधक अधिकारी कार्यपालिका को सूचित कर देता है, ''आपका अनुदान समाप्त होने को आ गया है और आपको उसका प्रबन्ध कर लेना चाहिये।'' उन्हें संसद द्वारा स्वीकृत राशि से एक पाई भी अधिक खर्च नहीं करने दी जाती। मुझे कोई कारण दिखाई नहीं देता है कि हम उससे भिन्न व्यवस्था क्यों रखें। यह संभव है कि संसद का अधिवेशन न हो और उन्हें खर्च करना पड़ जाये। यह भी उतना ही सम्भव है कि वे करोड़ो-अरबो-खर्च कर दें, इसलिये मुझे तो यह बात इस मूल सिद्धांत के विरुद्ध दिखाई देती है कि जो भी राशि व्यय की जाये वह संसद की मंजूरी से की जाये; और 95 के खंड (ख) को वर्तमान रूप में स्वीकार करके हम उस सिद्धांत के विरुद्ध जाते प्रतीत होते हैं। अत: अनुच्छेद 96 के अनुसार तो संसद अपने विवेक और बुद्धि का प्रयोग करके अनुदानों पर मत देती है पर यह बात ऐसी है जिसमें कार्यपालिका को निरकुंश शक्ति है मै चाहता हूं कि डा. अम्बेडकर इस मामले का स्पष्टीकरण करें।

***माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर:** अध्यक्ष महोदय, मैंने तो सोचा था कि मेरे मित्र श्री टी.टी. कृष्णमाचारी ने जो बातें कही थीं उनसे मेरे मित्र श्री सन्तानम् की आपत्तियों का काफी उत्तर मिल गया होगा, किन्तु मेरे मित्र श्री भारती ने अपनी वक्तृता में यह संकेत किया है कि कम से कम उनके संदेह दूर नहीं हुए हैं, अत: मैं कुछ शब्द कहना आवश्यक समझता हूं। मेरे मित्र श्री सन्तानम् ने कहा था कि हम विनियोग विधेयक की प्रक्रिया को व्यर्थ ही अपने यहां लागू कर रहे हैं और कि हमारे प्रयोजन के लिये प्रमाणीकृत अनुसूची की वर्तमान प्रक्रिया ही पर्याप्त है। यदि मैं ठीक समझा हूं तो उनकी युक्ति यह है कि हाउस ऑफ कामन्स में विनियोग विधेयक इसलिये आवश्यक है कि प्राक्कलनों के अनुदानों को समस्त सदन की समिति स्वीकार करती है, सदन स्वयं नहीं करता। परिणामत: उनके मतानुसार, विनियोग विधेयक, आवश्यक प्रक्रिया बन जाती है, क्योंकि प्राक्कलनों पर सदन में को समिति विचार करती है। वैयक्तिक रूप में मेरा ख्याल है कि हाउस ऑफ कामन्स की समिति प्रक्रिया और विनियोग विधेयक की आवश्यकता में कोई सम्बन्ध नहीं हैं। मैं सदन को बता देता हूं कि प्राक्कलनों के विषय में हाउस ऑफ कामन्स के समिति रूप में बैठने की प्रक्रिया कैसे आरंभ हुई थी। सदन को याद होगा कि इंग्लिस्तान के राजनैतिक इतिहास में एक समय था जबकि बादशाह और हाउस ऑफ कामन्स दोनों में वैमनस्य था। आज हाउस आफ कामन्स और बादशाह में भरोसे और विश्वास की जो सुखद

भावना विद्यमान है वह उस समय नहीं थी। बादशाह को अत्याचारी समझा जाता था, अन्यायी समझा जाता था, जिसे केवल कर आरोपण करके धन इकट्ठा करने और उसे अपनी इच्छानुसार व्यय करने से ही मतलब था। यह भी समझा जाता था कि हाउस ऑफ कामन्स का अध्यक्ष, सदन द्वारा निर्वाचित तथा उसका विश्वास पात्र होने के स्थान पर बादशाह के गुप्तचर के समान था। इसके फलस्वरूप हाउस ऑफ कामन्स के सदस्यों को सदा यह आशंका रहती थी कि यदि सारा सदन प्राक्कलनों पर विचार करेगा, तो अध्यक्ष को ही वहां अध्यासीन होने का अधिकार होगा और शायद वह, बादशाह का कृपापात्र बनने के लिये बादशाह से उन सदस्यों की शिकायत कर देगा, जो कि बादशाह के आचरण, उसकी फजूल खर्ची और अत्याचार के कार्यों की आलोचना करें। अत: अध्यक्ष से पीछा छुड़ाने के लिये, जिसे कि जैसा कि मैं आरंभ में ही कह चुका हूं, बादशाह का गुप्तचर समझा जाता था जो कि हाउस ऑफ कामन्स की कार्यवाही के समाचार बादशाह को देता था, उन्होंने समिति के रूप में बैठने का यह उपाय निकाला; क्योंकि जब सदन समिति रूप मे बैठता है तब अध्यक्ष को पीठासीन होने का कोई हक नहीं होता। इसी मुख्य उद्देश्य को लेकर हाउस ऑफ कामन्स सप्लाई समिति के रूप में बैठता है। जैसा कि मैंने कहा है, यदि सदन सप्लाई समिति के रूप में न भी बैठता तब भी सदन के लिये विनियोग विधेयक पारित करना आवश्यक होता। जैसा कि मेरे मित्रों—कम से कम वकील मित्रों को स्मरण होगा, एक समय था जबकि हाउस ऑफ कामन्स जब वेज एंड मीन्स समिति के रूप में केवल प्रस्ताव पारित कर देता था कि कौन से कर लगाये जायें और तत्पश्चात् उन प्रस्तावों के आधार पर काफी समय तक कर वसूल किये जाते रहे—मेरे ख्याल में 1913 तक। सन् 1913 में यह प्रश्न न्यायालय में चला गया, कि क्या वेज एंड मीन्स समिति के प्रस्तावों के ही आधार पर कर लगाये जा सकते हैं और उच्च न्यायालय ने निश्चय कर दिया कि हाउस ऑफ कामन्स को केवल प्रस्तावों के आधार पर कर लगाने का कोई अधिकार नहीं है। संसद को कर लगाने के लिये अधिनियम पारित करना चाहिये। परिणामत: संसद ने प्रान्तीय कर एकत्रण अधिनियम नामक विधि बनाई। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है कि यदि सप्लाई समिति में व्यय पर मतदान होता और हाउस ऑफ कामन्स के संकल्पों को अंतिम प्राधिकार समझा जाता तो न्यायालय उनकी भी निंदा करते, क्योंकि यह एक सुनिश्चित सिद्धांत है कि विधि प्रवर्तन में आती है, संकल्प नहीं। अत: मेरा पहला निवेदन यह है कि मेरे मित्र श्री सन्तानम् की यह युक्ति सर्वथा निराधार है कि विनियोग विधेयक हाउस ऑफ कामन्स की समिति प्रक्रिया का ही अभिन्न अंग है। मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि गवर्नर-जनरल द्वारा प्रमाणीकृत अनुसूची की प्रक्रिया क्यों अनावश्यक है, यह देखते हुए कि परिवर्तित स्थिति में राष्ट्रपति के स्वविवेक संबंधी कोई कृत्य नहीं होंगे और वित्तीय मामलों में संसद की शक्ति सर्वोपरि होगी और राष्ट्रपति या कार्यपालिका की नहीं। इस विषय पर मुझे और कुछ नहीं कहना है।

फिर यदि मैं ठीक समझा हूं तो मेरे मित्र श्री सन्तानम् ने कहा, कि अनुच्छेद 95—मुझे पता नहीं कि उन्होंने अनुच्छेद 96 की चर्चा की थी या नहीं—पर उन्होंने नि:संदेह अनुच्छेद 95 की चर्चा की थी—उन्होंने कहा था कि अनुच्छेद 95 से नये अनुच्छेद 94

[माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर]

का खंड (3) प्रभावहीन हो जायेगा। खंड (3) में लिखा है कि विधि द्वारा बनाये गये विनियोग के अतिरिक्त कोई धन खर्च नहीं किया जायेगा। उनका यह ख्याल मालूम होता था कि नये अनुच्छेद 95 में उल्लिखित अनुपूरक, अपर अथवा अधिकाई अनुदान और नये अनुच्छेद 96 में उल्लिखित लेखानुदान, प्रत्ययानुदान अथवा अपवादानुदान पर विनियोग विधि के बिना ही मतदान हो जायेगा। मेरे ख्याल में उन्होंने अनुच्छेद को पूरा नहीं पढ़ा है। यदि वे नये अनुच्छेद 95 के उपखंड (2) को पढ़ते और नये अनुच्छेद 96 के अंतिम भाग को भी पढ़ते और आगे चल कर एक और अनुच्छेद को भी पढ़ते जो कि बाद में पेश किया जायेगा—अर्थात् अनुच्छेद 248-क को—तो वे देखेंगे कि एक उपबंध बनाया गया है कि अनुपूरक अथवा अपर अनुदानों के लिये या लेखानुदान के लिये या किसी और प्रयोजन के लिये, कोई धन नहीं निकाला जा सकता, जब तक संचित निधि में से धन निकालने के लिये या किसी और प्रयोजन के लिये विधि द्वारा कोई उपबंध न बना दिया जाये। मैं यह अच्छी तरह समझ सकता हूं कि इस बात से कई सदस्यों के समझने में गड़बड़ हो गई है कि किसी स्थान पर हम संचित निधि का उल्लेख करते हैं तो अन्य स्थान पर हम विनियोग अधिनियम की चर्चा करते हैं। बात यह है; संचित निधि अधिनियम और विनियोग अधिनियम में मूलत: कोई अन्तर नहीं है। दोनों का एक ही उद्देश्य है, कि नियमित रूप से नियुक्त प्राधिकारी को संचित निधि में से धन निकालने के लिये प्राधिकृत करना। संचित निधि अधिनियम और विनियोग अधिनियम में केवल यही अन्तर है। संचित निधि अधिनियम में एकमुश्त राशि का उल्लेख होता है, पर विनियोग अधिनियम में सब विस्तृत विवरण होता है—मुख्य शीर्षक, उप शीर्षक और मदें। स्पष्टत: विनियोग विधेयक की प्रक्रिया को संचित निधि विधेयक के समय पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि संसद ने शीर्षकों, उपशीर्षकों और उपशीषकों की मदों के लिये धन का विनियोग करने के पूरे उपक्रम को पूरा नहीं किया है। परिणामत: जब संचित निधि अधिनियम में धन पर मतदान होता है तो इसका अर्थ यह है कि कार्यपालिका संचित निधि में से इतनी एकमुश्त राशि निकाल सकती है, जो बाद में अंतिम विनियोग अधिनियम में दिखाई जायेगी। यदि माननीय मित्र यह याद रखेंगे कि कार्यपालिका को संचित निधि अधिनियम या विनियोग अधिनियम के अतिरिक्त धन निकालने का कोई प्राधिकार नहीं है, तो वे समझ जायेंगे कि यथासंभव इन उपबंधों को ऐसा बनाया गया है कि धोखा करना या चालाकी करना संभव न हो सके।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

''कि अनुच्छेद 94 के स्थान पर निम्न अनुच्छेद रख दिया जाये:

'94. *विनियोग विधेयक*—(1) लोक सभा द्वारा अनुच्छेद 113 के अधीन अनुदान किये जाने के बाद यथासंभव शीघ्र भारत की संचित निधि में से–

(क) लोक सभा द्वारा इस प्रकार किये गये अनुदानों की, तथा

(ख) भारत की संचित निधि पर भारित, किन्तु संसद के समक्ष पहले रखे गये विवरण में दी हुई राशि से किसी भी अवस्था में अनधिक व्यय की, पूर्त्ति के लिये अपेक्षित सब धनों के विनियोग के लिये विधेयक पुर:स्थापित किया जायेगा।

(2) इस प्रकार किये गये किसी अनुदान की राशि में फेरफार करने, अथवा अनुदान के लक्ष्य को बदलने, अथवा भारत की संचित निधि पर भारित व्यय की राशि में फेरफार करने का प्रभाव रखने वाला कोई संशोधन, ऐसे किसी विधेयक पर, संसद के किसी सदन में प्रस्थापित न किया जायेगा तथा कोई संशोधन इस खंड के अधीन अप्रवेश्य है या नहीं इस बारे में पीठासीन व्यक्ति का विनिश्चय अंतिम होगा।

(3) अगले दो अनुच्छेदों के उपबंधों के अधीन रहते हुए भारत की संचित निधि में से इस अनुच्छेद के उपबंधों के अनुसार पारित विधि द्वारा किये गये विनियोग के अधीन निकालने के अतिरिक्त और कोई धन निकाला न जायेगा।' ''

संशोधन स्वीकृत हो गया।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

''कि संशोधित रूप में अनुच्छेद 94 संविधान का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हो गया।

संशोधित रूप में अनुच्छेद 94 संविधान में जोड़ दिया गया।

अनुच्छेद 95

***माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर:** श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि अनुच्छेद 95 के स्थान पर, निम्न अनुच्छेद रख दिया जाये:

'95. *अनुपूरक अपर या अधिकार अनुदान*—(1) यदि–

(क) अनुच्छेद 114 के उपबंधों के अनुसार निर्मित किसी विधि द्वारा किसी विशेष सेवा पर चालू विशेष वर्ष के लिये व्यय किये जाने के लिये प्राधिकृत कोई राशि उस वर्ष के प्रयोजनों के लिये अपर्याप्त पाई जाती है अथवा जब उस वर्ष के वार्षिक वित्त विवरण में अपेक्षित न की गई किसी नई सेवा पर अनुपूरक अथवा अपर व्यय की चालू वित्तीय वर्ष में आवश्यकता पैदा हो गई है, अथवा

(ख) किसी वित्तीय वर्ष में किसी सेवा पर उस सेवा और उस वर्ष के लिये, अनुदान की गई राशि से अधिक कोई धन व्यय हो गया है, तो राष्ट्रपति यथास्थिति संसद के दोनों सदनों के समक्ष उस व्यय की प्राक्कलित की गई राशि को दिखाने वाला दूसरा विवरण रखवायेगा अथवा लोक सभा में ऐसी अधिकाई के लिये मांग उपस्थित करायेगा।

(2) ऐसे किसी विवरण और व्यय या मांग के सम्बन्ध में तथा भारत की संचित निधि में से ऐसे व्यय अथवा ऐसी मांग के बारे में अनुदान की पूर्त्ति के लिये धनों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिये बनाई जाने वाली किसी विधि के सम्बन्ध में भी, अनुच्छेद 112, 113 और 114 के उपबंध वैसे ही प्रभावी होंगे जैसे कि वे वार्षिक वित्त विवरण तथा उसमें वर्णित व्यय अथवा अनुदान की किसी मांग तथा भारत की संचित निधि में से ऐसे किसी व्यय या मांग से सम्बन्धित अनुदान की पूर्ति के लिये धनों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिये बनाई जाने वाली विधि के सम्बन्ध में प्रभावी है।' ''

***श्री आर.के. सिधवा:** श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि प्रथम सूची (चतुर्थ सप्ताह) के संशोधन संख्या 12 में, प्रस्तावित अनुच्छेद 95 के खंड (1) में:

(1) उपखंड (क) में, अंत का 'or' शब्द हटा दिया जाये;

(2) उपखंड (ख) हटा दिया जाये; तथा

(3) खंड (1) के अंत में, निम्न शब्द जोड़ दिये जाये:

'and until both the Houses of Parliament pass such a demand, the expenditure shall not be incurred, and if incurred payment shall not be made.' ''

श्रीमान्, डा. अम्बेडकर ने जो संशोधन पेश किया है वह पिछले पारित अनुच्छेदों के परिणामस्वरूप ही है। मैं संशोधन का स्वागत करता हूं, किन्तु मैं अनुभव करता हूं कि एक कमी है जो दूर होनी चाहिये। संशोधन अनुच्छेद फिर इस प्रकार बन जायेगा:

'The President shall.....cause to be laid before both the Houses of Parliament another statement showing the estimated amount of that expenditure of cause to be presented to the House of People a demand for such excess, as the case may be and until both the Houses of Parliament pass such a demand, the expenditure shall not be incurred, and if incurred payment shall not be made."

इस बात पर हम सब सहमत हैं कि नई व्यवस्था में, नई पद्धति का समावेश करना चाहिये, जिससे कि वित्त के सम्बन्ध में संसद द्वारा पूरी जांच हो। इस समय संसद की प्रक्रिया बहुत आपत्तिजनक है, क्योंकि एक अरब रुपया से अधिक की अनुपूरक मांगें पेश होती है, जो आयव्ययक की राशि का एक तिहाई होता है। यह अत्यन्त असाधारण बात हैं और कार्यपालिका को यह शक्ति प्राप्त है, इसीलिये वे आयव्ययक को बहुत असावधानी से तैयार करते हैं।

मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। गत आयव्ययक में प्राक्कलित आय से वास्तविक आय लगभग 50 करोड़ बढ़ गई और व्यय भी 80 करोड़ बढ़ गया, प्राक्कलित आयव्ययक की राशि के अतिरिक्त वह सब साठ करोड़ कार्यपालिका ने व्यय कर दिया, फिर भी घाटा रह गया और नये करों का सुझाव दिया गया। यह तो धोखा पैदा करने वाले आयव्ययक संबंधी विवरणों को पेश करके सदन की आंख में धूल झौंकने से कम नहीं है। मुझे खेद है कि मैं कम तीक्ष्ण भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता। मुद्रास्फीति-आयव्ययक जानबूझ कर सदन के समक्ष रखे जाते हैं, जिससे कि कम राजस्व दिखाया जाये, जिससे कि वस्तुस्थिति का हिसाब लगता है और आयव्ययक संतुलित नहीं होता तब वह नये करों का सुझाव दे सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा है पिछले वर्ष राजस्व से 60 करोड़ अधिक उगाहे गये थे, फिर भी उस पर 80 करोड़ खर्च कर दिये गये और आयव्ययक में घाटा रहा तथा नये करों का सुझाव दिया गया। इस पर कोई रोक नहीं है। कार्यपालिका समझती है कि उसे लम्बी छूट मिली हुई है और वह चाहे जो कर सकती है। आज भी महालेखा-परीक्षक

को यह हक नहीं है कि सदन ने आयव्ययक में जो कुछ स्वीकार किया है उससे अधिक कोई भी मद पारित कर दे। फिर भी जब अधिक व्यय किया जाता है तब महालेखा-परीक्षक मंत्री के पास जाता है जो उसे कह देता है कि उन मदों को पारित कर दिया जाये, और महालेखा-परीक्षक अपना 'आपत्ति नहीं है' यह मुद्रांक लगा देता है और रकमें भुगता दी जाती हैं। यह बहुत आपत्तिजनक है। कार्यपालिका सदन के प्रति कोई आदर प्रदर्शन नहीं करती। क्या यह न्याय है? आयव्ययक का कोई मूल्य नहीं है। आयव्ययक का विवरण सदन के समक्ष आता है, सदन उसकी जांच करता है और कार्यपालिका से कह देता है कि सदन ने जितनी राशि स्वीकार की है उससे अधिक खर्च नहीं किया जाये अैर फिर भी कार्यपालिका सदन के विनिश्चय की चिन्ता न करके रुपया खर्च करती जाती है.....

***अध्यक्ष:** माननीय सदस्य यह समझते प्रतीत होते हैं कि वे आयव्ययक पर वाद-विवाद के समय विधान-सभा के समक्ष कोई भाषण दे रहे हैं। वे संशोधन पर बोल रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि वे अपने भाषण को उसी तक सीमित रखें, अर्थात् संशोधन के सिद्धांत पर ही बोले और पिछले आयव्ययक सम्बन्धी वाद-विवाद में क्या हुआ उस पर न जायें।

***श्री आर.के. सिधवा:** मैं तो केवल उदाहरण ही दे रहा हूं।

***अध्यक्ष:** यही उदाहरण माननीय सदस्य अनेक बार दे चुके हैं।

***श्री आर.के. सिधवा:** यह संशोधन इतना महत्त्वपूर्ण है कि यदि हमारे उत्तरदायित्व को समझा न जायेगा, तो श्रीमान्, हमारे इस संविधान से हमारा समस्त उद्देश्य ही अपूर्ण रह जायेगा।

***अध्यक्ष:** यदि संशोधन को संविधान में रख दिया जायेगा, तो यही पर्याप्त रक्षण कवच होगा और माननीय सदस्य की वक्तृता को कोई स्मरण नहीं रखेगा।

***श्री आर.के. सिधवा:** मैं तो संविधान में इस संशोधन को समाविष्ट करने के औचित्य को सिद्ध कर रहा था। यदि यह मामला कार्यपालिका पर छोड़ दिया जाये तो किसी भी सुधार की संभावना है ही नहीं।

मैं डैंजिग के स्वतंत्र नगर के संविधान का निर्देश कर रहा था। वहां मैंने लगभग ऐसे ही उपबंध देखे हैं। जब तक सदन प्राधिकृत न कर दे तब तक कोई भी अनुपूरक राशियां खर्च नहीं की जा सकती। यह तर्क किया जा सकता है कि आपात की स्थिति में क्या होगा? मैं चाहता हूं कि कार्यपालिका समूचे वर्ष का चिट्ठा बांधे। आपात इसलिये नहीं होता कि अरबों रुपये तक खर्च कर दिये जायें। कुछ लाख तक उसमें अन्तर्ग्रस्त हो सकते हैं, किन्तु अरबों रुपये के अनुपूरक अनुदानों पर मुझे सख्त आपत्ति है। यदि मेरा संशोधन स्वीकृत नहीं हुआ तो इस अनुच्छेद का उपबंध करने में हमारा जो अत्यन्त अच्छा उद्देश्य है, वह उस हद तक अपूर्ण ही रह जायेगा। ये अनुच्छेद अच्छे और ठीक हैं और उनसे भविष्य में हमारा पथप्रदर्शन होगा। किन्तु अनुपूरक मांगों के सम्बन्ध में यदि मेरे प्रस्तावित संशोधन के समान कोई संशोधन संविधान में न रखा गया तो कमी रह ही जायेगी और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं (मैं इसे फिर दोहराता हूं यद्यपि मैं कार्यपालिका के विचारों को जानता हूं) कि जहां तक अनुपूरक मांगों का सम्बन्ध है, कोई सुधार नहीं होगा।

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना:** श्रीमान्, मैं सविनय प्रस्ताव करता हूं:

''कि सूची (1) (चतुर्थ सप्ताह) के संशोधन संख्या 12 में, नये अनुच्छेद 95 के खंड (2) के पश्चात्, निम्न नया खंड जोड़ दिया जाये:

'(3) After the first Parliament elected under this Constitution comes into being, the financial year, shall commence on the first November and end with the 31st of October."

[(3) इस संविधान के अंतर्गत निर्वाचित अगली संसद के बन जाने के पश्चात्, वित्तीय वर्ष प्रथम नवम्बर से आरंभ होगा और 31 अक्टूबर को समाप्त होगा।]

श्रीमान्, इस नये संशोधन में प्रस्तावित नई प्रक्रिया का उद्देश्य यह है कि ब्रिटिश संसद के समान हमारी संसद को भी प्राक्कलनों की जांच के लिये अधिक समय दिया जाये। ब्रिटिश संसद में विनियोग विधेयक अगस्त के अन्त तक पारित होना चाहिये। इसका आशय यह है, कि 31 मार्च के पश्चात् 5 महीने लग जाते हैं। इंग्लिस्तान में अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त के मास वर्ष में सर्वोत्तम होते हैं। यदि हमारी संसद को दिल्ली में मई, जून-जुलाई के मासों में बैठना पड़े तो बहुत कठिनाई हो जायेगी। अत: मैं चाहता हूं कि हमारे देश में आय व्ययक पर विचार के लिये वर्ष के सर्वोत्तम मास रखे जाये। जैसे कि संसद को 31 मार्च के पश्चात् विनियोग विधेयक को पारित करने के लिये पांच मास दिये जाते हैं, इसी प्रकार मैं चाहता हूं कि वित्तीय वर्ष के आरंभ के पश्चात् हमें भी विनियोग अधिनियम को पारित करने के लिये कम से कम पांच मास मिलने चाहिये। इसका अर्थ है—नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी और मार्च। इससे हमारी प्रक्रिया बिल्कुल ब्रिटिश संसद की प्रक्रिया के समान हो जायेगी, श्रीमान्, हमारे देश में भी वित्तीय वर्ष नवम्बर के आरंभ में दीपावली पर आरंभ होता है। अत: नया वित्तीय वर्ष हमारी प्राचीन परम्परा के अनुरूप होगा। अत: इस संशोधन के उद्देश्य को पूरा करने के लिये, अर्थात् सदन को समस्त प्राक्कलनों की जांच करने के लिये अधिक समय देने के लिये यह आवश्यक है कि आय व्ययक पर दीपावली से होली तक, अर्थात् प्रथम नवम्बर से 31 मार्च तक वाद-विवाद होना चाहिये। मेरे विचार में यदि ये दिन निश्चित कर दिये जायें तो आयव्ययक पर वाद-विवाद के लिये तथा विनियोग अधिनियम को पारित करने के लिये हमारे पास वर्ष का सर्वोत्तम भाग रहेगा। मुझे आशा है कि डा. अम्बेडकर संशोधन को स्वीकार कर लेंगे और नई संसद के सदस्यों को अब के समान मई और जून के मासों के बैठने से बचा देंगे।

***श्री बी.एम. गुप्ते** (बम्बई : जनरल): श्रीमान्, डा. अम्बेडकर द्वारा दिये हुए स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात् भी मैं इस अनुच्छेद के उपबंध का विरोध करना चाहता हूं, जहां तक कि अधिकाई अनुदानों का सम्बन्ध है। मैं नहीं समझता कि हमने पिछले अनुच्छेद में जो सिद्धांत रखा है उसे देखते हुए ऐसे अनुदान के लिये अवसर कैसे उपस्थित हो सकता है। मुझे यह भी कुछ विसंगत सा दिखाई देता है कि एक अनुच्छेद में एक आदेश मूलक सम्बन्ध रखने के पश्चात् अगले अनुच्छेद में हम उस आदेशमूलक उपबन्ध के उल्लंघन

का विनियमन करने का उपबन्ध करें। यहां यही बात की गई है। शायद इस संशोधन के प्रस्तावक ने परिस्थितियों की अवहेलना कर दी है, जोकि बदल गई हैं। मैं समझता हूं कि अधिकाई अनुदान का यह उपबन्ध उस विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर किया गया है जो कि वित्तीय उपबन्धों पर विचार करने के लिये नियुक्त हुई थी। नीचे के नोट में यही उल्लिखित है। अत: विशेषज्ञ समिति ने ही यह सुझाव दिया है कि ऐसा उपबन्ध बनाना चाहिये। मेरा निवेदन है कि हमने अब जो प्रस्ताव स्वीकार कर लिये हैं उनसे विशेषज्ञ समिति की सिफारिश का समस्त आधार ही बदल गया है, मैं आपका ध्यान प्रतिवेदन की कंडिका 79 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं:

> ''लोकतंत्रात्मक संविधानों में प्राय: ऐसा उपबन्ध होता है कि खजाने से कोई धन नहीं निकाला जा सकता, जब तक कि विधान मंडल एक विनियोग अधिनियम बना कर प्राधिकार न दे, किन्तु इस देश में ऐसा आचरण रहा है कि रुपये का भुगतान करने के पश्चात् सरकार के संकल्पों द्वारा व्यय प्राधिकृत होता है विधि द्वारा नहीं। इस देश में यह प्रणाली ठीक काम करती रही है, अत: विधि द्वारा विनियोग आवश्यक जान नहीं पड़ता।''

इस प्रकार उन्होंने विनियोग अधिनियम के विचार को निश्चय से अस्वीकार कर दिया था, जिसे हमने अब स्वीकार कर लिया है। हमने यह मूलभूत परिवर्तन कर दिया है। पहले महालेखा-परीक्षक राशि को निकाल सकता है, चाहे संसद ने उसकी मंजूरी न दी हो, क्योंकि अनुसूची का प्राधिकरण कार्यपालिका द्वारा किया जाता था। अब हमने एक कठोर उपबन्ध बना दिया है जिसके अनुसार यह काम संसद के अधिनियम द्वारा किया जायेगा। अत: अब महालेखापरीक्षक को संसद के अधिनियम का उल्लंघन करना पड़ेगा।

हमने दूसरा मूल परिवर्तन यह किया है: विशेषज्ञ समिति ने सोचा था कि पुरानी व्यवस्था जारी रहेगी। उन्होंने यह भी मान लिया था कि भारत-शासन-अधिनियम के शब्द ही रखे जायेंगे। मैं सदन का ध्यान, अनुकूलित, भारत शासन अधिनियम 1935 के तत्स्थानी उपबंध की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। धारा 35 में लिखा है:

> ''किन्तु अगली धारा के अधीन रहते हुए, अधिराज्य के राजस्व में से कोई व्यय समूचित रूप से प्राधिकृत नहीं समझा जायेगा, जब तक कि यह बात इस प्रकार प्राधिकृत अनुसूची में उल्लिखित न हो।''

अत:, वर्तमान भाषा यह है कि केवल यही व्यय प्राधिकृत समझा जायेगा—यह नहीं है कि 'कोई धन निकाला न जायेगा।' हमने अनुच्छेद 94 में भाषा को विशेषत: सख्त बना दिया है। अत:, भारत-शासन-अधिनियम के अंतर्गत जब तक महालेखा-परीक्षक को यह विश्वास हो कि कार्यपालिका को बाद में संसद की मंजूरी मिल सकती है, तब तक राशि निकालने पर कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु यहां अनुच्छेद 94 (3) के अधीन, उसे ऐसा करने की शक्ति नहीं होगी, जब तक कि वह संसद के विनियोग अधिनियम का उल्लंघन न करे। मेरा निवेदन है कि यह अधिकाई अनुदान का उपबंध अनुच्छेद 94 के खंड (3) से असंगत ही नहीं है, बल्कि देश के वित्त पर संसद के नियंत्रण के सिद्धांत के विरुद्ध भी है। अत: मेरा निवेदन है कि इस बात पर पुनर्विचार करना चाहिये कि अधिकाई अनुदान सम्बन्धी यह उपबंध रखा जाये या नहीं।

***माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर:** मैं देखता हूं कि सदन के समक्ष जो वित्तीय प्रस्ताव रखे गये हैं उनसे सदस्य बहुत चिन्तित हैं। मैं इसे समझता हूं, क्योंकि मुझे स्मरण है कि जब श्री चर्चिल के पिता लार्ड चांसलर बने थे, तब उनके समक्ष आयव्ययक रखा गया था जिसमें अंकों को दशमलव तथा उनके बिन्दुओं के साथ दिखाया गया था। स्पष्टत: वे गणित के विद्यार्थी नहीं थे, और समझ नहीं सके कि अंकों के बीच में उन दशमलव बिन्दुओं का क्या अर्थ था। अत: उन्होंने फाइल पर लिख दिया ''इन बिन्दुओं का क्या आशय है?'' यह स्पष्टीकरण वित्त विभाग के सचिव से मांगा गया। श्री चर्चिल के पिता जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति को भी समझने में कठिनाई हुई थी, इस बात को ध्यान में रखते हुए मुझे जरा भी आश्चर्य नहीं है यदि इस सदन के सदस्यों को इन उपबंधों के समझाने में ऐसी ही कठिनाई हो। इसलिये मैं सदन को ठीक तरह समझाने के लिये प्रारंभिक सिद्धांतों की व्याख्या करना चाहता हूं।

श्रीमान्, मैं सदन को अनुच्छेद 92, अनुच्छेद 93 (2) और अनुच्छेद 94 के उपबंधों का प्रभाव बताना चाहता हूं। अनुच्छेद 92 राष्ट्रपति का यह कर्त्तव्य नियत करता है कि वह इस वर्ष के लिये एक वित्तीय विवरण संसद के समक्ष पेश करे—मैं, 'वर्ष के लिये' इन शब्दों पर जोर देना चाहता हूं—जिसमें कुछ श्रेणियों के व्यय दिखाये जाते हैं, जो भारत के राजस्वों पर भारित हों और जो भारत के राजस्वों पर भारित न हों। ऐसा करने के पश्चात् अनुच्छेद 93 (2) पर अमल होता है जिसमें लिखा है कि उन प्राक्कलनों पर कार्यवाही कैसे होगी। उसमें उल्लिखित है कि प्राक्कलनें सदन में अनुदानों के रूप में पेश की जायेगी और उन पर लोक सभा में मतदान होगा। वह कार्य हो चुके, तब अनुच्छेद 94 प्रवर्तन में आ जाता है, नये अनुच्छेद 94 में उल्लिखित है कि लोक सभा में पेश किये गये सब अनुदान विनियोग अधिनियम के रूप में रखे जायेंगे तथा विनियमित होंगे। अब मैं चाहता हूं कि सदस्य इस पर विचार करें कि अनुच्छेद 92, 93 (2) और 94 का क्या प्रभाव है। फर्ज किया हम कोई और अनुच्छेद नहीं बनाते, तो क्या प्रभाव होगा? मेरे विवेकानुसार अनुच्छेद 92, 93(2) और 94 में समाविष्ट उपबंधों का प्रभाव यह होगा कि राष्ट्रपति वर्ष के मध्य में संसद में अन्य प्राक्कलनें पेश नहीं कर सकेगा। राष्ट्रपति विधि के अनुसार वे ही प्राक्कलनें पेश कर सकता है। इसका यह अर्थ होगा कि अनुपूरक मांगों, अनुपूरक अनुदानों, अधिकाई अनुदानों अथवा अन्य अनुदानों के लिये कोई उपबन्ध नहीं होगा, जिनका उल्लेख लेखानुदान आदि के रूप में किया गया है। यदि अनुपूरक अनुदानों और अन्य अनुदानों को, जिनका मैंने उल्लेख किया है, पेश करने के लिये कोई उपबंध नहीं किया जायेगा, तो कार्यपालिका का सब काम ही रूक जायेगा। अतएव, यह सामान्य उपबंध बना कर कि राष्ट्रपति उस वर्ष विशेष के व्यय की प्राक्कलनों को संसद के समक्ष पेश करने के लिये बाध्य होगा, उसे यह भी प्राधिकार दे दिया गया है कि यदि आवश्यकता पड़ जाये तो वह अन्य प्राक्कलनें भी पेश कर सकता है। अत: यदि हम संविधान में, अनुपूरक और अधिकाई अनुदानों के लिये कोई स्पष्ट उपबन्ध नहीं करते, तो अनुच्छेद 92, 93(2) और 94 के कारण वे पेश नहीं हो सकेंगे। अब सदन यह समझ जायेगा कि इन अनूपूरक अनुदानों को पेश करने के लिये यह उपबंध रखना क्यों अपेक्षित है।

अधिकाई मांगों के विषय में प्रश्न उठा है। मेरे विचार में कठिनाई स्वाभाविक है। सदस्यों ने कहा है कि जब यह उल्लेख कर दिया गया है कि विनियोग अधिनियम द्वारा निश्चित

सीमा के अलावा कार्यपालिका कोई धन व्यय नहीं कर सकेगी, तो अधिकाई अनुदानों का प्रश्न कैसे उठ सकता है? मेरे विचार में यही बात है। उसका उत्तर यह है: मेरे मित्र, पंडित कुंजरू द्वारा पेश किये गये संशोधन के अनुसार ही हम उपबंध बना रहे हैं, जो कि सूची 1 के पृष्ठ 27 पर नया अनुच्छेद 248 बी है, जिसमें कि भारत की संचित निधि में से एक आकस्मिकता निधि स्थापित करने का उपबंध है। वैयक्तिक रूप से मैं नहीं समझता कि ऐसा उपबंध अपेक्षित हो, क्योंकि यही प्रश्न आस्ट्रेलिया में उठा था, न्यू साउथ वेल्स के राज्य और कामनवैल्थ आफ आस्ट्रेलिया के मध्य मुकदमें में उठा था और उसमें प्रश्न यह था कि आया कामनवैल्थ को एक आकस्मिकता निधि स्थापित करने का अधिकार है, जबकि विधि में यह उल्लेख है कि समस्त राजस्व को संचित निधि में एकत्र कर दिया जाये और आस्ट्रेलियन कामनवैल्थ उच्च न्यायालय ने यह उत्तर दिया कि संचित निधि की स्थापना से संसद के विधान मंडल को यह वर्जन नहीं हो जाता कि वह संचित निधि में से कोई अन्य निधि स्थापित कर सके, चाहे वह निधि विशेष उसी वर्ष में खर्च न की जाये, क्योंकि यह तो केवल विनियोग है, चाहे दूसरे रूप में हों। किन्तु ये अनुच्छेद 248 ख को रखने के विषय में मैं अपने मित्र पंडित कुंजरू के संशोधन को स्वीकार कर लूंगा, जिससे कि इस विषय में कोई संदेह न रहे कि संचित निधि के उपबंध के रहते हुए क्या संसद को आकस्मिकता निधि स्थापित करने का अधिकार है। अत: यह संभव है कि कार्यपालिका को विनियोग अधिनियम के आधार पर जो निधि दी जाती है, उसके अतिरिक्त भी कार्यपालिका के पास संचित निधि होगी और ऐसी अन्य निधि भी होगी जो कि विधि द्वारा समय-समय पर बनाई जाये। अतएव, विनियोग अधिनियम का उल्लंघन किये बिना भी कार्यपालिका के लिये सर्वथा संभव होगा कि वह संसद द्वारा मतदान से स्वीकृत धन से अधिक व्यय कर सके और उस राशि को आकस्मिकता निधि या किसी अन्य निधि से निकाल सके। इसलिये अधिनियम का उल्लंघन तो हो ही गया, और ऐसा होना संभव है, क्योंकि कार्यपालिका किसी आपात में यह सोच सकती है कि ऐसा करना चाहिये और उनके लिये ऐसा करने के लिये निधि का भी उपबंध है। अत: प्रश्न यह है: जब ऐसा कार्य हो जाये, तो क्या आप उस कार्य के विनियमन के लिये उपबंध नहीं करेंगे? वास्तव में, यदि मैं कह दूं तो, अधिकाई अनुदान का पारित होना तो केवल ऐसा ही है कि जैसे संसद कोई अधिनियम पारित करके सरकार के कुछ अधिकारियों को, जिन्होंने कि नेकनियती से कोई ऐसा कार्य किया हो जो कि उस समय विधि के विपरीत हो, विमुक्त कर दे। अधिकाई अनुदान के विचार में कोई और बात नहीं है, और मैं सदन के सदस्यों के समक्ष 'हाउस ऑफ कामन्स के सार्वजनिक कार्य की प्रक्रिया की संहिता की कंडिका 230 को पढ़कर सुनाना चाहता हूं। कंडिका 230 में यही लिखा है:

> ''अधिकाई अनुदान की आवश्यकता तब पड़ती है जबकि कोई विभाग असैनिक आकस्मिकता निधि अथवा ट्रेजरी चैस्ट निधि में से अथवा अन्य प्राप्तियों में से अग्रिम लेकर अथवा अन्यथा किसी प्रकार कोई धन किसी सेवा पर व्यय कर दे, जो कि उस वर्ष में उस सेवा के लिये स्वीकृत राशि से अधिक हो।''

इसलिये इसमें कोई विचित्रता नहीं है। केवल यही बात है कि जब कोई अनुपूरक प्राकक्लन होती है, तब अधिक व्यय किये बिना ही मंजूरी प्राप्त कर ली जाती है। अधिकाई अनुदान

[माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर]

के बारे में अधिक व्यय पहले ही हो चुकता है और कार्यपालिका उस व्यय की मंजूरी के लिये संसद के पास आती है। अत: मेरे विचार में कोई कठिनाई नहीं है; कोई कठिनाई तो है ही नहीं, वरन् इसकी आवश्यकता है, जब तक कि आप इतना उपबंध करने के लिये तैयार न हो कि जब भी कोई कार्यपालिका अधिकारी विनियोग अधिनियम द्वारा स्वीकृत धन के अतिरिक्त कोई धन व्यय करता है, तो उसे अपराधी समझा जायेगा और उस पर मुकदमा चलाया जायेगा, तब तक आपको अधिकाई अनुदान की इस प्रक्रिया को स्वीकार करना होगा।

***माननीय श्री के. सन्तानम्:** क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या नये अनुच्छेद 95 (2) में उल्लिखित विधि के उपबंधों के अधीन पिछले तीन अनुच्छेद प्रभावी होंगे? क्या इसका यह अर्थ है कि प्रत्येक अनुपूरक अनुदान के पश्चात् एक अनुपूरक विनियोग अधिनियम पेश किया जायेगा?

***माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर:** हां, यही तो होगा।

***माननीय श्री के. सन्तानम्:** विनियोग समस्त वर्ष के लिये नहीं होगा?

***माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर:** अनुपूरक विनियोग भी हो सकता है। हाउस ऑफ कामन्स में सदा ऐसा ही होता है।

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना:** मेरे संशोधन का क्या हुआ, श्रीमान्?

***माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर:** मुझे बहुत खेद है। प्रो. शिब्बनलाल सक्सेना कहते हैं कि वित्त वर्ष को बदल दिया जाये। खैर, मुझे तो केवल यही कहना है कि मुझे संदेह है कि उनका उद्देश्य साफ नहीं हैं। वे शायद शरद् सत्र चाहते हैं जिससे कि वे जितना चाहे उतना कात सकें। यदि वे लम्बे सत्र चाहते हैं तो उन्हें गर्मी के मासों में बैठना चाहिये, जैसा हम आजकल कर रहे हैं।

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना:** फिर आप ही पहाड़ पर आराम के लिये जाना चाहेंगे मैं नहीं। गर्मी से मेरी वक्तृताओं पर जरा भी प्रभाव नहीं पड़ेगा।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

> ''कि प्रथम सूची (चतुर्थ सप्ताह) के संशोधन संख्या 12 में, प्रस्तावित अनुच्छेद 95 के खंड (1) में–
>
> (1) उपखंड (क) में, अंत का 'or' शब्द हटा दिया जाये;
>
> (2) उपखंड (ख) हटा दिया जाये; तथा
>
> (3) खंड (1) के अंत में, निम्न शब्द जोड़ दिये जायें:
>
> 'and until both the Houses of Parliament pass such a demand, the expenditure shall not be incurred, and if incurred payment shall not be made.' ''

संशोधन अस्वीकृत हो गया।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

''कि अनुच्छेद 95 के स्थान पर, निम्न अनुच्छेद रख दिया जाये:

'95. *अनुपूरक, अपर या अधिकाई अनुदान*—(1) यदि—

(क) अनुच्छेद 94 के उपबंधों के अनुसार निर्मित किसी विधि द्वारा विशेष सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष के लिये व्यय किये जाने के लिये प्राधिकृत कोई राशि उस वर्ष के प्रयोजनों के लिये अपर्याप्त पाई जाती है अथवा जब उस वर्ष के वार्षिक वित्त वितरण में अपेक्षित न की गई किसी नई सेवा पर अनुपूरक अथवा अपर व्यय की चालू वित्तीय वर्ष में आवश्यकता पैदा हो गई है, अथवा

(ख) किसी वित्तीय वर्ष के किसी सेवा पर, उस सेवा और उस वर्ष के लिये, अनुदान की गई राशि से अधिक कोई धन व्यय हो गया है, तो राष्ट्रपति यथास्थिति संसद के दोनों सदनों के समक्ष उस व्यय की प्राक्कलित की गई राशि को दिखाने वाला दूसरा विवरण रखवायेगा अथवा लोक सभा में ऐसी अधिकाई के लिये मांग उपस्थित करायेगा।

(2) ऐसे किसी विवरण और व्यय या मांग के सम्बन्ध में तथा भारत की संचित निधि में ऐसे व्यय अथवा ऐसी मांग के बारे में अनुदान की पूर्त्ति के लिये धनों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिये बनाई जाने वाली किसी विधि के सम्बन्ध में भी, पिछले तीन अनुच्छेदों के उपबंध वैसे ही प्रभावी होंगे जैसे कि वे वार्षिक वित्त विवरण तथा उसमें वर्णित व्यय अथवा अनुदान की किसी मांग तथा भारत की संचित निधि में से ऐसे किसी व्यय या मांग से सम्बन्धित अनुदान की पूर्त्ति के लिये धनों का विनियोग' प्राधिकृत करने के लिये बनाई जाने वाली विधि के सम्बन्ध में प्रभावी है।' ''

संशोधन स्वीकृत हो गया।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

''कि प्रथम सूची (चतुर्थ सप्ताह) के संशोधन संख्या 12 में, प्रस्तावित नये अनुच्छेद 95 के पश्चात्, निम्न नया खंड जोड़ दिया जाये:

'(3) After the first Parliament elected under this Constitution comes into being, the financial year, shall commence on the first November and end with the 31st of October.' ''

संशोधन अस्वीकृत हो गया।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

''कि संशोधित रूप में अनुच्छेद 95 संविधान का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हो गया।

संशोधित रूप में अनुच्छेद 95 संविधान में जोड़ दिया गया।

अनुच्छेद 96

***माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर:** श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि अनुच्छेद 96 के स्थान पर निम्न अनुच्छेद रख दिया जाये:

'96. *लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान*—(1) इस अध्याय में पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी लोक सभा को—

(क) किसी वित्तीय वर्ष के भाग के लिये प्राक्कलित व्यय के बारे में किसी अनुदान को, ऐसे अनुदान के लिये मतदान करने के लिये अनुचछेद 93 में विहित प्रक्रिया की पूर्त्ति के लम्बित रहने तक, तथा उस व्यय के सम्बन्ध में अनुच्छेद 94 के उपबंधों के अनुसार विधि के पारण के लम्बित रहने तक, पेशगी देने की,

(ख) जबकि किसी सेवा की महत्ता या अनिश्चित रूप के कारण मांग वैसे ब्यौरे के साथ वर्णित नहीं की जा सकती जैसा कि वार्षिक वित्त विवरण में साधारणतया दिया जाता है तब भारत के सम्मति स्रोतों पर अप्रत्याशित मांग की पूर्त्ति के लिये अनुदान करने की,

(ग) किसी वित्तीय वर्ष की चालू सेवा का जो अनुदान भाग न हो ऐसा कोई अपवादानुदान करने की शक्ति होगी तथा उक्त अनुदान जिन प्रयोजनों के लिये किये गये हैं उनके लिये भारत की संचित निधि में से धन निकालना विधि द्वारा प्राधिकृत करने की शक्ति होगी।

(2) खंड (1) के अधीन किये जाने वाले किसी अनुदान तथा उस खंड के अधीन बनाई जाने वाले किसी विधि के सम्बन्ध में अनुच्छेद 93 और 94 के उपबंध वैसे ही प्रभावी होंगे जैसे कि वे वार्षिक वित्त विवरण में वर्णित किसी व्यय के बारे में किसी अनुदान के करने के तथा भारत की संचित निधि में से ऐसे व्यय की पूर्त्ति के लिये धनों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिये बनाये जाने वाली विधि के सम्बन्ध में प्रभावी है।' ''

(संशोधन संख्या 1720 पेश नहीं किया गया।)

***माननीय श्री के. सन्तानम्:** श्रीमान्, मैं व्यापक सिद्धांत का विषय फिर नहीं उठाना चाहता, क्योंकि वह स्वीकृत हो चुका है किन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि इस अनुच्छेद की रचना कुछ त्रुटिमय है।

उदाहरणार्थ खंड (1) में लिखा है, ''लोक सभा की शक्ति होगी'', और इसके पश्चात् उपखंड (ग) में लिखा है, ''और विधि द्वारा प्राधिकृत करने की...'' मेरे विचार में संविधान के अनुसार, लोक सभा विधि द्वारा प्राधिकृत नहीं कर सकती।

***माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर:** श्रीमान्, मैं कहना चाहता हूं कि मस्विदा समिति उपखंड (ग) के बाद की तीन पंक्तियों की भाषा को बाद में बदलने की स्वतंत्रता चाहती है।

***माननीय श्री के. सन्तानम्:** श्रीमान्, मैं इस बात को समझ नहीं पाया। सदन में हम ऐसी चीज पारित कर दें जो कि स्पष्टत: गलत है और संविधान के विपरीत है और फिर मस्विदा समिति पर उसे छोड़ दें। मैं नहीं समझता कि हम जो उपबंध बना रहे हैं उनको छेड़ने की आजादी हम मस्विदा समिति को दे सकते हैं, जब तक कि कोई भूल चुक न हो। हम नहीं चाहते कि हमारे समक्ष बिल्कुल एक नया संविधान रख दिया जाये और हम उसके प्रत्येक अनुच्छेद को पुन: देखने का कष्ट करें। मैं नहीं समझता कि स्पष्टत: गलत खंड को पारित कर देना सदन के लिये ठीक होगा। या तो उन्हें यह कहना चाहिये कि संसद को शक्ति होगी.....

***माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर:** मैं, अभी इस संशोधन को स्वीकार करने के लिये तैयार हूं। आप उसका सुझाव पेश कर सकते हैं। 'संसद को विधि द्वारा प्राधिकृत करने की शक्ति होगी.....'

***माननीय श्री के. सन्तानम्:** श्रीमान्, संशोधन यह हो सकता है ''and Parliament shall have power to authorise by law the withdrawal of money from the Consolidated Fund of India for the purpose for which the said grants are made.''

खंड (2) को लेते हैं, तो उसमें लिखा है ''that the provisions of articles 93 and 94 of this Constitution shall have effect in relation to the making of any grant.....'' मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसका यह मतलब है कि इसके लिये विनियोग अधिनियम रखना होगा और उस विनियोग अधिनियम में समस्त विभाग दिखाये जायेंगे, भारित और अभारित, मतदान योग्य और मतदान से विमुक्त, जैसा कि पिछले अनुच्छेद में लिखा है। यदि इसका यही आशय है.....

***माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर:** ऐसा नहीं हो सकता है।

***माननीय श्री के. सन्तानम्:** अनुच्छेद 93 में लिखा है.....

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** यदि इससे माननीय सदस्य के समझ में बात आ जाये, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि विनियोग अधिनियम से पूर्व एक संचित निधि विधेयक अधिनियम संख्या 1 होगा, जिसमें मुख्य रूपरेखा होगी।

***माननीय श्री के. सन्तानम्:** मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या संचित निधि विधेयक संख्या 1 में भी भारित और अभारित राशियां और मतदान के योग्य तथा मतदान से विमुक्त राशियां सब समाविष्ट होंगी, या मतदान के योग्य राशियां भी होंगी।

***माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर:** भारित राशियां तो केवल अंतिम विनियोग अधिनियम में ही होती हैं। मतदान के योग्य लेखे में वे चीजें होती हैं, जिन्हें हाउस ऑफ कामन्स की पारिभाषिक भाषा में 'सप्लाई सेवाएं' कहा जाता है जो राजस्व पर भारित सेवा सेवाओं से भिन्न होती है।

***माननीय श्री के. सन्तानम्:** अनुच्छेद में लिखा है कि अनुच्छेद 93 और 94 के उपबंधों की पूर्ति करनी होगी।

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकरः अनुच्छेद 93 और 94 का अर्थ है, विनियोग अधिनियम पर मतदान।

***माननीय श्री के. सन्तानम्ः** अनुच्छेद 93, प्रथम भाग, में लिखा है कि भारित राशियां को वहां दिखाया जायेगा और दूसरे भाग में लिखा है कि मतदान के योग्य राशियों को सदन में उपस्थित किया जायेगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये दोनों प्रकार की राशियां मतदान के लेखे पर लागू होंगी।

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकरः अनुच्छेद 93 में लिखा है कि भारत के राजस्व पर भारित सेवाओं पर सदन का मत लेना अपेक्षित नहीं है।

***माननीय श्री के. सन्तानम्ः** किन्तु, उन्हें विनियोग अधिनियम में तो दिखाना ही होगा।

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकरः जब यह पारित हो जायेगा। उसे ही संचित निधि अधिनियम प्रथम कहते हैं।

***माननीय श्री के. सन्तानम्ः** अनुच्छेद 94 तो संचित निधि अधिनियम के बारे में नहीं है।

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकरः वही विनियोग अधिनियम भी है। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, इनमें कोई अन्तर नहीं है। विनियोग अधिनियम में विस्तृत विवरण होता है, और संचित निधि में नहीं होता।

***माननीय श्री के. सन्तानम्ः** मैं नहीं समझता कि डा. अम्बेडकर के स्पष्टीकरण का मूल्य किसी अनुच्छेद के उपबंधों से भी बढ़ सकता है। अनुच्छेद के वर्तमान रूप से तो यही प्रकट है कि अनुच्छेद 93 और 94 के समरत उपबंध इस संचित निधि पर तथा अन्य पर भी लागू होंगे। अतः आय व्ययक की समस्त प्रक्रिया को दोहराना होगा।

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकरः यदि माननीय सदस्य उपखंड (2) को ध्यान से पढ़ेंगे तो उन्हें पता लग जायेगा कि उसमें किस उपखंड की चर्चा है। उसमें लिखा है, ''The provisions of articles 93 and 94 of this Constitution shall have effect in relation to the making of any grant under clause (1)''

***माननीय श्री के. सन्तानम्ः** पढ़े जाइये।

***माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकरः** जैसा कि मैंने कहा था, राजस्व पर भारित सेवाओं के विषय में अनुदान का कोई प्रश्न नहीं है।

***माननीय श्री के. सन्तानम्ः** .....'and to any law to be made under that clause that they have effect in relation to the making of a grant with regard to any expenditure.....' अतः संचित निधि अधिनियम प्रथम तो अंतिम संचित निधि

अधिनियम की प्रतिलिपि ही होगी, हां वह लघुरूप हो सकता है। उसमें भारित और अभारित, मतप्रदेय और अमतदेय आदि सब कुछ ही होगा। मेरे विचार में यदि हम इस उपबंध को स्वीकार कर लेंगे, तो यही परिणाम होगा।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** अध्यक्ष महोदय, मैं बिल्कुल मानता हूं कि इसकी भाषा से कुछ भ्रांति की गुंजाइश पैदा हो गई है; किन्तु मैं अपने माननीय मित्र श्री के. सन्तानम् को आश्वासन दे सकता हूं कि सारी आयव्ययक प्रक्रिया को तो पूरा करना होगा, चाहे बहुत सरसरी तौर पर ही सही। उदाहरणार्थ, जहां तक संसद में संचित निधि विधेयक संख्या 1 का सम्बन्ध है, अभिसमय यह है कि कार्यपालिका उन सप्लाई सेवाओं के लिये धन की मांग नहीं करती जो पिछले वर्ष की राशि से बहुत भिन्न हो। आखिर संसद तो केवल तीन चार मास के लिये ही अनुदान करती है। नि:संदेह यदि कोई विधेयक होगा तो अनुसूची भी होगी ही और अनुसूची में विस्तृत विवरण भी होगा ही, शायद उसी प्रकार जैसे कि विनियोग विधेयक की अनुसूची में होता है। यदि मेरे माननीय मित्र अनुच्छेद 94 को फिर पढ़ें जिसे सदन ने स्वीकार कर लिया है, तो वे देखेंगे कि संचित निधि में से धन देने की चर्चा वहां की गई है और उससे वे डाक्टर अम्बेडकर द्वारा दी गई व्याख्या को अधिक अच्छी तरह समझ सकेंगे कि विनियोग विधेयक भी वही है जो कि संचित निधि विधेयक है। प्रारंभिक विधेयक तो संचित निधि विधेयक संख्या 1 होगा और मुख्य विधेयक के साथ जो अनुसूची होगी उसमें संचित निधि विधेयक संख्या 1 की सब बातें होंगी। ज्यों ही मुख्य विधेयक पारित हो जायेगा प्रारंभिक विधेयक की कोई वैधता नहीं रहेगी। यह बात संसद की इच्छा पर है तथा मांग के प्रकार पर निर्भर है कि किस प्रक्रिया को अपनाया जायेगा। यदि वे एक सांकेतिक अनुसूची को ही पर्याप्त मान लें, जिसमें कि मोटे तौर पर कुल राशि दी हुई हो तो उसमें अन्तर्ग्रस्त श्रम बहुत कम होगा। किन्तु यदि वे चाहे कि इस समय मांगों की पुस्तक में जितनी मदें होती हैं वे सब दी जायें तो वह भी संभवत: हो सकता है, किन्तु उसमें कुछ हिसाब का काम करना होगा; यह तो सब संसद की मांग पर निर्भर हैं। यह तो केवल प्रक्रिया सम्बन्धी प्रश्न है और यदि मेरे माननीय मित्र ने सिद्धांत को स्वीकार कर लिया है, तो मेरे विचार में इस प्रस्तावित प्रक्रिया को स्वीकार करने में कोई और कठिनाई नहीं होनी चाहिये। मेरे विचार में तो केवल इसी बात से कोई असाध्य कठिनाई उत्पन्न नहीं हो जाती कि अनुच्छेद 93 और 94 का उल्लेख कर दिया गया है और उसमें लिखी प्रक्रिया पर चलना होगा। मैं अपने माननीय मित्र श्री सन्तानम् को आश्वासन दे देता कि प्रारंभ से हमारा यही उद्देश्य रहा है कि ऐसी प्रक्रिया के सृजन को रोका जाये, जिस पर चलना संसद के लिये कठिन होगा, और साथ ही ऐसी स्थिति भी पैदा नहीं होगी, जिससे वर्तमान वस्तुस्थिति अकस्मात ही बदल जाये। यदि संसद चाहेगी तो बाद में इन चीजों को बदल सकती है। शायद, श्रीमान्, इस संविधान के पारित होने के पश्चात् प्रथम आयव्ययक सत्र में, जबकि अस्थायी संसद बैठेगी, यह अपेक्षित हो कि उसे थोड़ी स्वतंत्रता देनी होगी कि वह इन अनुच्छेदों में उल्लिखित कठोर उपबंधों का अनुसरण करे या उनमें परिवर्तन कर दे। संक्रमण काल को आसान बनाने के लिये बहुत प्रयत्न किया जायेगा। यह तो केवल प्रक्रिया सम्बन्धी बात है और मैं समझता हूं कि इस विषय में समय-समय पर संसद की इच्छा को पूरा करना कठिन नहीं होगा।

***माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर:** मैं नहीं समझता कि कुछ और कहना आवश्यक है। मैं केवल एक संशोधन पेश करता हूं:

''कि खंड (1) में उपखंड (ग) के पश्चात्, 'and' शब्द के बाद और 'to' शब्द के पहले निम्न शब्द जोड़ दिये जायें:

'Parliament shall have power.' ''

अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

''कि अनुच्छेद 96 के स्थान पर निम्न अनुच्छेद रख दिया जाये:

'96. *लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान*—(1) इस अध्याय के पूर्वगामी उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी लोक सभा को–

(क) किसी वित्तीय वर्ष के भाग के लिये प्राक्कलित व्यय के बारे में किसी अनुदान को, ऐसे अनुदान के लिये मतदान करने के लिये अनुच्छेद 93 में विहित प्रक्रिया की पूर्त्ति के लम्बित रहने तक तथा उस व्यय के सम्बन्ध में अनुच्छेद 94 के उपबंधों के अनुसार विधि के पारण के लम्बित रहने तक पेशगी देने की,

(ख) जबकि किसी सेवा की महत्ता या अनिश्चित रूप के कारण मांग वैसे ब्यौरे के साथ वर्णित नहीं की जा सकती जैसा कि वार्षिक वित्त विवरण में साधारणतया: दिया जाता है तब भारत के सम्पति स्रोतों पर अप्रत्याशित मांग की पूर्त्ति के लिये अनुदान करने की,

(ग) किसी वित्तीय वर्ष की चालू सेवा का जो अनुदान भाग न हो ऐसा कोई अपवादानुदान करने की, शक्ति होगी तथा उक्त अनुदान जिन प्रयोजनों के लिये किये गये हैं उनके लिये भारत की संचित निधि में से धन निकालना विधि द्वारा प्राधिकृत करने की शक्ति संसद को होगी।

(2) खंड (1) के अधीन किये जाने वाले किसी अनुदान तथा उस खंड के अधीन बनाई जाने वाली किसी विधि के सम्बन्ध में अनुच्छेद 93 और 94 के उपबंध वैसे प्रभावी होंगे जैसे कि वे वार्षिक वित्त विवरण में वर्णित किसी व्यय के बारे में किसी अनुदान के करने के तथा भारत की संचित निधि में से ऐसे व्यय की पूर्त्ति के लिये धनों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिये बनाये जाने वाली विधि के सम्बन्ध में प्रभावी है।' ''

संशोधन स्वीकृत हो गया।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

''कि संशोधित रूप में अनुच्छेद 96 संविधान का भाग हो।''

प्रस्ताव स्वीकृत हो गया।

संशोधित रूप में अनुच्छेद 96 संविधान में जोड़ दिया गया।

***अध्यक्ष:** प्रोफेसर शाह ने एक नया अनुच्छेद 96-क जोड़ने के संशोधन की सूचना दी है। संख्या 1721।

***प्रो. के.टी. शाहः** श्री सक्सेना के इसी प्रकार के संशोधन पर मतदान हो चुकने के पश्चात्, मैं नहीं जानता कि इसे पेश करना उचित होगा। किन्तु यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूं जो डा. अम्बेडकर के उत्तर के प्रत्युत्तर में है, जिसमें उन्होंने यह लांछन लगाया है कि ऐसे संशोधन उन लोगों द्वारा पेश किये जाते हैं जो लम्बे सत्र चाहते हैं। मैंने इन्हीं विचारों को अपनी पुस्तकों में 25 वर्ष पूर्व प्रकट किया है और यदि डा. अम्बेडकर कहते हैं कि यह एक बुरा उद्देश्य है, तो मेरे विचार में यह बात अनुचित है।

***अध्यक्षः** मेरे ख्याल में उन्होंने यह बात गम्भीर होकर नहीं कही थी। हम अनुच्छेद 97 को लेते हैं। श्री कामत–1722।

अनुच्छेद 97

***श्री एच.वी. कामतः** श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं:—

> ''कि अनुच्छेद 97 के खंड (1) में, 'and a Bill making such provision shall not be introduced in the Council of States' ये शब्द हटा दिये जायें।''

संविधान में स्थान-स्थान पर जो पुनरावृत्तियां हैं, यह खंड भी उसका एक दृष्टांत है। यदि सदन अनुच्छेद 89 और 90 को पढ़े तो इसे पता लग जायेगा कि इस खंड की कोई आवश्यकता नहीं है। अनुच्छेद 89 खंड (1) में लिखा है कि धन-विधेयक राज्य-परिषद में पेश नहीं किया जायेगा। अनुच्छेद 90 में धन विधेयक को इस अध्याय के प्रयोजनार्थ परिभाषित कर दिया गया है। इन दोनों को साथ पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है कि इसे यहां दोहराना अनावश्यक है। इस उपबंध को इस अनुच्छेद में दोहराने का कोई युक्तियुक्त कारण है ही नहीं। श्रीमान्, मैं इसे प्रस्तावित करता हूं।

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेनाः** तो फिर राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई विधेयक लोक सभा में भी पेश नहीं हो सकता।

***श्री एच.वी. कामतः** मैं नहीं समझता कि मेरे संशोधन का यह निर्वचन किया जा सकता है।

***अध्यक्षः** संख्या 1723।

प्रो. के.टी. शाहः श्रीमान्, मैं सविनय प्रस्ताव करता हूं:

> ''कि अनुच्छेद 97 के खंड (3) में, 'India' शब्द के पश्चात् 'outside the frontiers of India in war-like operations' शब्द रख दिये जायें; और 'passed' शब्द के पहले 'considered or' ये शब्द प्रविष्ट कर दिये जायें; और खंड के अन्त में निम्न उपबंध जोड़ दिया जाये:
>
> 'Provided that whenever the President makes any such recommendation he shall give his reasons for the same in writing.' ''

संशोधित रूप में खंड इस प्रकार बन जायेगा:

> A bill which, if enacted and brought into operation, would involve expenditure from the revenues of India out side the frontiers of India

[प्रो. के.टी. शाह]

> in war-like operations shall not be considered or passed by either House of Parliament unless the President has recommended to that House the consideration of the Bill
>
> ब्रिटिश राज्य के अन्तर्गत अपने पिछले अनुभव से मुझे इस संशोधन को पेश करने की प्रेरणा मिली है। भारत के धन की सबसे बड़ी बरबादी पिछली सरकार के युद्ध संबंधी कार्यों पर होती थी और उन कार्यों पर होती थी जो ब्रिटेन के साम्राज्यवादी या आक्रमणात्मक युद्धों के समर्थन में भारत की सीमा के बाहर किये जाते थे। पिछले भारत-शासन-अधिनियम 1915 में एक उपबंध था, जो उस समय की सरकार को, सीमान्त के बाहर युद्ध संबंधी कार्यों पर एक पाई भी खर्च करने से रोकता था, जब तक कि संसद का प्राधिकार प्राप्त न हो जाये, जो कि उस समय भारतीय लोगों के कल्याण के लिये, मानो, न्यासधारी थी, या बन गई थी। यह बात नहीं है कि उसने इस प्रकार भारत के धन का प्रयोग होने पर कभी आपत्ति की हो; पर फिर भी वह एक उचित रोक थी।

वर्तमान उपबंध में मैं वैसा ही रक्षण कवच प्रविष्ट करके भारत के सीमान्त के बाहर युद्ध सम कार्यों में भारतीय राजस्व के अनावश्यक प्रयोग या दुरुपयोग को रोकना चाहता हूं। यह अनुच्छेद अधिकाई अनुदानों के संबंध में है और यदि यह धन भारत के सीमान्त के बाहर प्रयुक्त हो, तो मैं किसी न किसी प्रकार का संरक्षण रखना चाहता हूं। मेरा यह आशय नहीं है कि उस धन का प्रयोग नहीं होगा और यह भी आशय नहीं है कि भारत अपने सीमान्त के बाहर रक्षात्मक या आक्रमणात्मक युद्ध न कर सकेगा, और उस संबंध में रुपया खर्च नहीं कर सकेगा, पर मेरा आशय यह है कि ऐसी आवश्यकता होने पर राष्ट्रपति को यह मामला सदन के समक्ष रखना चाहिये और लिखित रूप में अपने कारण देने चाहिये। लोक सभा को यह सोचने का अवसर मिलना चाहिये कि क्या अपेक्षित व्यय भारत के हित में उचित है और फिर पूरी स्थिति समझ कर उसे उस व्यय के लिये प्राधिकार प्रदान करना चाहिये।

मैं फिर यह बात दोहराना चाहता हूं कि इस संशोधन के पेश करने में मेरा यह इरादा नहीं है कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा के मामले में कार्यपालिका द्वारा आवश्यक कार्यवाही करने में रोड़ा अटकाया जाये। किंतु पिछले अनुभव को ध्यान में रखकर, मेरे विचार में, कुछ रखण-कवच होना चाहिये, जिससे कि हमारी खुला खर्च करने की प्रवृत्ति से हमारी हानि न हो। श्रीमान्, मैं इसे पेश करता हूं।

***अध्यक्षः** प्रो. शिब्बनलाल सक्सेना, संशोधनों पर संशोधनों की सूची का संख्या 231।

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेनाः** श्रीमान्, मैं अपने संशोधन संख्या 231 के अन्तिम भाग को ही पेश करता हूं:

> ''कि अनुच्छेद 97 में, खंड (3) को हटा दिया जाये।''

***अध्यक्षः** आप दूसरा संशोधन पेश नहीं कर रहे हैं?

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना:** नहीं श्रीमान्।

श्रीमान्, मुझे इस अनुच्छेद में इस खंड की आवश्यकता दिखाई नहीं देती। यह पहले ही कहा जा चुका है कि धन-विधेयकों के लिये एक विशेष प्रक्रिया होगी। उसके बाद मुझे इस खंड की कोई आवश्यकता दिखाई नहीं देती। वास्तव में, यदि इसका कठोरता से निर्वचन किया जाये तो सदन द्वारा पारित या सदन द्वारा पारित कोई भी विधेयक ऐसा नहीं हो सकता जिससे सरकार किसी व्यय में अंतर्ग्रस्त न हो जायेगी। यदि वह साधारण विधेयक भी हो तब भी, यदि उसे प्रवर्तन में लाया जाये या क्रियान्वित किया जाये, तो उससे भारत के राजस्व से कुछ व्यय हो ही जायेगा, जब तक कि यह इरादा न हो कि वह व्यय अनुच्छेद 92 के अनुसार मतदान से मुक्त होगा। हां, फिर तो दूसरी बात है; किंतु विद्यमान रूप में तो, मेरे ख्याल में इसका यही अर्थ है कि कोई भी विधेयक, जिसमें कोई व्यय अन्तर्ग्रस्त हो, सदन में पेश नहीं किया जा सकता। श्रीमान्, मैं इसे पेश करता हूं।

***अध्यक्ष:** सब संशोधन पेश हो चुके हैं, और अब इस खंड तथा संशोधनों पर वाद-विवाद हो सकता है।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** मुझे प्रोफेसर सक्सेना के अन्तिम संशोधन पर एक ही शब्द कहना है। वे कार्यपालिका की पहल करने की शक्ति को कम करना चाहते हैं, जिसे इन सब वित्तीय उपबन्धों संबंधी अनुच्छेदों में बनाये रखने का प्रयत्न किया गया है, जहां तक व्यय और करारोपण का संबंध है। वास्तव में यह एक परम्परा है, जिस पर हम इस देश में चलते रहे हैं और जिसे हमने अंग्रेजी प्रणाली से लेकर संविधान के मस्विदे में रख दिया है, जिसके अनुसार शताब्दियों से यह कार्यपालिका का उत्तरदायित्व माना गया है कि वह उन प्रस्तावों को पेश करे जिनमें कि कर लगाने के या व्यय करने के सुझाव अन्तर्ग्रस्त हों। यदि ऐसा हो कि एक गैर सरकारी सदस्य ऐसे विधेयकों को पेश कर सके, जिनमें कर लगाने या व्यय करने का सुझाव अन्तर्ग्रस्त हो, तो कार्यपालिका का उत्तरदायित्व कम हो जायेगा और उनके लिये उस व्यय को पूरा करने के उपाय ढूंढना कठिन हो जायेगा। इस सिद्धांत को सब संविधानों में अच्छी तरह स्वीकार किया गया है कि उपक्रमण का कार्य कार्यपालिका ही पर रहे। हां, मैं यह देखता हूं कि प्रो. शिब्बनलाल सक्सेना ने दूसरे संशोधन पेश नहीं किये हैं जिनमें वे विधान मंडल को ऐसे संशोधन पेश करने की यह शक्ति देना चाहते थे, जिनका प्रभाव यह होता कि संसद को नये कर लगाने के विधेयकों में करों की दरें बढ़ाने की अथवा विद्यमान कर-व्यवस्था को बदलने की अनुमति हो जाये। स्पष्ट है कि उन्होंने उस प्रकार के संशोधन के अनौचित्य को समझ लिया और उसे छोड़ दिया किंतु मैं अनुभव करता हूं कि वे इसी प्रकार विचार करेंगे तो उन्हें पता लग जायेगा कि वे जिस उपबंध को संशोधित करना चाहते हैं, वैसा ही उपबंध आजकल भारत शासन अधिनियम में है और ब्रिटिश संसद के स्थायी आदेशों में है और संसदीय शासन प्रणाली के लगभग प्रत्येक विधान मंडल में है कि उपक्रमण की शक्ति पूर्णत: कार्यपालिका के हाथ में ही होती है। अत: किसी अधिराज्य विधान मंडल ने कार्यपालिका की इस शक्ति को ले लेने का प्रयत्न नहीं किया। मेरे विचार में प्रोफेसर शिब्बनलाल सक्सेना के संशोधन को इस कारण स्वीकार नहीं किया जा सकता और खंड वर्तमान में ही रहना चाहिये।

[श्री टी.टी. कृष्णमाचारी]

जहां तक प्रोफेसर शाह के संशोधन का संबंध है, मैं नहीं समझता कि मुझे डा. अम्बेडकर के बोलने से पहले ही उस पर कुछ कहना चाहिये। उन्होंने जो कारण बताये हैं, वे काफी स्पष्ट हैं, कि वे राष्ट्रपति या कार्यपालिका को कोई ऐसा विधेयक पेश करने की शक्ति नहीं देना चाहते, जिसमें भारत के बाहर किया जाने वाला व्यय अंतर्ग्रस्त हो, क्योंकि वे यह नहीं चाहते कि भारत की भावी सरकार किसी साम्राज्यवादी युद्धों में भाग ले। यह सर्वथा संभव है कि भावी भारत सरकार को भारत के सीमान्त प्रतिरक्षा के निमित्त कुछ ऐसे पग उठाने पड़ें जिसके संबंध में भारत के सीमान्त से जरा परे जाकर कुछ कार्यवाही करना अपेक्षित हों, और भविष्य में सरकार की अखंडता को बनाये रखने का उनका उद्देश्य ही अपूर्ण रह जाये, यदि प्रो. शाह के संशोधन को स्वीकार करके इस प्रकार के उपबंध के द्वारा कार्यपालिका के हाथ बांध दिये जायें। यदि कोई इस विचार का हो कि सब ही युद्ध साम्राज्यवादी होते हैं, तो उसके अनुसार यह बात बिल्कुल उचित है। कभी-कभी देशों को शुद्धतः प्रतिरक्षात्मक प्रयोजनों के लिये युद्धों में भाग लेना पड़ता है और प्रो. शाह के संशोधन को स्वीकार करने से तो वह प्रयोजन भी पूरा नहीं हो सकेगा। अतएव मेरा यह सुझाव है कि इस अनुच्छेद विशेष के संबंध में इस दोनों संशोधनों का कोई महत्त्व नहीं है और उन्हें रद्द कर देना चाहिये।

***माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकरः** मैं नहीं समझता कि कोई उत्तर आवश्यक है, किंतु श्रीमान्, आपकी अनुमति से मैं स्वयं एक संशोधन पेश करना चाहता हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं:

> ''कि संशोधन सूची के संशोधन संख्या 1723 के निदेश से, अनुच्छेद 97 के खंड (3) में 'revenues of India' इन शब्दों के स्थान पर 'Consolidated Fund of India' ये शब्द रख दिये जायें।''

***श्री एच.वी. कामतः** खंड के अन्त के शब्द को व्यर्थ दोहराया गया है।

***माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकरः** मेरा ऐसा ख्याल नहीं है।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

> ''कि अनुच्छेद 97 के खंड (1) में 'and a Bill making such provision shall not be introduced in the Council of States' ये शब्द हटा दिये जायें।'''

संशोधन अस्वीकृत हो गया।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

> ''कि संशोधन-सूची के संशोधन संख्या 1722 अथवा 1723 के स्थान पर निम्न संशोधन रख दिया जाये:
>
> 'कि अनुच्छेद 97 में खंड (3) को हटा दिया जाये।' ''

संशोधन अस्वीकृत हो गया।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

> ''कि अनुच्छेद 97 के खंड (3) में 'India' शब्द के पश्चात् 'outside the frontiers of India in war-like operations' ये शब्द प्रविष्ट कर दिये जायें।''

संशोधन अस्वीकृत हो गया।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

''कि अनुच्छेद 97 के खंड (3) में 'Passed' शब्द के पहले 'considered or' ये शब्द प्रविष्ट कर दिये जायें।''

संशोधन अस्वीकृत हो गया।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

''कि अनुच्छेद 97 के खंड (3) के अन्त में निम्न परन्तुक जोड़ दिया जाये:

'Provided that whenever the President makes any such recommendations he shall give his reasons for the same in writing.' ''

संशोधन अस्वीकृत हो गया।

***अध्यक्ष:** अब मैं डा. अम्बेडकर के संशोधन पर मत लेता हूं।

प्रश्न यह है:

''कि संशोधन-सूची के संशोधन संख्या 1723 के निदेश से अनुच्छेद 97 के खंड (3) में 'revenues of India' इन शब्दों के स्थान पर 'Consolidated Fund of India' ये शब्द रख दिये जायें।''

संशोधन स्वीकृत हो गया।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

''कि संशोधित रूप में अनुच्छेद 97 संविधान का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हो गया।

संशोधित रूप में अनुच्छेद 97 संविधान में जोड़ दिया गया।

अनुच्छेद 98

***श्री एच.वी. कामत:** अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि अनुच्छेद 98 के खंड (1) में 'Each House of Parliament may make rules for regulating, subject to the provisions of this Constitution' इन शब्दों के स्थान पर 'Subject to the provisions of this Constitution, either House of Parliament may make rules for regulating' ये शब्द रख दिये जायें।''

इसमें दो संशोधन हैं: एक तो यह है कि एक वाक्यांश को एक खंड में स्थानांतरित कर दिया जाये और दूसरा यह है कि 'each' शब्द के स्थान पर 'either' रख दिया जाये। ये रचना संबंधी संशोधन है, किन्तु मेरे तुच्छ मतानुसार मेरा विश्वास है कि यह अधिक अच्छी अंग्रेजी है और यह वाक्य-विन्यास के नियमों के अधिक अनुकूल है। मैं

[श्री एच.वी. कामत]

नहीं समझता कि इस संशोधन को स्वीकार करने में कोई कठिनाई या आपत्ति होगी और मुझे आशा है कि सदन मेरे सुझाव का समर्थन करेगा। श्रीमान्, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं।

(संशोधन संख्या 1725 और 1726 पेश नहीं किये गये।)

***श्री नजीरुद्दीन अहमद:** श्रीमान्, मुझे संशोधन संख्या 1727 पेश करना है, इसलिये नहीं कि मैं इसे पेश करना चाहता हूं, वरन् इसलिये कि इस पर एक अन्य माननीय सदस्य का संशोधन निर्भर है। मैं माननीय सदस्य के लिये सुविधा प्रदान करना चाहता हूं। मैं प्रस्ताव करना चाहता हूं:

''कि अनुच्छेद 98 का खंड (4) हटा दिया जाये।''

श्री जसपतराय कपूर (संयुक्तप्रांत : जनरल): अपना संशोधन पेश करने से पूर्व मैं अपने माननीय मित्र श्री नजीरुद्दीन अहमद को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपना संशोधन पेश किया है, क्योंकि उसी के कारण मैं इस संशोधन पर अपना संशोधन पेश करने में समर्थ हो सका हूं।

श्रीमान्, मैं संशोधन संख्या 14 को पेश नहीं कर रहा हूं। मैं केवल संशोधन संख्या 15 पेश करता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं:

''संशोधन-सूची के संशोधन संख्या 1727 के निर्देश से, अनुच्छेद 98 के खंड (4) में 'absence' शब्द के पश्चात् 'the Chairman of the Council of States, or in the absence of both' ये शब्द प्रविष्ट कर दिये जायें।''

तत्पश्चात् खंड (4) इस प्रकार बन जायेगा:

''At a sitting of the two Houses the Speaker of the House of the People, or in his absence the Chairman of the Council of States or in the absence of both such person as may be determined by rules of procedure made under clause (3) of this article, shall preside.''

मस्विदा-समिति ने पृष्ठ 44 के नीचे इस खंड (4) के विषय में एक टिप्पणी दी है, जिसमें लिखा है कि संसद के अध्यक्ष को पीठासीन होना चाहिये क्योंकि लोक सभा अधिक संख्या का निकाय है। यह बात तो ठीक है कि लोक सभा में अध्यक्ष को दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में अध्यासीन होना चाहिये किन्तु जब लोक सभा का अध्यक्ष अनुपस्थित हो, तब मेरे विचार में राज्य-परिषद के सभापति को पीठासीन होने देना समुचित प्रक्रिया होगी। राज्य-परिषद् का सभापति निर्वाचित व्यक्ति होता है, जिसे संसद के दोनों सदन चुनते हैं, इसलिये वह संसद के दोनों सदस्यों का विश्वासपात्र होता है, और श्रीमान्, मुझे कोई कारण दिखाई नहीं देता कि जब लोक सभा का अध्यक्ष अनुपस्थित हो तब राज्यपरिषद के सभापति को पीठासीन होने के लिये प्राधिकृत क्यों न किया जाये। विद्यमान रूप में खंड (4) में लिखा है: ''कि लोक सभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में ऐसा व्यक्ति पीठासीन होगा, जिसका खंड (3) के अधीन बनाई गई प्रक्रिया के नियमों के अनुसार निर्धारण हो।''

अब इससे राज्यपरिषद् के सभापति के अध्यासीन होने का प्रश्न ही लगभग समाप्त हो जाता है, क्योंकि मेरे विचार में कोई इस प्रश्न को गम्भीरता से नहीं उठायेगा कि खंड (3) के अन्तर्गत जो नियम बनाये जायें उनके अनुसार राज्य-परिषद् के सभापति को पीठासीन होने दिया जाये। जब राष्ट्रपति राज्य-परिषद् के सभापति के परामर्श से नियम बनायेगा तब, मुझे विश्वास है कि, राज्यपरिषद् का सभापति स्वयं यह प्रस्ताव नहीं रखेगा कि लोक सभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसे पीठासीन होने दिया जाये, क्योंकि वह राज्यपरिषद् का गौरवर्ण सभापति होगा, छोटी-छोटी बातों का इतना ख्याल नहीं करेगा कि वह ऐसा दुस्साहस करे कि वह ऐसा सुझाव रख दे कि उसे ऐसी आकस्मिकता में पीठासीन होने का प्राधिकार दे दिया जाये अतएव, मेरे विचार में यह आवश्यक है कि हम खंड (4) में यह उपबंध रख दें कि जब लोक सभा का अध्यक्ष अनुपस्थित हो तब राज्य-परिषद् का सभापति पीठासीन हो।

श्रीमान्, मैं सविनय यह प्रस्ताव करता हूं।

(संशोधन संख्या 1728 और 1729 पेश नहीं किये गये।)

***अध्यक्ष:** हमारे पास जितने संशोधनों की सूचना आई थी, वे सब पेश हो चुके हैं। क्या अब कोई बोलना चाहता है?

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** श्रीमान्, मैं श्री कपूर के संशोधन की युक्तियों को तो सर्वथा स्वीकार करता हूं—मैं नहीं जानता कि डा. अम्बेडकर इस विषय में क्या करेंगे, पर मेरी अपनी भावना यह है कि खंड को वर्तमान रूप में ही रहने दिया जाये और श्री जसपतराय कपूर के सुझाव के अनुसार संशोधित न किया जाये, क्योंकि उपयुक्त व्यवस्था यह होगी कि या तो राज्य-परिषद् का सभापति ही पीठासीन हो और उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष पीठासीन हो; अथवा वर्तमान प्रबंध ही रखा जाये, क्योंकि राज्यपरिषद् का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति भी होगा और उसकी स्थिति विशेष होगी, राष्ट्रपति से दूसरे नम्बर पर होगी। और शायद प्रधानमंत्री के समान होगी या ऐसे ही कुछ होगी। उसे अध्यक्ष से नीचे की स्थिति में रखने का अर्थ विभेद करना होगा—एक व्यक्ति को लोक सभा के अध्यक्ष के नीचे रखना होगा, जो राष्ट्रपति का स्थान ले सकता है या विशेष परिस्थितियों में उसके कर्त्तव्यों का निर्वहन कर सकता है।

इसमें भी यह आपत्ति हो सकती है कि अध्यक्ष को परिषद् के सभापति के नीचे क्यों रखा जाये, क्योंकि उससे दोनों सदनों में प्रतियोगिता हो सकती है कि किस सदन को प्रथम स्थान मिले। यह बहुत नाजुक और कठिन स्थिति होगी, और मेरे विचार में मस्विदा-समिति ने राज्य-परिषद् के सभापति को, जो कि उपराष्ट्रपति होता है चित्र से बिल्कुल ही हटाकर समस्या का निराकरण कर दिया है, और सब तरह यही अच्छा है कि जब दोनों सदन साथ समवेत हों तब उपराष्ट्रपति, जो कि राज्य-परिषद् का सभापति होता है, मंच पर बिल्कुल रहे ही नहीं और अध्यक्ष पीठासीन हो जाये। श्री जसपतराय कपूर के सुझाव को स्वीकार करने से, चाहे वह तर्कसंगत दिखाई देता हो, मेरे ख्याल में नाजुक स्थिति पैदा हो सकती है, जिसे हटाने के लिये अनुच्छेद को विद्यमान रूप में ही रहने देना अच्छा होगा।

श्री के.एम. मुन्शी (बम्बई : जनरल): श्रीमान्, मेरे विचार में दूसरी सभा के सभापति को बीच में न लाकर अनुच्छेद को वर्तमान रूप में ही रहने देना सर्वोत्तम रहेगा। इसका कारण सीधा है। द्वितीय सदन का सभापति उपराष्ट्रपति भी होगा, अत: यदि हम अध्यक्ष को पहले रखें तो सभापति को उसके बाद रखना ठीक नहीं होगा; और हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति को संयुक्त बैठक का अध्यक्ष या सभापति बनाना ठीक भी न हो, जो कि अस्थायी रूप से या अन्यथा राष्ट्रपति के स्थान पर कार्य कर रहा होगा। उसी दृष्टिकोण से मैं इसे अनुपयुक्त समझता हूं और यह नियमों पर ही छोड़ दिया जाना चाहिये कि वह पीठासीन होगा या नहीं किंतु उसे इस प्रकार स्पष्टत: रख देना उसकी स्थिति को संघ के उपराष्ट्रपति के रूप में कठिन बनाना होगा और इसे ऐसे ही रहने देना वांछनीय है।

***माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर:** मैं तो केवल यही कह सकता हूं कि मैं श्री जसपतराय कपूर के संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता। यह अधिक अच्छा है कि इस मामले को नियमों द्वारा उपबन्धित होने के लिये ढीला ही छोड़ दिया जाये। श्री कामत के संशोधन के संबंध में मैं नि:संदेह उसकी ओर आकृष्ट अनुभव करता हूं। किंतु इस समय मैं वचन नहीं दे सकता, किन्तु मैं उन्हें आश्वासन दे सकता हूं कि मस्विदा समिति इस मामले पर विचार करेगी।

***अध्यक्ष:** तो फिर मैं श्री कामत के संशोधन पर मत नहीं लूंगा। मैं इसे रचना संबंधी संशोधन समझता हूं जिस पर मस्विदा-समिति विचार करेगी।

श्री जसपतराय कपूर के संशोधन संख्या 15 के संबंध में मैं डा. अम्बेडकर का ध्यान एक बात की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। अनुच्छेद 98 के खंड (2) में निम्न शब्द हैं:

''भारत डोमिनियन के विधान मंडल के बारे में।''

दूसरे स्थान पर हमनें 'भारत की संविधान सभा' ये शब्द रखे हैं। मेरे ख्याल में डा. अम्बेडकर यहां भी वही पद रखना पसंद करेंगे।

***माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर:** हां।

***अध्यक्ष:** मैं कह रहा था कि यहां इस खंड (2) में ''भारत डोमिनियन का विधान मंडल' ये पद है। शायद 'भारत की संविधान सभा' ये पद अच्छा रहेगा?

***माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर:** अब हमारे यहां दो सभाएं हैं। संविधान सभा, जो संविधान सभा के रूप में बैठती है और एक संविधान सभा जो विधान मंडल के रूप में बैठती है। दोनों के लिये हमारे यहां नियम हैं। अत: मेरे विचार में 'भारत डोमिनियन' इन शब्दों को ही रहने देना अभीष्ट होगा, जिससे कि हम उन नियमों को स्वीकार कर सकें जो कि दूसरी सभा में लागू हैं।

श्री जसपतराय कपूर: मेरा निवेदन यह है कि 'भारत डोमिनियन के विधान मंडल' के स्थान पर हम 'संविधान सभा' रखकर कोष्टक में 'विधायिनी' शब्द रख सकते हैं। इसी नाम से हम अपनी संविधान-सभा को पुकारते हैं, जब कि वह 'विधान मंडल के रूप में कार्य करती है।

***माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर:** हमें भारत स्वतंत्रता अधिनियम की भाषा का प्रयोग करना है। हमें उस अधिनियम की शब्दावली तक ही निर्बन्धित रहना है।

***अध्यक्ष:** यदि इससे कोई कठिनाई नहीं होगी, तो मैं इसका ख्याल नहीं करता। मैं श्री जसपतराय कपूर के संशोधन पर मत लूंगा।

***श्री जसपतराय कपूर:** श्रीमान्, मैं इसे वापस लेने के लिये सदन की अनुमति चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि यह पराजित संशोधन बने।

***अध्यक्ष:** यदि सदन उन्हें अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति दे तो वे वापस ले सकते हैं।

सभा की अनुमति से संशोधन वापस ले लिया गया।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

''कि अनुच्छेद 98 संविधान का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हो गया।

अनुच्छेद 98 संविधान में जोड़ दिया गया।

नवीन अनुच्छेद 98-क

***अध्यक्ष:** डा. अम्बेडकर ने नया अनुच्छेद रखने के संशोधन की सूचना दी है।

***माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर:** मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि अनुच्छेद 98 के पश्चात् निम्न नया अनुच्छेद जोड़ दिया जाये:

'98-क. *संसद् में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन*—वित्तीय कार्य को समय के अन्दर समाप्त करने के प्रयोजन से संसद विधि द्वारा किसी वित्तीय विषय से अथवा भारत को संचित निधि में से धन का विनियोग करने वाले किसी विधेयक से संबंधित संसद के प्रत्येक सदन की प्रक्रिया और कार्य संचालन का विनियमन कर सकेगी तथा यदि और जहां तक, इस प्रकार बनाई हुई किसी विधि का उपबंध पिछले अनुच्छेद के खंड (1) के अधीन संसद के किसी सदन द्वारा बनाये गये नियम से अथवा उस अनुच्छेद के खंड (2) के अधीन संसद के संबंध में प्रभावी किसी नियम या स्थायी आदेश से असंगत है, तो ऐसा उपबंध अभिभावी होगा।' ''

***अध्यक्ष:** इस संशोधन पर कोई सदस्य बोलना नहीं चाहता, अत: मैं प्रस्ताव पर मत लेता हूं।

प्रश्न यह है:

''कि अनुच्छेद के पश्चात् निम्न नया अनुच्छेद जोड़ दिया जाये:

'98-क. संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन—वित्तीय कार्य को समय के अन्दर समाप्त करने के प्रयोजन के संसद विधि द्वारा किसी वित्तीय विषय से अथवा भारत को संचित निधि में से धन का विनियोग करने वाले किसी विधेयक से संबंधित संसद के प्रत्येक सदन की प्रक्रिया और कार्य-संचालन का विनियमन कर सकेगी, तथा यदि और जहां तक, इस प्रकार बनाई हुई किसी विधि का उपबंध पिछले अनुच्छेद के खंड (1) के अधीन संसद

[अध्यक्ष]

के किसी सदन द्वारा बनाये गये नियम से अथवा उस अनुच्छेद के खंड (2) के अधीन संसद के संबंध में प्रभावी किसी नियम या स्थायी आदेश से असंगत है, तो ऐसा उपबंध अभिभावी होगा।''

प्रस्ताव स्वीकृत हो गया।

अनुच्छेद 98-क संविधान में जोड़ दिया गया।

अनुच्छेद 173

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** क्या मैं यह सुझाव रख सकता हूं कि सदन ने संघ के वित्तीय उपबंधों पर जो विचार किया है, उसके बाद हम राज्यों संबंधी वित्तीय उपबंधों पर विचार आरंभ कर दें? यदि ऐसा किया गया तो धारा बनी रहेगी।

***अध्यक्ष:** मैं स्वयं वही सुझाव रखने वाला था। अब हम संविधान के राज्यों संबंधी भाग के वित्तीय अनुच्छेदों को ले सकते हैं।

अब सदन अनुच्छेद 173 पर विचार करेगा।

संशोधन संख्या 2461 और 2462 पेश नहीं किये गये हैं अब डा. अम्बेडकर अगले संशोधन संख्या 2464 को पेश कर सकते हैं।

***माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर:** श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि अनुच्छेद 173 के खंड (4) में 'deemed to have been passed' इन शब्दों के पश्चात् 'by both Houses in the form in which it was passed' ये शब्द प्रविष्ट कर दिये जायें।''

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** मैं औपचारिक रूप से प्रस्ताव करता हूं:

''कि अनुच्छेद 173 के खंड (2) में 'तीस' शब्द के स्थान पर 'इक्कीस' शब्द रख दिया जाये।''

***श्री बी.एम. गुप्ते:** मैं सविनय प्रस्ताव करता हूं:

''कि संशोधन-सूची के संशोधन संख्या 2463 के निर्देश से, अनुच्छेद 173 में 'तीस दिन' इन शब्दों के स्थान पर, जहां भी वे हों, 'चौदह दिन' ये शब्द रख दिये जायें।''

हम केन्द्रीय विधान मंडल के विषय में इस उपबंध को पहले ही स्वीकार कर चुके हैं। राज्यों का उपबंध भी वैसा ही बनाने के लिये यह संशोधन स्वीकार किया जा सकता है।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

''कि संशोधन-सूची के संशोधन संख्या 2463 के निर्देश से, अनुच्छेद 173 में 'तीस दिन' इन शब्दों के स्थान पर, जहां भी वे हों, 'चौदह दिन' ये शब्द रख दिये जायें।''

संशोधन स्वीकृत हो गया।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

''कि अनुच्छेद 173 के खंड (4) में 'deemed to have been passed' इन शब्दों के पश्चात् 'by both Houses in the form in which it was passed' ये शब्द प्रविष्ट कर दिये जायें।''

संशोधन स्वीकृत हो गया।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

''संशोधित रूप में अनुच्छेद 173 संविधान का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हो गया।

संशोधित रूप में अनुच्छेद 173 संविधान में जोड़ दिया गया।

अनुच्छेद 174

(संशोधन संख्या 2465 पेश नहीं किया गया।)

***अध्यक्ष:** डा. अम्बेडकर, आपके नाम से दो संशोधन हैं, सूची 1 के संख्या 69 और 70। उनका उद्देश्य केवल यही है कि इस अनुच्छेद को उन उपबंधों के समान बना दिया जाये, जिन्हें हम स्वीकार कर चुके हैं।

***माननीय डा. बी.आर अम्बेडकर:** श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि अनुच्छेद 174 के खंड (1) के उपखंड (ग) और (घ) के स्थान पर निम्न उपखंड रख दिये जायें:

'(ग) राज्य की संचित निधि अथवा आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, ऐसी किसी निधि में धन डालना अथवा उसमें से धन निकालना;

(घ) राज्य की संचित निधि में से धन का विनियोग;' ''

और भी–

''कि अनुच्छेद 174 के खंड (1) के उपखंड (ङ) और (च) में 'revenues of the State' इन शब्दों के स्थान पर 'Consolidated Fund of India' ये शब्द रख दिये जायें।''

***श्री एच.वी. कामत:** अध्यक्ष महोदय, मेरे नाम में दो संशोधन हैं, संख्या 2466 और 2467। संख्या 2467 को तो मैं औपचारिक रूप में ही पेश करता हूं, क्योंकि वह केवल रचना संबंधी है। संशोधन संख्या 2466 को मैं पेश करता हूं:

''कि अनुच्छेद 174 के खंड (1) के उपखंड (ङ) में 'the increasing of the amount of' इन शब्दों के स्थान पर 'varying amount of, or abolishing' ये शब्द रख दिये जायें।''

संघीय संसद के संबंध में तत्स्थानी अनुच्छेद पर वाद-विवाद के समय भी मैंने ऐसा ही प्रश्न उठाया था और मेरे विचार में अब भी मेरा यही ख्याल है कि मेरे प्रश्न का

[श्री एच.वी. कामत]

संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया था। सदन ध्यान दे कि अनुच्छेद 177 में बहुत सी मदें हैं जो राज्य की संचित निधि पर भारित होंगी, इन विविध मदों में विधान-सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की उपलब्धियां और भत्ते भी हैं और परिषद् वाले राज्य में विधान परिषद् के सभापति और उपसभापति की भी उपलब्धियां और भत्ते होते हैं। इस संविधान में ऐसा उपबंध नहीं है कि उनकी उपलब्धियों और भत्तों को उनके पदकाल में कम नहीं किया जायेगा, जैसा कि राज्य के राज्यपाल के लिये रखा गया है। अतः यह संभव है कि विधान मंडल किसी समय विधि द्वारा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति और उपसभापति की उपलब्धियों को कम करे दे।

***श्री बी. दासः** किन्तु अनुच्छेद 177 के अधीन वे सब भारित व्यय है।

***श्री एच.वी. कामतः** किन्तु ऐसा कोई उपबंध नहीं है कि उन्हें उनकी पदावधि में कम नहीं किया जायेगा, और यदि कोई ऐसा प्रस्ताव उठे कि उन भत्तों और उपलब्धियों को कम कर दिया जाये, तो क्या हम परिषद् को ऐसा विधेयक पेश करने की अनुमति दे दें? श्री अनन्तशयनम आयंगर ने पिछली बार इसका उत्तर देते समय कहा था कि जहां तक राशि को बढ़ाने का संबंध है, वह धन विधेयक के क्षेत्र में आ जायेगा, और इसलिये ऐसे धन-विधेयक केवल प्रथम सदन में ही पेश होंगे, किन्तु मैं जो प्रश्न उठाना चाहता था वह यह हैः मान लीजिये कि विधान मंडल अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति और उपसभापति की उपलब्धियों को और भत्तों को घटाना चाहता है। तो क्या हम उसे भी अनुच्छेद 174 के प्रयोजन के लिये धन-विधेयकों में न समझें? क्या हम द्वितीय सदन को उस मामले के संबंध में विधेयक उपस्थित करने की शक्ति दे दें? क्या हमें उसे भी अनुच्छेद 174 के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला नहीं समझना चाहिये, और प्रथम सदन को ऐसा प्रस्ताव करने की पूरी शक्ति नहीं देनी चाहिये।

तत्पश्चात् श्रीमान्, समाप्त करने का प्रश्न है। अनुच्छेद 177 में एक व्यापक खंड है, खंड (ङ), जिसमें लिखा है कि कोई अन्य व्यय जो कि इस संविधान द्वारा या राज्य के विधान मंडल द्वारा इस प्रकार भारित घोषित कर दिया जाये, वह भी राज्य की संचित निधि पर भारित समझा जायेगा। यहां भी मैं नहीं जानता कि क्या कभी विधान मंडल के कार्यकाल में ऐसा अवसर आ सकता है जब कि वह ऐसा विचार कर सकता है कि कोई व्यय, जो पहले राज्य की संचित निधि पर भारित घोषित किया गया था, अब राज्य को हानि पहुंचाये बिना समाप्त किया जा सकता है। उस अवस्था में भी, प्रश्न यह है कि क्या द्वितीय सदन को भी ऐसा प्रस्ताव करने की अनुमति दी जाये या केवल प्रथम सदन को ही वह शक्ति प्राप्त हो। श्रीमान्, मैं इसे पेश करता हूं।

संशोधन 2467 को तो मैं औपचारिक रूप से पेश करता हूं, पर इस मामले को मैं मस्विदा समिति की बुद्धिमत्ता पर छोड़ देता हूं।

***अध्यक्षः** इस अनुच्छेद पर कोई और संशोधन नहीं है। अब मैं इस पर मत लूंगा।

***श्री एच.वी. कामतः** क्या डा. अम्बेडकर इस विषय में कुछ नहीं कहना चाहते?

***माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकरः** मैं तो केवल यही कह सकता हूं कि जब हम संविधान का पुनरीक्षण करेंगे तब मैं इस पर विचार कर लूंगा।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

''कि अनुच्छेद 174 के खंड (1) के उपखंड (ग) और (घ) के स्थान पर निम्न उपखंड रख दिये जायें:

'(ग) राज्य की संचित निधि अथवा आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, ऐसी किसी निधि में धन डालना या उसमें से धन निकालना;

(घ) राज्य की संचित निधि में से धन का विनियोग;' ''

संशोधन स्वीकृत हो गया।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

''कि अनुच्छेद 174 के खंड (1) के उपखंड (ङ) और (च) में 'revenues of the State' इन शब्दों के स्थान पर 'Consolidated Fund of the State' ये शब्द रख दिये जायें।''

संशोधन स्वीकृत हो गया।

***श्री एच.वी. कामत:** क्योंकि डा. अम्बेडकर ने इस पर विचार करने का वचन दिया है, अत: मैं इसे उनकी बुद्धिमत्ता पर छोड़ देता हूं। वे बाद में उसका प्रयोग कर सकते हैं।

***अध्यक्ष:** दोनों संशोधन?

***माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर:** केवल एक ही संशोधन है।

***श्री एच.वी. कामत:** क्या मैं पूछ सकता हूं कि उन्होंने किस संशोधन पर विचार करने का वचन दिया है? शायद वे इसे स्पष्ट कर देंगे।

***माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर:** संख्या 2466।

***अध्यक्ष:** ठीक है, फिर मैं उन पर मत नहीं लूंगा।

प्रश्न यह है:

''कि संशोधित रूप में अनुच्छेद 174 संविधान का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हो गया।

संशोधित रूप में अनुच्छेद 174 संविधान में जोड़ दिया गया।

***माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर:** मैं चाहता हूं कि अनुच्छेद 175 स्थगित रहे।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** मेरा सुझाव है कि अनुच्छेद 175 और 176 को उठा रखा जाये, क्योंकि वे ऐसी समस्याओं पर प्रभाव डालते हैं जिन पर मस्विदा-समिति अभी विचार कर रही है। संशोधन 177 को ले लिया जाये।

***अध्यक्ष:** तो फिर हम अनुच्छेद 177 को ले लेंगे।

अनुच्छेद 177

***माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर:** श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि अनुच्छेद 177 के खंड (2) के उपखंड (क) और (ख) के स्थान पर 'revenues of the State' इन शब्दों के स्थान पर 'Consolidated Fund of the State' ये शब्द रख दिये जायें।''

[माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर]

मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि अनुच्छेद 177 के खंड (3) 'revenues of each State' इन शब्दों के स्थान पर 'Consolidated Fund of each State' ये शब्द रख दिये जायें।''

श्रीमान् मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं:

''कि अनुच्छेद 177 के खंड (3) के उपखंड (ख) में 'emoluments' शब्दों के स्थान पर 'salaries' शब्द रख दिया जाये।''

(संशोधन संख्या 2486, 2487 और 2489 पेश नहीं किये गये।)

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

''कि अनुच्छेद 177 के खंड (2) के उपखंड (क) और (ख) में 'revenues of each State' इन शब्दों के स्थान पर 'Consolidated Fund of each State' ये शब्द रख दिये जायें।''

संशोधन स्वीकृत हो गया।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

''कि अनुच्छेद 177 के खंड (3) में 'revenues of each State' शब्दों के स्थान पर 'Consolidated Fund of each State' ये शब्द रख दिये जायें।''

संशोधन स्वीकृत हो गया।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

''कि अनुच्छेद 177 के खंड (3) के उपखंड (ख) में 'emoluments' शब्द के स्थान पर 'salaries' शब्द रख दिया जायें।''

संशोधन स्वीकृत हो गया।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

''कि संशोधित रूप में अनुच्छेद 177 संविधान का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हो गया।

संशोधित रूप में अनुच्छेद 177 संविधान में जोड़ दिया गया।

अनुच्छेद 178

***माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर:** श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि अनुच्छेद 178 के खंड में 'revenues of each State' इन शब्दों के स्थान पर 'Consolidated Fund of each State' ये शब्द रख दिये जायें।''

(संशोधन संख्या 2490 पेश नहीं किया गया।)

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

''कि अनुच्छेद 178 के खंड (1) में 'revenues of each State' शब्दों के स्थान पर 'Consolidated Fund of each State' ये शब्द रख दिये जायें।''

संशोधन स्वीकृत हो गया।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

''कि संशोधित रूप में अनुच्छेद 178 संविधान का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हो गया।

संशोधित रूप में अनुच्छेद 178 संविधान में जोड़ दिया गया।

अनुच्छेद 179

***माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर:** श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि अनुच्छेद 179 के स्थान पर निम्न अनुच्छेद रख दिया जाये:

179. *विनियोग विधेयक*—(1) विधान सभा द्वारा अनुच्छेद 203 के अधीन अनुदान किये जाने के बाद यथासंभव शीघ्र राज्य की संचित निधि में से–

(क) सभा द्वारा इस प्रकार किये अनुदानों की; तथा

(ख) राज्य की संचित निधि पर भारित किंतु सदन या सदनों के समक्ष पहले रखे गये विवरण में दी हुई राशि से किसी भी अवस्था में अनधिक व्यय की पूर्त्ति के लिये अपेक्षित सब धनों के विनियोग के लिये विधेयक पुर:स्थापित किया जायेगा।

(2) इस प्रकार किये गये किसी अनुदान की राशि में फेरफार करने अथवा अनुदान के लक्ष्य को बदलने अथवा राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय की राशि में फेरफार करने का प्रभाव रखने वाला कोई संशोधन ऐसे किसी विधेयक पर राज्य के विधान मंडल के सदन में या किसी सदन में प्रस्थापित न किया जायेगा तथा कोई संशोधन इस खंड के अधीन अप्रवेश्य है या नहीं, इस बारे में पीठासीन व्यक्ति का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(3) अगले दो अनुच्छेदों के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य की संचित निधि में से इस अनुच्छेद के उपबंधों के अनुसार पारित विधि द्वारा किये गये विनियोग के अधीन निकालने के अतिरिक्त और कोई धन निकाला न जायेगा।' ''

***अध्यक्ष:** इस अनुच्छेद पर कोई और संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है:

''कि अनुच्छेद 179 के स्थान पर निम्न अनुच्छेद रख दिया जाये:

179. *विनियोग विधेयक*—(1) विधान सभा द्वारा अनुच्छेद 203 के अधीन अनुदान किये जाने के बाद यथासंभव शीघ्र राज्य की संचित निधि में से–

(क) सभा द्वारा इस प्रकार किये अनुदानों की; तथा

(ख) राज्य की संचित निधि पर भारित किंतु सदन या सदनों के समक्ष पहले रखे गये विवरण में दी हुई राशि से किसी भी अवस्था में अनधिक

[अध्यक्ष]

व्यय की पूर्त्ति के लिये अपेक्षित सब धनों के विनियोग के लिये विधेयक पुर:स्थापित किया जायेगा।

(2) इस प्रकार किये गये किसी अनुदान की राशि में फेरफार करने अथवा अनुदान के लक्ष्य को बदलने अथवा राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय की राशि में फेरफार करने का प्रभाव रखने वाला कोई संशोधन ऐसे किसी विधेयक पर राज्य के विधान मंडल के सदन में या किसी सदन में प्रस्थापित न किया जायेगा तथा कोई संशोधन इस खंड के अधीन अप्रवेश्य है या नहीं, इस बारे में पीठासीन व्यक्ति का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(3) अगले दो अनुच्छेदों के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य की संचित निधि में से इस अनुच्छेद के उपबंधों के अनुसार पारित विधि द्वारा किये गये विनियोग के अधीन निकालने के अतिरिक्त और कोई धन निकाला न जायेगा।' ''

संशोधन स्वीकृत हो गया।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

''कि संशोधित रूप में अनुच्छेद 179 संविधान का अंग हो।''

प्रस्ताव स्वीकृत हो गया।

संशोधित रूप में अनुच्छेद 179 संविधान में जोड़ दिया गया।

अनुच्छेद 180

***माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर:** श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि अनुच्छेद 180 के स्थान पर निम्न अनुच्छेद रख दिया जाये:

'180. *अनुपूरक अपर या अतिरिक्त अनुदान*—(1) यदि–

(क) अनुच्छेद 204 के उपबंधों के अनुसार निर्मित किसी विधि द्वारा किसी सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष के वास्ते व्यय किये जाने के लिये प्राधिकृत कोई राशि उस वर्ष के प्रयोजन के लिये अपर्याप्त पाई जाती है अथवा उस वर्ष के वार्षिक वित्त विवरण में अपेक्षित न की गई किसी नई सेवा पर अनुपूरक अथवा अपर व्यय की चालू वित्तीय वर्ष में आवश्यकता पैदा हो गई है, अथवा

(ख) किसी वित्तीय वर्ष में किसी सेवा पर, उस सेवा और उस वर्ष के लिये अनुदान की गई राशि से अधिक कोई धन व्यय हो गया है, तो राज्यपाल यथास्थिति राज्य के विधान मंडल के सदन अथवा सदनों के समक्ष उस व्यय की प्राक्कलित की गई राशि को दिखाने वाला दूसरा विवरण

रखवायेगा अथवा यथास्थिति राज्य की विधान सभा में ऐसी अधिकाई के लिये मांग उपस्थित करायेगा।

(2) ऐसे किसी विवरण और व्यय या मांग के संबंध में, तथा राज्य की संचित निधि में से ऐसे व्यय अथवा ऐसी मांग से संबंधित अनुदान की पूर्त्ति के लिये धनों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिये बनाई जाने वाली किसी विधि के संबंध में भी पिछले तीन अनुच्छेदों के उपबंध वैसे ही प्रभावी होंगे, जैसे कि वे वार्षिक वित्त विवरण तथा उसमें वर्णित व्यय अथवा अनुदान की किसी मांग तथा राज्य की संचित निधि में से ऐसे किसी व्यय या अनुदान की पूर्त्ति के लिये धनों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिये बनाई जाने वाली विधि के संबंध में प्रभावी है।' ''

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

''कि अनुच्छेद 180 के स्थान पर निम्न अनुच्छेद रख दिया जाये:

'180. *अनुपूरक अपर या अतिरिक्त अनुदान*—(1) यदि—

(क) अनुच्छेद 204 के उपबंधों के अनुसार निर्मित किसी विधि द्वारा किसी विशेष सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष के वास्ते व्यय किये जाने के लिये प्राधिकृत कोई राशि उस वर्ष के प्रयोजन के लिये अपर्याप्त पाई जाती है अथवा उस वर्ष के वार्षिक वित्त विवरण में अवेक्षित न की गई किसी नई सेवा पर अनुपूरक अथवा अपर व्यय की चालू वित्तीय वर्ष में आवश्यकता पैदा हो गई है, अथवा

(ख) किसी वित्तीय वर्ष में किसी सेवा पर, उस सेवा और उस वर्ष के लिये अनुदान की गई राशि से अधिक कोई धन व्यय हो गया है, तो राज्यपाल यथास्थिति राज्य के विधान मंडल के सदन अथवा सदनों के समक्ष उस व्यय की प्राक्कलित की गई राशि को दिखाने वाला दूसरा विवरण रखवायेगा अथवा यथास्थिति राज्य की विधान सभा में ऐसी अधिकाई के लिये मांग उपस्थित करायेगा।

(2) ऐसे किसी विवरण और व्यय या मांग के संबंध में, तथा राज्य की संचित निधि में से ऐसे व्यय अथवा ऐसी मांग से संबंधित अनुदान की पूर्त्ति के लिये धनों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिये बनाई जाने वाली किसी विधि के संबंध में भी पिछले तीन अनुच्छेदों के उपबंध वैसे ही प्रभावी होंगे, जैसे कि वे वार्षिक वित्त विवरण तथा उसमें वर्णित व्यय अथवा अनुदान की किसी मांग तथा राज्य की संचित निधि में से ऐसे किसी व्यय या अनुदान की पूर्त्ति के लिये धनों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिये बनाई जाने वाली विधि के संबंध में प्रभावी है।' ''

संशोधन स्वीकृत हो गया।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

''कि संशोधित रूप में अनुच्छेद 180 संविधान का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हो गया।

संशोधित रूप में अनुच्छेद 180 संविधान में जोड़ दिया गया।

अनुच्छेद 181

***माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकरः** श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं:

'कि अनुच्छेद 181 के स्थान पर निम्न अनुच्छेद रख दिया जाये:

'181. *लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान*—(1) इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य की विधान सभा को—

(क) किसी वित्तीय वर्ष के भाग के लिये प्राक्कलित व्यय के बारे में किसी अनुदान को, उस अनुदान के लिये मतदान करने के लिये अनुच्छेद 203 में विहित प्रक्रिया की पूर्त्ति लम्बित रहने तक तथा उस व्यय के संबंध में अनुच्छेद 204 के उपबंधों के अनुसार विधि के पारण के लम्बित रहने तक, पेशगी देने की;

(ख) जब कि किसी सेवा की महत्ता या अनिश्चित रूप के कारण मांग ऐसे ब्यौरे के साथ वर्णित नहीं की जा सकती, जैसा कि वार्षिक वित्त विवरण में साधारणतया दिया जाता है, तब राज्य के सम्पत्ति स्रोतों पर अप्रत्याशित मांग की पूर्त्ति के लिये अनुदान करने की;

(ग) किसी वित्तीय वर्ष की चालू सेवा का जो अनुदान भाग न हो ऐसा आपवादिक अनुदान करने की शक्ति होगी तथा उक्त अनुदान जिन प्रयोजनों के लिये किये गये हैं उनके लिये राज्य की संचित-निधि में से धन निकालना विधि द्वारा प्राधिकृत करने की शक्ति राज्य के विधान-मंडल को होगी।

(2) खंड (1) के अधीन किये जाने वाले किसी अनुदान तथा उस खंड के अधीन बनाई जाने वाली किसी विधि के संबंध में अनुच्छेद 178 और 179 के उपबंध वैसे ही प्रभावी होंगे, जैसे कि वे वार्षिक वित्त विवरण में वर्णित किसी व्यय के बारे में किसी अनुदान के करने के तथा राज्य की संचित निधि में से ऐसे व्यय की पूर्त्ति के लिये धनों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिये बनाई जाने वाली विधि के संबंध में प्रभावी है।' ''

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

'कि अनुच्छेद 181 के स्थान पर निम्न अनुच्छेद रख दिया जाये:

'181. *लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान*—(1) इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य की विधान सभा को—

(क) किसी वित्तीय वर्ष के भाग के लिये प्राक्कलित व्यय के बारे में किसी अनुदान को, उस अनुदान के लिये मतदान करने के लिये अनुच्छेद 203 में विहित प्रक्रिया की पूर्त्ति लम्बित रहने तक तथा उस व्यय के संबंध में अनुच्छेद 204 के उपबंधों के अनुसार विधि के पारण के लम्बित रहने तक, पेशगी देने की;

(ख) जब कि किसी सेवा की महत्ता या अनिश्चित रूप के कारण मांग ऐसे ब्यौरे के साथ वर्णित नहीं की जा सकती, जैसा कि वार्षिक वित्त विवरण में साधारणतया दिया जाता है, तब राज्य के सम्पत्ति स्रोतों पर अप्रत्याशित मांग की पूर्त्ति के लिये अनुदान करने की;

(ग) किसी वित्तीय वर्ष की चालू सेवा का जो अनुदान भाग न हो ऐसा आपवादिक अनुदान करने की शक्ति होगी तथा उक्त अनुदान जिन प्रयोजनों के लिये किये गये हैं उनके लिये राज्य की संचित-निधि में से धन निकालना विधि द्वारा प्राधिकृत करने की शक्ति राज्य के विधान-मंडल को होगी।

(2) खंड (1) के अधीन किये जाने वाले किसी अनुदान तथा उस खंड के अधीन बनाई जाने वाली किसी विधि के संबंध में अनुच्छेद 178 और 179 के उपबंध वैसे ही प्रभावी होंगे, जैसे कि वे वार्षिक वित्त विवरण में वर्णित किसी व्यय के बारे में किसी अनुदान के करने के तथा राज्य की संचित निधि में से ऐसे व्यय की पूर्त्ति के लिये धनों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिये बनाई जाने वाली विधि के संबंध में प्रभावी है।' ''

संशोधन स्वीकृत हो गया।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

''कि संशोधित रूप में अनुच्छेद 181 संविधान का अंग बने।'

प्रस्ताव स्वीकृत हो गया।

संशोधित रूप में अनुच्छेद संविधान में जोड़ दिया गया।

अनुच्छेद 182

***अध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है:

''कि अनुच्छेद 182 संविधान का अंग बने।''

***माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर:** श्रीमान्, आपकी अनुमति से मैं एक छोटा सा संशोधन पेश करना चाहता हूं:

''कि अनुच्छेद 182 में 'revenues of the State' इन शब्दों के स्थान पर 'Consolidated Fund of the State' ये शब्द रख दिये जायें।''

***अध्यक्ष:** कोई और संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है:

''कि अनुच्छेद 182 में 'revenues of the State' इन शब्दों के स्थान पर 'Consolidated Fund of the State' ये शब्द रख दिये जायें।''

संशोधन स्वीकृत हो गया।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

''कि संशोधित रूप में अनुच्छेद 182 संविधान का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हो गया।

संशोधित रूप में अनुच्छेद 182 संविधान में जोड़ दिया गया।

अनुच्छेद 183

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

''कि अनुच्छेद 183 संविधान का अंग बने।

इस अनुच्छेद पर कुछ संशोधन हैं।

(संशोधन संख्या 2496 पेश नहीं किया गया।)

श्री आर.के. सिधवा: श्रीमान् मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि अनुच्छेद 183 के खंड (1) में 'may' शब्द के स्थान पर 'shall' शब्द रख दिया जाये, और अन्त में निम्न शब्द जोड़ दिये जायें:

'within six months from the date of the first session of the Assembly.' ''

श्रीमान्, मेरे संशोधन में कहा गया है कि ''इस संशोधन के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य का विधान मंडल अपनी प्रक्रिया के तथा कार्य-संचालन के विनियमन के लिये सभा के प्रथम सत्र के छ: मास के भीतर नियम बनायेगा।'' इस अनुच्छेद में लिखा है कि जब तक नियम नहीं बनाये जाते—जो कि सदन के अध्यक्ष की इच्छा पर छोड़ दिया गया है—तब तक इस संविधान के आरम्भ से ठीक पहले जो प्रक्रिया के नियम और

स्थायी आदेश प्रवृत्त थे, वे प्रभावी रहेंगे। श्रीमान्, मैं अनुभव करता हूं कि कोई निश्चित अवधि नियत होनी चाहिये और अध्यक्ष को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि नियम छः मास के भीतर ही बन जायें। छः मास की अवधि काफी लम्बी है। नई व्यवस्था और नये संविधान को ध्यान में रखते हुए यह बहुत संभव है कि पुराने नियम उपयुक्त न हों। हम अध्यक्ष को इतनी ढील नहीं देना चाहते कि नियम अनिश्चित काल के लिये बने ही नहीं। श्रीमान्, मैने देखा है कि कुछ प्रांतों में, लगभग 18 मासों तक नियम नहीं बनाये गये। मेरे विचार में यह बहुत ठीक संशोधन है। श्रीमान्, मैं इसे पेश करता हूं।

(संशोधन संख्या 2498 और 2499 पेश नहीं किये गये।)

***अध्यक्षः** कोई और संशोधन नहीं है।

***श्री एच.वी. कामतः** अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय मित्र श्री सिधवा ने सदन के समक्ष जो संशोधन रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्रीमान्, यह अत्यावश्यक है, जैसा कि श्री सिधवा ने कहा है कि प्रक्रिया के नियम और कार्य-संचालन के नियम यथासंभव शीघ्र बनाये जाने चाहिये। इस सदन को ज्ञात है कि इसी सदन में, विधान मंडल के रूप में समवेत होकर, हमने अभी तक भी अन्तिम रूप में उस सदन के प्रक्रिया के और कार्य-संचालन के नियम नहीं बनाये हैं। हमने केवल स्थायी रूप में स्वीकार किये हैं, और मैं नहीं समझता कि यह अभीष्ट वस्तुस्थिति है कि प्रक्रिया के नियम बनाने में ऐसा अत्यधिक विलम्ब हो। इस छः मास की निश्चित अवधि को रख देने में कुछ भी कठिनाई नहीं होनी चाहिये—यह काफी उदार अवधि-सीमा है और कोई विधान मंडल, जो काम करना चाहे और जो सचमुच द्रुतगति से कार्य करे, उसे छः मास के भीतर नियम बना लेने चाहिये। मैं तो तीन मास रखना चाहता हूं पर क्योंकि संशोधन में छः मास का उल्लेख है, अतः मैं उसका विद्यमान रूप में समर्थन करना चाहता हूं और मुझे आशा है कि डा. अम्बेडकर और यह सदन इसे स्वीकार कर लेगा।

खंड (1) के विषय में मैं एक बात कहना चाहता हूं और वह यह है। मुझे आशा है कि डा. अम्बेडकर को याद होगा कि ऐसे ही एक संशोधन के विषय में उन्होंने क्या करने का वचन दिया था, जो कि मैंने संघीय संसद के विषय में पेश किया था, और मैंने पहले जो संशोधन रखा था उसको ध्यान में रख कर खंड (1) की रचना को बदल दिया जा सकता है।

***अध्यक्षः** क्या कोई कुछ कहना चाहते हैं?

***माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकरः** मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं करता।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

> ''कि अनुच्छेद 183 के खंड (1) में 'may' शब्द के स्थान पर 'shall' शब्द रख दिया जाये, और अन्त में निम्न शब्द जोड़ दिये जायें:
>
> 'within six months from the date of the first session of the Assembly.' ''

संशोधन अस्वीकृत हो गया।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

''कि अनुच्छेद 183 संविधान का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हो गया।

अनुच्छेद 183 संविधान में जोड़ दिया गया।

नवीन अनुच्छेद 183-क

***अध्यक्ष:** डा. अम्बेडकर का एक नया अनुच्छेद 183-क है।

***माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर:** श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि अनुच्छेद 183 के पश्चात् निम्न नया अनुच्छेद जोड़ दिया जाये:

'183. *राज्य के विधान मंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन*— (क) वित्तीय कार्य को समय के अन्दर समाप्त करने के प्रयोजन से किसी राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा, किसी वित्तीय विषय से अथवा राज्य की संचित निधि में से धन का विनियोग करने वाले किसी विधेयक से संबंधित राज्य के विधान मंडल के सदन या सदनों की प्रक्रिया और कार्यसंचालन का विनियमन कर सकेगा तथा यदि, और जहां तक इस प्रकार बनाई हुई किसी विधि का कोई उपबंध अनुच्छेद 208 के खंड (1) के अधीन राज्य के विधान मंडल के सदन या किसी सदन द्वारा बनाये गये नियम से, अथवा उस अनुच्छेद के खंड (2) के अधीन राज्य के विधान मंडल के संबंध में प्रभावी किसी नियम या स्थायी आदेश से, असंगत है तो, और वहां तक, ऐसा उपबंध अभिभावी होगा।' ''

***अध्यक्ष:** क्या कोई कुछ कहना चाहते हैं?

प्रश्न यह है:

''कि नया अनुच्छेद 183-क संविधान में जोड़ दिया जाये।''

प्रस्ताव स्वीकृत हो गया।

अनुच्छेद 183-क संविधान में जोड़ दिया गया।

अनुच्छेद 184

***अध्यक्ष:** हम अनुच्छेद 184 को लेते हैं।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** श्रीमान्, हमने अनुच्छेद 99 पर विचार नहीं किया है, जो कि इसके समान ही है। इसे उठा रखा जाये। अनुच्छेद 185 और 186 पर अधिक संशोधन नहीं हैं, उन्हें ले लिया जाये।

अनुच्छेद 185

***अध्यक्षः** हम अनुच्छेद 184 को छोड़ देते हैं। अब हम अनुच्छेद 185 को लेते हैं।

(संशोधन संख्या 2518 और 2519 पेश नहीं किये गये।)

क्या कोई बोलना चाहता है?

***श्री बी. दासः** श्रीमान्, मैं अनुभव करता हूं कि प्रांतीय विधान मंडल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर प्रश्न उठाने का हक होना चाहिये। उच्चतम न्यायालय के लिये तो संसद है ही, जो बहुत जागरूक रहेगी और यदि वे देखेंगे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कदाचार करते हैं तो संसद उन्हें ठीक करने का मार्ग निकाल लेगी और सरकार, राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल की आलोचना करेगी जिससे कि वे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पर ठीक तरह नियंत्रण रखें। मैं अनुच्छेद 185 (1) पर खुश नहीं हूं। मैं समझता हूं और डा. अम्बेडकर से अनुरोध करता हूं—मस्विदा समिति ने सब कुछ ठीक किया है, फिर वे प्रांतीय विधान मंडलों में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के विषय में वाद-विवाद को क्यों बंद करना चाहती है? मुझे तो यही कहना है।

***अध्यक्षः** अनुच्छेद 100 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के विषय में ऐसा ही उपबंध पारित हुआ है। क्या इस पर कोई और बोलना चाहता है?

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारीः** अध्यक्ष महोदय, यदि सभापति की अनुमति हो तो और सदन सहमत हो तो मैं प्रस्ताव करना चाहता हूं:

''कि इस अनुच्छेद का खंड (2) हटा दिया जाये।''

कारण यह है कि राज्यों संबंधी अध्याय में हम सब स्थानों पर प्रथम अनुसूची के भाग 3 के राज्यों का निर्देश हटाते जा रहे हैं और इससे उसी आचरण का अनुसरण होगा, जिसके अनुसार हम अब तक करते आ रहे हैं। मुझे आशा है कि सदन इस पर सहमत होगा और खंड (2) को हटा देगा। श्रीमान्, मैं इसे पेश करता हूं।

***श्री आर.के. सिधवाः** अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं, जैसा कि आपने ठीक कहा है कि पिछले खंडों में उच्चतम न्यायालय के संबंध में हमने ऐसा ही खंड पारित किया है। पर मैं नहीं समझता कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश आलोचना से परे क्यों हो, जहां तक कि उसके आचरण का संबंध है। कभी-कभी वह कदाचार करता है, और वह देवता नहीं होता, उसके आचरण पर भी कहीं न कहीं आलोचना होनी चाहिये और यदि आप सदन को उसके आचरण पर वाद-विवाद करने की अनुमति नहीं देते तो आपको पता है कि कभी-कभी क्या हो जाता है। हमें पता ही है कि अभी हाल ही के एक मामले में क्या हुआ है। यह तो मैं कहता हूं कि उसके निर्णय पर सदन में बहस नहीं होनी चाहिये, पर उसके आचरण पर तो निःसंदेह बहस होनी ही चाहिये। इसमें कोई बुराई नहीं है और इससे उसकी स्थिति में कोई फर्क नहीं आता। यदि आप न्यायाधीश पर किसी प्रकार का निर्बन्ध रखें, तो मेरे विचार में वह बहुत अच्छी प्रक्रिया होगी।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** क्या मैं यह कह सकता हूं कि हम संसद के संबंध में 101 को स्वीकार कर चुके हैं, जो लगभग ऐसा ही है और हम उसी उपबंध को राज्यों के विधान मंडलों पर लागू कर रहे हैं?

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

''कि अनुच्छेद 185 के खंड (2) को हटा दिया जाये।

संशोधन स्वीकृत हो गया।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

''कि संशोधित रूप में अनुच्छेद 185 संविधान का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हो गया।

संशोधित रूप में अनुच्छेद 185 संविधान में जोड़ दिया गया।

अनुच्छेद 186

***अध्यक्ष:** हम अनुच्छेद 186 को लेते हैं।

(संशोधन संख्या 2520 पेश नहीं किया गया।)

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

''कि अनुच्छेद 186 संविधान का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हो गया।

अनुच्छेद 186 संविधान में जोड़ दिया गया।

इसके पश्चात् सभा सोमवार, तारीख 13 जून 1949 के 8 बजे तक के लिये स्थगित हो गई।